राजस्थान विधान सभा

अष्टम बैठक, शुक्रवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर
में प्रातः ११ बज कर २५ मिनिट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष--प्रश्न, श्री भैरोंसिंह ।

प्रश्न संख्या १२६

ईसरदा (जिला सवाई माधोपुर) का बीड जागीर ईसरदा के पुनर्ग्रहण के पश्चात् काटना एवं इसके काटने के आधार

श्री भैरूंसिंह (विभाजन संख्या १६)--क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) क्या ईसरदा, जिला सवाई माधोपुर का बीड़ ईसरदा की जागीर का पुनर्ग्रहण होने के पश्चात् काटा गया ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बीड़ जागीर पुनर्ग्रहण के समय सरकार के अधिकार में आ गया था और जागीरदार की ओर से जागीर का चार्ज देते समय यह नहीं कहा गया था कि यह बीड़ ठेके दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो यह बीड क्यों काटा गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)--(क) जी नहीं । बीड पहले से ही काटा जा रहा था ।

(ख) जी नहीं । यह बीड जागीर पुनर्ग्रहण के पहले सरकार के अधिकार में नहीं आया और कोई रेकार्ड नहीं दिया । यह बीड जागीर पुनर्ग्रहण के पहले से ही काटा जा रहा था ।

(ग) जी, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष ईसरदा की प्रजा ने इस बात की शिकायत की थी कि जागीर के पुनर्ग्रहण के बाद इस बीड को काटना शुरू किया गया ? क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है ?

Page No 2

श्री बृजसुन्दर शर्मा--ऐसी शिकायत आई लेकिन जब यह मालूम हो गया कि यह बीड जागीर पुनर्ग्रहण के पहले से ही काटा जा रहा था तो कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री भैरू सिंह--क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--मालूम करने के बाद ही यह उत्तर दिया जा रहा है।

श्री भैरू सिंह--किस अधिकारी से जांच करवाई गई और उस जांच के दौरान में जागीर के रेकर्ड को देखा कि नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--ऐसी जांच डी.एफ.ओ. द्वारा की जाती है, डी.एफ.ओ. द्वारा ही की गई होगी।

श्री भैरू सिंह--की गई या नहीं, यह निश्चित नहीं तो फिर यह किस आधार पर कहा जा रहा है कि जागीर पुनर्ग्रहण के पहले ही बीड काटना शुरू कर दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--डी.एफ.ओ. की रिपोर्ट के आधार पर ?

श्री भैरू सिंह--सरकार किस आधार पर इस नतीजे पर पंहुची कि जागीर पुनर्ग्रहण के पहले ही बीड काटने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा---यह डी.एफ.ओ. की जांच के आधार पर मालूम हुआ कि पहले से ही काटा जा रहा था।

श्री भैरू सिंह--क्या इस जांच से यह नतीजा साबित हो चुका है कि जागीर पुनर्ग्रहण करने के पहले ही यह बीड काटना शुरू कर दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--तहकीक तो नहीं कर सकता पर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कह सकता हूं। पूरी इन्क्वायरी करने के बाद ही पूरी तोर से कहा जा सकता है।

श्री भैरू सिंह--क्या सरकार ने आवश्यक नहीं समझा कि तहकीक रूप में जब तक मालूम नहीं हो जाय कि जागीर पुनर्ग्रहण के पहले काटना शुरू किया गया या नहीं किया गया तब तक के लिये बीड को काटने की कार्यवाही बन्द कर दी जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--बीड काटा जा रहा था, जागीरदार द्वारा इस बीड का चार्ज सरकार को नहीं दिया गया था। जब तक कि सरकार को चार्ज नहीं दिया जाय तब तक सरकार उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि कलेक्टर सवाई माधोपुर को जब जागीरदार ने कागजात पेश किये थे उस समय इस बीड को सरकारी प्रोपर्टी नहीं बताया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह मालूमात मुझे नहीं है।

श्री भैरूं सिंह--यह मालूमात नहीं है तो फिर जांच किस बात की की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--मैंने कहा कि जागीर के बारे में कोई रेकर्ड जागीरदार द्वारा नहीं दिया गया।

श्री भैरूं सिंह--क्या यह सही है कि सरकार ने भी उस ठेकेदार को बीड काटने की सहमति दी है जिसे कि जागीरदार ने बीड काटने की इजाजत दी थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह मेरी नोलेज में नहीं है।

श्री भैरूं सिंह--नोलेज का सवाल नहीं, प्रश्न सीधा सा है कि सरकार ने ठेकेदार को बीड काटने की अनुमति दी कि नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--अलग से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ठेकेदार को इजाजत दी है कि नहीं, इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री भैरूं सिंह--किसी ठेकेदार ने इसे काटने की अनुमति सरकार से मांगी या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--इसके लिये अलग प्रश्न करें।

श्री भैरूं सिंह--क्या यह सही है कि ईसरदा के बीड में सरकार का भी कोई इन्ट्रेस्ट था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--ईसरदा के बीड में ईसरदा के जागीरदार का इन्ट्रेस्ट था।

श्री भैरूं सिंह--किसी भी तरह से सरकार का इन्ट्रेस्ट इस बीड में था कि नहीं ?

श्री बृजसुन्द शर्मा--इसके लिये अलग प्रश्न करके जागीर डिपार्टमेंट से पूछें।

श्री भैरूं सिंह--अलग से जागीर डिपार्टमेंट से नहीं, मैं तो फोरेस्ट मिनिस्टर साहब से पूछ रहा हूं कि जागीरदार के इस फोरेस्ट में सरकार का कोई इन्ट्रेस्ट था कि नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--फोरेस्ट डिपार्डमेंट से वर्किंग प्लान देकर जंगल कटवाये जाते हैं। सरकार का कतई इन्ट्रेस्ट था, यह तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में बीड होता तो कहा जा सकता था; यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में नहीं था।

रावत श्री शम्भूसिंह--क्या यह सही है कि......

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूं सिंह--मेरा प्रश्न सीधा सा है कि जिस वक्त जागीरदार ने बीड काटने की इजाजत दी, सरकार ने उचित नहीं समझा कि उसे रोका जाय ?

श्री अध्यक्ष--उचित अनुचित की बात नहीं; आप फेक्ट्स पूछिये।

श्री भैरू'सिंह--ईसरदा के लोगों ने रिपोर्ट की कि सरकार को इण्ट्रेस्ट है तो फिर बिना जांच के ही सरकार ने कैसे कह दिया कि ईसरदा जागीरदार का इस्ट्रेण्ट है ?

श्री अध्यक्ष--No arguments. Government can say only about facts.

श्री भैरू'सिंह--यह तो मैं इन्फोर्मेशन मांग रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--इण्ट्रेस्ट क्या था ? Government is interested in everything whether it may be in possession or not.

श्री भैरू'सिंह--जितने रुपयों में ठेका दिया जाय, उनसे कम रुपयों में भी जागीरदार ठेका दे सकता है, उसकी ज्यादा कीमत उठे इसमें सरकार का इण्ट्रेस्ट हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--From the replies that have been given....

श्री बृजसुन्दर शर्मा--जहां तक मेरी जानकारी है ईसरदा में कोई इण्ट्रेस्ट सरकार का नहीं था ।

श्री भैरू'सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि वहां के लोगों ने जिस समय यह बीड़ अनुचित रूप से काटा जा रहा था तो उन्होंने सरकार को प्रार्थना पत्र दिये कि यह बीड़ अनुचित रूप से बेचा जा रहा है; क्या सरकार ने उन लोगों से जांच की कि किस कारण से उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया है और किस कारण से सरकार का इस्ण्ट्रेट बता रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--जिस समय बीड़ काटा जा रहा था, यह सरकार के चार्ज में नहीं था ।

श्री भैरू'सिंह--लोगों की शिकायत से मेरा प्रश्न है । क्या सरकार ने इसकी जांच लोगों की शिकायत पर की या नहीं ? इसमें सरकार का इण्ट्रेस्ट है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह तो एक ओपीनियन का प्रश्न है। इण्ट्रेस्ट है या नहीं, यह तो एक लीगल क्वेश्चन है ।

श्री श्रीदास गोयल--क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री ने इस संबंध में सही हालात मालूम करने के लिये कलेक्टर को आदेश दिये थे ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

श्री श्रीदास गोयल--इस पर तो अभी सप्लीमेण्ट्री पूछना है ।

क्या यह सही है कि वीरेन्द्रसिंह चौहान ने सरकार को लिखा कि यह सारी कार्यवाही इसलिये की जा रही है कि ठिकांना पुन:ग्रहीत किया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--बहुत से पत्र सरकार के पास आते रहते हैं।

श्री श्रीदास गोयल--क्या यह सही है कि इस बीड़ को सरकार में जागीर पुनःग्रहण के बाद दुबारा काटने की आज्ञा दी गई थी ?

श्री शम्भुसिंह--क्या जागीर पुनःग्रहण के समय यह बीड़ उनकी प्राइवेट प्रोपरटी में डिक्लेअर कर दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह प्रश्न आप जागीर विभाग से पूछें।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३०

भीलवाड़ा में नये पॉवर हाउस का शिलान्यास एवं इसके कार्य का प्रारंभ एवं समाप्ति

श्री तेजमल बापना--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(अ) भीलवाड़ा में नये पॉवर हाउस का शिलान्यास कब व किसने किया ?

(ब) इतने अर्से से इस पॉवर हाउस पर किस किस इन्जीनियर की देख रेख में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या मशीनरी वहां पहुंच चुकी है ?

(स) क्या यह सही है कि शिलान्यास के बाद वहां एक भी पत्थर आगे नहीं रखा गया है ?

(द) यदि हां, तो कब तक काम प्रारंभ व समाप्त होने की संभावना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)--(अ) भीलवाड़ा पॉवर हाउस का शिलान्यास तारीख ६-५-५६ को ९ बजे सुबह माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था।

(ब) यह कार्य श्री शिवराज असिस्टेंण्ट इंजिनियर की देख रेख में तथा श्री दुबे एग्ज़ीक्युटिव इंजिनियर (निर्माण) के संरक्षण में किया जाना है। केवल एंजिन आल्टरनेटर एवं कम्प्रेसर पंप स्थान पर पहुंच गए हैं।

(स) नहीं।

(द) दूसरा जरूरी सामान स्विचगीयर ट्रांसफोर्मर इत्यादि के लिये ऑर्डर दिया जा रहा है और विदेश से ये सामान आयात किया जावेगा। पॉवर हाउस का निर्माण कार्य अक्तूबर, १९५६ में किया जावेगा और मशीनरी के लगाने के कार्य को मार्च, १९५७ तक हो जाने की आशा की जाती है, अगर सामान जो अभी आने वाला है इस समय तक आ गया।

श्री अध्यक्ष--निर्माण कार्य अक्तूबर, १९५६ में हो जावेगा और मशीनरी का कार्य मार्च, १९५७ तक हो जावेगा ?

Page No 6

श्री तेजमल बापना—आपने शिवराजजी का कहा। वे कब तक वहां ठहरे या उन्होंने भीलवाड़ा देखा ही नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—एक इंजीनियर तो वहीं है और यह काम एग्जीक्युटिव इंजीनियर दुबे की देख रेख में है।

श्री तेजमल बापना—क्या वहां पर कोई सामान पहुंच गया है या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने बताया कि एंजिन आल्टरनेटर एवं कम्प्रेसर पंप वहां पहुंच चुके हैं और बाकी सामान बुक कर दिया गया है और वह भीलवाड़ा पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३१

तहसील सहाड़ा, रायपुर व मांडल (जिला भीलवाड़ा) में प्रथम पांच वर्षों में किये गये सार्वजनिक निर्माण कार्य

रावत श्री शंभुसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भीलवाड़ा की तहसील सहाड़ा, रायपुर और मांडल में विगत पांच वर्षों में सार्वजनिक निर्माण कार्य सड़कें, इमारतें इत्यादि कहां कहां बनाई गई व उन पर क्या क्या खर्चा हुआ ?

(ख) इस संबंध में अब फिर कहां कहां की मांग सरकार के पास है और वह कब तक पूरी की जा सकेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है।
(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) मांग तो हर जगह की बेहिसाब आती रहती है, जिनमें कुछ आवश्यक भी जान पड़ती हैं। इनके पूरे होने का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। सारे राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रकम में से जो कुछ हो सकता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कराया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३२

राजस्थान में निर्माण कार्य श्रमजीवी पत्रकार कानून के लागू होने की तिथि एवं उसके आधीन सरकार द्वारा शासकीय कदम

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्रमजीवी पत्रकार कानून राजस्थान में कब से लागू हुआ ?

[श्री भैरोंसिंह]

(ख) उसके अधीन श्रमजीवी पत्रकारों को सुविधायें देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या इस कानून को क्रियान्वित करने के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

(घ) राजस्थान में अब तक किस किस समाचार पत्र द्वारा स्टेंडिंग ऑर्डर्स Employment कानून के अन्तर्गत अपने कार्यालय में स्टेंडिंग ऑर्डर्स लागू किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री)--(क) २१ दिसम्बर, १९५५ से।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त समझौता अधिकारी (Conciliation Officer) इस कानून के अन्तर्गत भी समझौता अधिकारी का कार्य करते हैं ।

(ग) इस कानून को कार्यान्वित करने के लिये किसी अलग अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है । इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९४७ के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी इस कानून को कार्यान्वित करेंगे । केवल इस कानून की धारा १७ के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों के द्वारा अपना दावा पेश करने के लिये श्रम आयुक्त को अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) इस संबंध में श्रम आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार के ध्यान में यह शिकायत है कि श्रमजीवी पत्रकारों के मालिक उनको समय पर तनख्वाह नहीं देते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह मेरी जानकारी में नहीं आई है ।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार के यह ध्यान में है कि कुछ दिन पहले श्रमजीवी पत्रकारों ने दाढ़ी बढ़ा कर अपने मालिकों के व्यवहार का प्रोटेक्शन पाने के लिये प्रदर्शन किया कि उनको वक्त पर वेतन नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--इससे क्या, चाहे वे डाढ़ी बढ़ावें या......

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार के यह ध्यान में है कि अभी अभी जो श्रमजीवी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था उसके लिये कुछ पत्रों ने अपने कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से निकालने की कार्यवाही की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--अभी तक ऐसी कोई बात सरकार की जानकारी में नहीं आई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार को मालूम है कि कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था और उसमें उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पास किया था ?

Page No 8

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास नहीं आया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वेज बोर्ड की नियुक्ति के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जो सुविधाएं उनको अभी दी गई हैं वे करीब करीब नहीं के बराबर हैं।

श्री अध्यक्ष--It is a Question of opinion.

श्री हरिकृष्ण व्यास--वेज बोर्ड की नियुक्ति सरकार कब तक करने की आशा रखती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह मामला सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के विचाराधीन है, सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट इस पर विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--राजस्थान सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-सेंटर में जब कानून बन जावेगा उसके बाद यहां लागू कर दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास-सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-हर एक पत्र वालों को यह पूछा गया है कि कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। उनका जवाब आने पर स्टेंडिंग ऑर्डर प्रकाशित करने के लिये लिखा जावेगा और बाद में मुनासिब कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या उनको अदालत में कार्यवाही करनी पड़ेगी। कुछ पत्रों ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों को नोटिस देकर मोअत्तिल कर दिये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--अगर आप इसकी सूचना देंगे तो उस पर गौर किया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पत्र नवयुग ने ६ श्रमजीवी पत्रकारों को हाल ही में नौकरी से अलग कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--नवयुग वाले आ जावें तब यह.....

श्री हरिकृष्ण व्यास--सरकार को भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३३

भीलवाड़ा से गंगापुर होता हुआ रेलवे स्टेशन कुंवारा तक सड़क बनाने के कार्य का प्रारंभ एवं अपूर्ण कार्य की समाप्ति की अवधि

रावत श्री शंभुसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाड़ा से गंगापुर होकर रेलवे स्टेशन कुंवारा तक सड़क बनाने का कार्य किस साल आरंभ हुआ ? इस सड़क की लम्बाई पोटला तक कितने मील है और उसके आगे कुंवारा तक कितने मील है ?

(ख) उपरोक्त कार्य का ठेका कितने रुपयों में किस किस व्यक्ति को दिया गया ? क्या उसने नियत अवधि में कार्य पूरा कर दिया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अपूर्ण कार्य किस प्रकार का किस किस स्थान पर कितना कितना रह गया है और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) सन् १९५३ ई. में भीलवाड़ा से पोटला तक लम्बाई ३२ मील है. और इसके आगे कुंवारा तक १२ मील ५ फर्लांग है।

(ख) वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

कार्य संख्या	नाम ठेकेदार	मील	अनुमानित रकम
१.	श्री लालूराम	४:४	३०,००० रु०
२.	श्री राम बिजाभगू	३:१	५७,६४१ रु०
३.	श्री अर्जुनदेव	५:०	६३,०८७ रु०
४.	श्री अर्जुनदेव	४:०	७१,३८० रु०
५.	श्री अर्जुनदेव	३:४	७५,७०५ रु०
६.	श्री ओम् कार्यालय	२:५	५५,८३० रु०

पहिले हिस्से के ठेकेदार ने अवधि में कार्य समाप्त किया व अन्य ने नहीं। अवधि में समाप्त नहीं होने के कारण कुछ तो रोडरोलर नहीं मिलना है, कुछ ठेकेदारों के कार्य की धीमी प्रगति।

(ग) भाग (ख) में बनाये गये कार्य सब पूर्ण हो चुके हैं और १२॥ मील सड़क बनना और बाकी है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण हो जावेगी।

रावत श्री शंभुसिंह—क्या यह सही है कि सड़क बनने में प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि ठेकेदारों को वक्त पर चुकारा नहीं किया जाता ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जैसा कि मैंने अर्ज किया सब कार्य पूरा हो चुका है। अगर कुछ लोगों को चकारा नहीं हुआ होगा तो उसका कारण यह है कि वक्त पर कुछ लोगों को रोड रोलर्स नहीं मिले उन्होंने काम पूरा नहीं किया होगा, लेकिन यह सही नहीं है कि किसी को पैसा चुकारा न होने के कारण काम रुका हो।

श्री तेजमल बापना—जिन लोगों ने काम ही शुरू नहीं किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जिन ठेकेदारों ने वक्त पर काम नहीं किया उनको पेनेल्टी लगाई जायगी लेकिन जिन जगहों के लिये पूछा गया वहां तो सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न संख्या १३४

तारानगर राजगढ़ रोड़ (जिला चुरू) के जीर्णोद्धार हेतु इस स्वीकृत धन-राशि एवं इसकी प्रारंभ तिथि

श्री प्रभुदयाल--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तारानगर राजगढ़ रोड जिला चुरु के लिये कितनी रकम इस वर्ष मंजूर हुई है व इसका कार्य कब शुरु हो जावेगा ?

(२) उपरोक्त सड़क पर तारकोल आदि डालने की मांग कब से की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बसों का चलना मुश्किल हो गया है ?

(४) क्या सरकार किसी विशष अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री रामचन्द्र चौधरी--(१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में ५०,००० रुपये।

(२) द्वितीय च व यि योजना के समय में।

(३) लगभग १ वर्ष।

(४) नहीं।

(५) नहीं। आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या १३५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बूंदी के लिये मैटल्ड रोड्स बनाने सम्बन्धी अन्तिम सूची

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the P. W. D. Minister be pleased to state :—

(*a*) Has the Government prepared a finalised list of metalled roads for Bundi district under the Second Five Year Plan?

(*b*) How much amount does the Government propose to spend in the Second Five Year Plan on these roads?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(*a*) Yes.

(*b*) Rs. 13,23,000 approximately.

महाराज श्री केसरीसिंह—Road from Bundi to Lakheri, is it included in the list?

श्री रामचन्द्र चौधरी—Metalled road from Itawa to Lakheri has been included in the Second Five Year Plan. It is fifteen miles.

प्रश्न संख्या १३६

पोटला (त. सहाडा) के बाहर सड़क निर्माण हेतु सर्वे एवं जनता द्वारा विरोध में प्रार्थना-पत्र

रावत श्री शंभुसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देन की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा जिले में तहसील सहाडा के अन्तर्गत पोटला के बाहर होकर क्या कोई सड़क गुजरती है ? यदि हां, तो कहां कहां से होकर ?

(ख) क्या दूसरी तरफ गांव से मिले हुए खेत हैं जिनके अन्दर से सड़क निकालन के लिये सर्वे किया गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या जनता ने इसके विरोध में सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ?

(घ) नई सड़क कितनी बननी है ? उसके बनाने में कितना खर्चा लगेगा और खेती का कितना नुकसान होगा ? इसके लिए सरकार क्या विचार करती है ?

(ङ) क्या निर्माण विभाग ने जनता की मांग स्वीकार कर पुरानी सड़क को जारी रखना और नई सड़क नहीं बनाना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) हां। सहाडा व पोटला के पश्चिमी हिस्से में होती हुई कांकरोली तथा उदयपुर जाती है।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(ख) नहीं।

(ग) (घ) (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रावत श्री शंभुसिंह—भाग ख, ग, घ, ङ, च का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया, "नहीं"।

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसका अलाइन्मेंट पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ किया जाता है। यह सही बताया गया है। अलाइनमेंट पूर्व की तरफ है इसलिये सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १३७

मारोठ से सीकर तक जाने वाली सड़क का ठेका एवं उस कार्य के समाप्त करने की अन्तिम अवधि

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मारोठ से सीकर जाने वाली सड़क का ठेका किस किस को कहां से कहां तक दिया गया है? ठेके की शर्त के अनुसार यह काम कब तक समाप्त हो जाना चाहिये? कृपया इस प्रकार के एग्रीमेंट की एक कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(ख) क्या सरकार का द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन रेनवाल से रामगढ़ तथा रींगस से दांता तक सड़क बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) वांछित सूचना माननीय सदस्य को बता दी गई है और सदन की मेज पर रख दी गई है। (कृपया परिशिष्ट २ देखिये)।

(ख) हां। रेनवाल से दांता रामगढ़ की सड़क के कुछ हिस्से को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया है जो योजनानुसार बनाई जायगी। रींगस से दांता रामगढ़ की सड़क को नहीं।

इस रामगढ़ तहसील में निम्नलिखित सड़कें और बन रही हैं:—

(१) रींगस से सीकर।

(२) मारोठ से सीकर की सड़क का हिस्सा।

श्री भैरूंसिंह—क्या रेनवाल से रामगढ़ तक सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—आपने रेनवाल से रामगढ़ का नहीं बल्कि रींगस से रामगढ़ तक की सड़क का पूछा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह पूछा है कि रींगस से दांता रामगढ़ तक सड़क बनाने का विचार है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—दांता रामगढ़ के कुछ हिस्से को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ।

प्रश्न संख्या १३८

दौसा से पापड़दा तक सड़क बनाने संबंधी शासकीय कार्यवाही

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि दौसा से पापड़दा तक एक रोड बनाने की योजना गत १६४५ से चल रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इस सड़क के बनाने की योजना नहीं है ।

प्रश्न संख्या १३६

जयपुर स्टेशन पर जुलाई १६५५ में आबकारी अधिकारियों द्वारा बम्बई भेजी जाने वाली ३५० शराब की बोतलों का पकड़ना

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या जयपुर स्टेशन पर जुलाई सन् १९५५ में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ३५० बोतल शराब (५८ ओ. पी.) बिल्टी द्वारा बंबई भेजी जाती हुई गिरफ्तार की गई थीं ?

(ख) क्या यह सही है कि जैन केमिकल एन्ड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स, जयपुर को जून सन् १९५५ में आबकारी विभाग द्वारा इस फर्म द्वारा तैयार किये गये अल्कोहोल प्रोडक्ट्स(spiritous preparations) की एक्साइज ड्यूटी देकर इम्पोर्ट करने वाली स्टेट का परमिट प्राप्त कर एक्सपोर्ट करने की आज्ञा प्रदान की गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि कुछ दिन पश्चात् एक्साइज ड्यूटी देने की तथा इम्पोर्टिंग स्टेट से परमिट प्राप्त करने की शर्त हटा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ओरीजिनल आॅर्डर और अमेन्डिग आॅर्डर्स की एक २ प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(घ) क्या यह सही है कि इसी प्रकार का एक कन्साइनमेन्ट बंबई भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो ऐसा कन्साइनमेन्ट भेजने से पूर्व फर्म द्वारा विभाग को सूचना दी गई या नहीं ? यदि हां, तो क्या इस कन्साइनमेन्ट की जांच करवाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[श्री भैरोंसिंह]

(ङ) क्या यह सही है कि इस विभाग के कमिश्नर को यह अधिकार नहीं है कि बंबई स्टेट की बिना रिक्वायरमेन्ट्स के बंबई के लिये अल्कोहल प्रिपेरेशन भेजने का परमिट दे दे। यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जुलाई सन् १९५५ में कोई शराब जयपुर स्टेशन पर बंबई जाते हुए गिरफ्तार नहीं की गई। अलबत्ता आबकारी इन्सपेक्टर जयपुर सिटी द्वारा २८-११-५५ को ३०० बोतलें Tincture Zinjiberri Miths (शराब मिली हुई दवाई) की गिरफ्तारी की थी। यह बोतलें भक्तीनगर से बुक की गई थीं।

(ख) हां।

(ग) हां, क्योंकि दुबारा गौर करने पर यह ज्ञात हुआ कि ऐसी शर्त केवल उस हालत में रखी जा सकती है जब कि दूसरे राज्यों के साथ reciprocal arrangements हों क्योंकि ऐसे reciprocal arrangements दूसरे राज्यों के साथ थे नहीं, मेसर्स जेम केमीकल वर्क्स, जयपुर, के आवेदन पर दूसरे राज्यों का import परमीट प्राप्त करने की शर्त हटा दी। दोनों आज्ञाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(घ) उपरोक्त मामले की जांच के सम्बन्ध में पूर्व में एक कन्साईनमेन्ट का भेजा जाना ज्ञात हुआ। यह कन्साइनमेन्ट मेसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, जयपुर, द्वारा बुक कराया गया था किन्तु जांच करने पर इस नाम की कोई फर्म होना नहीं पाया गया।

(ङ) राजस्थान एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत एक्साइज कमिश्नर को export परमिट देने का अधिकार है, किन्तु बम्बई राज्य में prohibition होने के कारण ऐसे परमिट बम्बई राज्य के लिये नहीं दिये जाते हैं।

श्री भैरूं सिंह—इस विभाग के कमिश्नर ने बिना बंबई स्टेट को पूछे जो परमिट दिया उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—कमिश्नर एम्पॉवर्ड है।

श्री भैरूं सिंह—जिस स्टेट के अन्दर कोई भी लिकर इम्पोर्ट नहीं की जा सकती उस स्टेट को बिना पूछे परमिट दिया गया, इस संबंध में कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—वहां रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं था, बाद में जांच की गई तो मालूम हुआ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है राजस्थान सरकार बंबई सरकार की आज्ञा बिना उस स्टेट में अल्कोहल नहीं भेज सकती ?

श्री अमृतलाल यादव—हां, सही है।

Page No 15

श्री भैरूं सिंह—फिर ऐसी पर्मिशन क्यों दी गई ? क्या सरकार ने उचित नहीं समझा कि बंबई सरकार की अनुमति ली जाय ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपको पढ़कर सुनाया, बाद के आर्डर में उसको निकाल दिया गया "....permit for it from the State importing it". Kindly delete the third line of the above order".

श्री भैरूं सिंह—क्या यह शर्त हटा दी गई थी, बंबई से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—जहां बंबई आदि स्टेटों में प्रोहिबिशन है वहां रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं था। वहां एक्सपोर्ट का सवाल है। इस कारण एक्सपोर्ट का सवाल था नहीं तो बिना परमिट भी ले जा सकते थे।

श्री भैरूं सिंह—क्या बिना परमिट भी ले जा सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो उनकी जिम्मेदारी है। एक्सपोर्ट का परमिट दे सकते हैं।

श्री भैरूं सिंह—क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसा कोई परमिट देने से पहले बंबई सरकार की अनुमति प्राप्त करे ? अगर परमिट प्राप्त नहीं किया तो क्या ऐसी शर्त उनसे हटा दी गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं, उसके जांच के बाद हटा दी गई थी।

श्री भैरूं सिंह—क्या ऐसा परमिट देने से पहले जांच करना आवश्यक नहीं समझा ? रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जून का ऑर्डर था, जुलाई में जांच करके मालूम कर लिया गया था। इस प्रकार जुलाई में आर्डर की दुरुस्ती हो गई।

श्री भैरूं सिंह—क्या जून और जुलाई के बीच में एक कन्साइनमेन्ट बंबई भेज दिया गया था उसको गिरफ्तार करने के लिये; बंबई के कमिश्नर को टेलीग्राम दिया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव—जांच हो रही है।

श्री भैरूं सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि जून और जुलाई के बीच में कोई कन्साइनमेन्ट बंबई भेजा गया या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—एक कन्साइनमेन्ट अक्टूबर के महीने में पकड़ा गया था। जून और जुलाई में जो कन्साइनमेन्ट भेजा गया उसके बारे में ऐसा मालूम हुआ है, जांच चल रही है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार की अनुमति देने से पहले उस समय के कमिश्नर को हिदायत की थी कि राजस्थान में एक्साइज टेक्स लेने के बाद में बंबई भेजने की अनुमति दी जाय ?

Page No 16

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई बात नहीं ।

श्री भैरूं सिंह—कमिश्नर को एक्साइजेबल टेक्स लेने की कोई हिदायत नहीं थी ?

श्री अमृतलाल यादव—माल जो एक्सपोर्ट होता है, उस पर एक्साइजेबल टेक्स लेने का अधिकार है । टेक्स लेकर जाने देते हैं। एक्साइज ड्यूटी लेने का जनरल आर्डर था। जिन स्टेट्स के साथ रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं था उनकी जांच करके बाद में अरेन्जमेन्ट किया गया ।

श्री भैरूं सिंह—उसे परमिट देने की सरकार ने आज्ञा दी थी कि एक्साइजेबल टेक्स लेकर उस माल को जाने की आज्ञा दी थी, क्या उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—उस आर्डर का क्या किया, डिजोल्व किया, विड्रा किया ?

श्री भैरूं सिंह—जी हां ।

श्री अमृतलाल यादव—क्या किया, यह तो मैंने बताया था आपको । पढ़कर सुनाया था कि "............permit for it from the State importing it."

इसकी नकल आपके पास है, और वही नकल मेरे पास है । मैंने आपको कापी दी है ।

श्री भैरूं सिंह—यह आर्डर किसने लिखा है कि "No duty will be charged on such exportable commodities". यह आर्डर क्यों दिया, जब कि क्लीयर कट ये आदेश थे कि कोई भी एक्सपोर्ट किये जाने वाला माल बिना एक्साइजेबल ड्यूटी चुकाये बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव—यह इसलिये किया गया कि जिस स्टेट में यह माल जाने वाला था उस स्टेट के साथ हमारा ऐसा कोई प्रोपर अरेन्जमेन्ट नहीं था, कोई रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं था ।

श्री भैरूं सिंह—क्या ऐसे भी आदेश हैं कि कमिश्नर एक्साइजेबल ड्यूटी भी माफ कर दे ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं ।

श्री भैरूं सिंह—तो फिर कमिश्नर साहब ने ऐसा आर्डर क्यों दिया और इस तरह से इस रूल की अवहेलना क्यों की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया कि उस स्टेट के साथ हमारा रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट नहीं था, इसलिये पहले तो कमिश्नर ने ऐसा आर्डर दिया कि एक्साइजेबल ड्यूटी ली जावे; पर बाद में रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट न होने की बात मालूम होने पर वह आर्डर वापिस लिया और माल को वैसे ही जाने दिया ।

श्री अध्यक्ष—Next. What is the question and what is the reply. I have not been able to follow what was the question and the reply in spite of my best attention.

Page No 17

श्री दामोदरलाल व्यास—There was no substance in the Question.

प्रश्न संख्या १४०

चाकसू से फागी (जिला जयपुर) तक बन रही सड़क का शेष कार्य

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जयपुर के अन्तर्गत चाकसू से फागी तक जो सड़क बनाई जा रही है उसका कार्य कितने अर्से से चालू है ?

(ख) अब तक कितने मील तक सड़क बना दी गई है और कितने मील बनना बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) ३१ मार्च, सन् १९५४ से ।

(ख) ६ मील ३ फर्लांग सड़क बन चुकी है, ८ मील ३ फर्लांग में सड़क का माल तैयार है और बाकी ७ मील ५ फर्लांग में काम चालू है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह सड़क कब तक बन कर पूरी हो जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मार्च, १९५७ तक पूरी हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४१

ब्याना से भुसावर होती हुई छोकरवाडा तक की सडक को डामर रोड बनाने संबंधी

श्री तेजपाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि ब्याना से भुसावर होती हुई छोकरवाडा तक २२ मील सडक का टुकडा बहुत खराब हो चुका है ?

(ख) अन्य जगहों की भांति इस सडक को डामर रोड न बनाने का क्या कारण है और कब तक इसे ठीक कराने का विचार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जानकारी है ।

(ख) ध्यान है । साधारण मरम्मत कराई जा रही है । इसकी विशेष मरम्मत की आवश्यकता है । इसके लिये जैसे जैसे धन मिलेगा समय समय पर कराई जावेगी । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ब्याना से सडक का दस मील तक का टुकडा डामर कराया जाने को है ।

प्रश्न संख्या १४२

सहकारी समिति दातारामगढ के साथ हजार रुपयों का स्थानीय कार्यकर्त्ता द्वारा किये गये गबन पर शासकीय कार्यवाही

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सहकारी समिति दातारामगढ के लगभग ७०००) रुपये वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ने हजम कर लिये हैं और वहां की जनता ने इस संबंध में अनेक पत्र सरकारी अधिकारियों को दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(क) जी हां। यह सही है कि ७ हजार रुपया भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री नारायणलाल चौधरी की ओर निकल रहा है।

(ख) हां, इस स्टोर के अन्य सदस्यों की ओर से इस संबंध में कई शिकायती पत्र आये जिनकी जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त रकम का मामला सहकारी स्टोर और उसके भूतपूर्व मंत्री श्री नारायणलाल चौधरी के मध्य में विवाद ग्रस्त है। अतः राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा ६१ के अन्तर्गत मामला आर्बिट्रेशन बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार ने ऐसी भी आज्ञा दी थी कि सात हजार का गबन हुआ है और इसकी जांच की जावे कि गबन के मामले में कोऑपरेटिव सोसायटी क्या एक्शन ले सकती है ?

श्री खेतसिंह—जी हां, यह जब हमारे विभाग को मालूम हुआ तब उसने यह आर्बिट्रेशन बोर्ड मुकर्रर किया और उसके समक्ष यह मामला पेश किया।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि कोओपरेटिव सोसाइटी की एन्क्वरी से भी यह सिद्ध हो चुका है कि गबन हुआ है ?

श्री खेतसिंह—जी नहीं, यह सही नहीं है, गबन नहीं हुआ है। यह रकम उनमें बाकी जरूर है। सवाल यहां गबन का नहीं पैदा होता। एक कहते हैं इतना पैसा बाकी है, वह कहता है इतना रुपया बाकी नहीं है। यह मामला चल रहा है। इसलिये इसे हमने आर्बिट्रेशन बोर्ड को दे दिया है। वह अपना फैसला देगा तो रुपया जिससे वसूल करना है, उसे किया जावेगा।

श्री भैरू सिंह—यह मामला सरकार के कब से विचाराधीन है ?

श्री खेतसिंह—इसकी कोई मुकर्रर तारीख तो नहीं दे सकता पर यह मामला विचाराधीन है और आर्बिट्रेशन बोर्ड के पास है, यह मैं सूचना दे सकता हूं।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि एक इन्सपेक्टर ने फैसला दिया है अपनी जांच के सिलसिले में कि यह सात हजार रुपया उक्त नारायणलाल में नहीं है ?

श्री खेतसिंह-जी हां, पर हमने इसको नहीं माना है। इसमें तीन सदस्य थे। उस रिपोर्ट पर तीनों के दस्तख्त नहीं हुए, इसलिये इस मामले को फिर बोर्ड को सौंपा है और कहा गया है कि एक आदमी पार्टी की तरफ से है, दूसरा दूसरी पार्टी की ओर से और एक डिपार्टमेंट की ओर से है। तीनों की फाइनल रिपोर्ट पर फैसला होगा और इसके बाद में यह रकम वसूल की जावेगी।

श्री भैरूंसिंह--प्रश्न यह है कि जो इन्क्वायरी की गई है, उसमें क्या इस बात का निर्णय दे दिया गया है कि ७ हजार की कोई बकाया नहीं है ?

श्री खेतसिंह--मैंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और मामला आर्बिट्रेशन बोर्ड के पास जांच के लिये है।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि उक्त इन्सपेक्टर को एक मिनिस्टर साहब की वाइफ ने कहा है कि इस मामले को क्लोज कर दिया जावे और इसका जिक्र उनकी रिपोर्ट में है और वह सरकारी कागजों में शामिल है ?

श्री खेतसिंह--यह आपकी मनघड़न्त कहानी है।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि उक्त इन्सपेक्टर ने दो फैसले दिये हैं और दोनों भिन्न भिन्न हैं और ये दोनों आपकी फाइल में शामिल हैं ?

श्री खेतसिंह--मैंने अर्ज किया कि अभी फाइनेली तय नहीं हुआ है यह मामला और आर्बिट्रेशन बोर्ड के पास है। जो एन्क्वायरी की रिपोर्ट इन्सपेक्टर ने दी है उसे डिपार्टमेंट ने नहीं माना है। आप इन रिपोर्टों में क्यों इतने इन्टरेस्टेड हैं ? आप तो यह देखिये कि रुपया कितना बाकी है और वह किस तरह से वसूल किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह सोसायटी की अकाउन्ट बुक किसके कब्जे में है ?

श्री खेतसिंह--सारा हिसाब आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं पूछता हूं कि किसके कब्जे में है इस समय ? आर्बिट्रेशन बोर्ड के कब्जे में है क्या ?

श्री खेतसिंह--उनके सामने पेश की गई हैं ये किताबें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि अकाउन्ट्स बुक्स के इन्दराज के मुताबिक ये सात हजार रुपये दरअसल उसमें बाकी निकलते हैं, इतना ही नहीं पर फाल्स अकाउन्ट बता कर रुपयों का गबन किया गया है और यह एक गबन का केस बनता है ?

श्री खेतसिंह--यह तो आपका ख्याली पुलाव है। उनमें रुपया जरूर निकलता है, पर कितना निकलता है कितना नहीं, यह बोर्ड छानबीन करके बतावेगा।

Page No 20

श्री अध्यक्ष—He is a vegetarian.

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह जो अकाउन्ट्स बुक्स हैं, अध्यक्ष महोदय । मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी एन्ट्रीज के मुताबिक रुपया बाकी निकलता है तो उन एन्ट्रीज की जांच किसने की ?

श्री खेतसिंह--एन्ट्रीज की जांच बोर्ड कर रहा है । पहले इन्सपेक्टर ने की थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन्सपेक्टर ने जो एन्ट्रीज की जांच की थी उस समय इन अकाउन्ट्स बुक्स के बारे में क्या ओपीनियन उसने जाया की थी ?

श्री खेतसिंह--कोई फाल्स अकाउन्ट नहीं बताया गया । उसमें यह जरूर है कि इतना रुपया बाकी निकलता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि यह रुपया उसने अपने दूसरे कामों में लगाया । तो क्या कानून के अन्तर्गत यह डिफाल्केशन में नहीं आता ?

श्री खेतसिंह--यह तो आर्बिट्रेशन बोर्ड जो तय कर देगा उसके ऊपर कार्यवाही की जावेगी और अगर बोर्ड कहेगा तो केस बना दिया जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि सहकारी इन्सपेक्टर ने सबसे पहले यह रिपोर्ट की थी कि दो हजार का गबन हुआ है और पांच हजार बाकी हैं ?

श्री खेतसिंह--पहली रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, देखकर बता सकता हूं ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि यदि इस प्रकार की रिपोर्ट में बात मालूम हुई तो क्या यह केस मामला चलाने के लिये पुलिस में दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट । (घंटी)

श्री किशनलाल शाह--अभी तक की एन्क्वायरी से पता तो चला होगा कि किस व्यक्ति के पास रुपये रहते थे और उसके लिए जिम्मेवार कौन था ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)--सेक्रेटरी के पास रहते थे और सेक्रेटरी उनका हिसाब रखता था ।

श्री किशनलाल शाह-यह प्रश्न कैसे उठा कि वह रुपये नारायणलाल जोशी के पास नहीं हैं?

श्री खेतसिंह--श्री नारायणलाल जोशी का यह कहना है कि मैंने तो रुपये दे दिये और मेम्बर कहते हैं कि पूरे नहीं दिये । यही टसल चल रही है और इसके लिए ही आर्बिट्रेशन बोर्ड मुकर्रर हुआ है, जिसमें एवीडेन्सेज पेश कर दी गई हैं और रेकार्ड पेश हो जायगा, उसके बाद निर्णय हो जायगा और बाकी निकलगे तो वह वसूल कर लिये जायेंगे ।

Page No 21

श्री किशनलाल शाह--फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह खयानत का मामला नहीं बनता है ?

श्री खेतसिंह--खयानत तो तब होता है कि वे रुपया नहीं दें। वे रुपया देने को नटत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह लीगल मेटर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--एकाउन्ट्स बुक्स के हिसाब से वे रुपये किसके पास होने चाहिये ? What is the entry in the Accounts Books? In whose custody was that amount?

श्री अध्यक्ष--That is subject to enquiry?

श्री हरिकृष्ण व्यास--एकाउन्ट्स बक्स कब्ज में हैं और उनकी जांच हो चुकी है। एकाउन्टस बुक्स के तहत रुपया किसके पास होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--रुपया उन्हीं के कब्जे में होना चाहिये।

(हंसी)

श्री किशनलाल शाह--क्या आप यह मामला एन्टीकरप्शन को देने को तैयार हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि श्री नारायणलाल जोशी तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं ?

श्री अध्यक्ष--Why are you so anxious?

प्रश्न संख्या १४३

श्री छंगाराम--(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४४

जहाजपुर-देवली सडक को डामर रोड करना

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देन की कृपा करेंगे :--

(अ) जहाजपुर, देवली सडक डामर रोड कब तक हो जावेगी ?

(ब) इस सडक पर काम करने वाले ठेकेदार का क्या नाम है ?

(स) यह सडक कितनी डामर रोड हो चुकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(अ) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ब) कुछ हिस्से की दुरुस्ती का ठेका श्री कर्णसिंह ठेकेदार को दिया गया है।

(स) प्रश्न पैदा नहीं होता।

Page No 22

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--सुनने में नहीं आया, साहब ।

श्री अध्यक्ष:--ध्यान दीजिए ।

(१) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।
(२) कुछ हिस्से की दुरुस्ती का ठेका श्री कर्णसिंह ठेकेदार को दिया गया है ।
(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।"

सुन लिया न अब तो आपने ।

प्रश्न संख्या १४५

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाये जानेवाली शाहपुरा जहाजपुर रोड के निर्माण कार्य की समाप्ति होने की अवधि

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(अ) क्या यह सही है कि शाहपुरा जहाजपुर सडक जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बन जानी चाहिये थी अब तक आधी भी नहीं बनी है ?

(ब) यदि हां, तो यह सडक कब तक संपूर्ण बनकर तैयार हो जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(अ) जी नहीं ।

(ब) जी हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या यह सही है कि इस सडक का कुछ पैसा दूसरी जगह लगा दिया गया है ?

श्री चौधरी--नहीं ।

श्री उपाध्याय--यह अब तक कम्प्लीट क्यों नहीं हुई ?

श्री चौधरी--बताया न कि कम्प्लीट हो जायगी ।

श्री उपाध्याय--अब यह कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री चौधरी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ।

श्री अध्यक्ष--पुरःस्थापित होने वाले विधेयक, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

(अनुपस्थित)

राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६

वर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि एवं प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ज्य बोहरेगत के लेनदेन को विनियमित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के स्थापन के हेतु नियत समय को १८ अक्टूबर, १९५६ तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त समय तक अवधि बढ़ाई जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य बोहरगत के लेनदेन को नियमित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—राजस्थान सरकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६ क्लॉज ११

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६
(पुरःस्थापन)

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—श्री बद्रीप्रसादजी वाला बिल मैं पुरःस्थापित कर दू।

श्री अध्यक्ष—पहले से तैयार होना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, ५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा ान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६
(अगेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६। क्लॉज ११, ी अमतलाल यादव।

Page No 24

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री):—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज ४१ पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष—११ नहीं लेंगे क्या ?

श्री यादव—११ डेफर्ड कर दिया था, इसलिये ४१ को पहले ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—११ तो डेफर्ड कर दिया था।

श्री अध्यक्ष—So the deferred clause will now be taken

श्री भैरूसिंह—अगले सेशन में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—ऑल राइट, जवाब दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, खंड ११ के उपखंड (१) पर राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक में, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"शब्द 'अनौचित्य', या 'अधिकार क्षेत्र' और 'अथवा कार्य प्रणाली का अपालन' को विलोपित किया जाय और शब्द 'या' शब्द 'फार्म' के पहले जोड़ा जाय"।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कौनसा अमेन्डमेन्ट है साहब ? सर्क्यूलेट नहीं हुआ है

श्री अध्यक्ष—किस पर मूव किया है।

श्री यादव—खंड ११ पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तो क्लॉज ४१ अन्डर कन्सीडरेशन है।

श्री अध्यक्ष—११ और २१ पास कर लें, फिर ४१ लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कापी नहीं मिली, सर्क्युलेट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—Circulated long ago.

श्री अमृतलाल यादव—खंड ११ में यह शब्द इस प्रकार हैं:—"इस अध्याय के अधीन किसी कुर्की या विक्रय के करने में घटित कोई दोष, अनिमियतता, अनौचित्य, फार्म या अधिकार क्षेत्र का अभाव अथवा कार्य प्रणाली का अपालन ऐसी कुर्की या विक्रय को अमान्य नहीं करेगा"। यह मूल क्लाज है।

इसमें मेरा संशोधन यह है कि "अनौचित्य", 'या अधिकारक्षेत्र' और 'अथवा कार्य प्रणाली का अपालन' शब्द इसमें से विलोपित कर दिये जांय तो यह क्लाज इस प्रकार हो जायगा:—

"इस अध्याय के अधीन किसी कुर्की या विक्रय के करने में घटित कोई दोष, अनियमितता या फार्म का अभाव ऐसी कुर्की या विक्रय को अमान्य नहीं करेगा"। इसमें से "अनौचित्य", "या अधिका

Page No 25

[श्री अमृतलाल यादव]

क्षेत्र" और 'अथवा कार्य प्रणाली का अपालन' यह विलोपित हो जायगा । ऐसा ही उस दिन माननीय सदस्य का जो संशोधन था वह पूरी धारा को विलोपित करने का था । उस पर बोलते हुए मैंने स्वीकार किया था कि उसके लिये में स्वयं ही संशोधन पेश कर दूंगा, और उसी के मुताबिक मैंने यह पेश किया है, और मैं समझता हूं कि उसको इस रूप में स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि जो संशोधन....

श्री हरिकृष्ण व्यास—बहस हुई बाकी......

श्री अध्यक्ष—That has been accepted, your suggestion has been accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस दिन रिप्लाई नहीं दिया था ।

श्री अध्यक्ष—When your suggestion has been accepted there is no question of reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It was only in part.

श्री अध्यक्ष—When the Hon'ble Member's suggestion has been totally accepted there is no question of prolonging the debate.

श्री हरिकृष्ण व्यास—"अनियमितता" बाकी रह गई साहब ।

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ११ में श्री अमृतलाल यादव ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ११ में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ को, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ११, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज २१

श्री अमृतलाल यादव--माननीय अध्यक्ष जी, क्लाज २१ में जो उन्होंने आपत्ति उठायी थी उसके लिये उस दिन भी निवेदन किया था। ओरिजिनल बिल हिन्दी में ही पास कर रहे हैं। अंग्रेजी की ट्रांस्लेशन में वह वर्ड आ गया था। वह हिन्दी में तो मूल रूप में ठीक है। अंग्रेजी में उसको करेक्ट कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष--What is that word.

श्री हरिकृष्ण व्यास--"Professed."

श्री अमृतलाल यादव--हां, "Professed"

"When a sale has been made in professed exercise of a power of sale under section 14 and has been confirmed under sub-section (3) of section 15....etc."

हिन्दी में यह नहीं है। उसमें यह लिखा हुआ है कि "जब कोई विक्रय, धारा १४ के अन्तर्गत विक्रय की शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया है और उसकी पुष्टि धारा १५ की उप-धारा (३) के अन्तगत की गई है तो खरीददार के हक पर इस कारण से कोई आपत्ति नहीं उठायी जावेगी कि वगैरह" वगैरह"। इसमें "प्रोफेस्ड" वर्ड नहीं है। मूल रूप में हिन्दी में यह बिल है। हिन्दी के बिल को ही स्वीकार किया जाय। अंग्रेजी में ट्रांस्लेशन ठीक कर दी जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष--जवाब दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा स्टेटमेंट "प्रोफेस्ड" शब्द अकेले पर नहीं है। इसको उस दिन डेफर किया गया था। तो फिर "अनऑथोराईज्ड टैक्स" किसको माना जावेगा, यह साफ नहीं हुआ था। इसके लिये पहले साफ कर दें। "ऑथोराइज्ड टैक्स" हिन्दी शब्द होगा या अंग्रेजी होगा।

(विराम)

श्री अध्यक्ष--आप बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वे इसको साफ तो कर दें पहले, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--There is no point of order. It is not necessary for the Chair to opine on this.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अंग्रेजी का ही "ऑथोराइज्ड टैक्स" शब्द हिन्दी में भी गिना जावेगा। मैं तो फिर वही कहूंगा। अंग्रेजी के "ऑथोराइज्ड टैक्स" शब्द के मुताबिक हिन्दी को दुरुस्त करेंगे या हिन्दी के मुताबिक "ऑथोराइज्ड टैक्स" को दुरुस्त करेंगे?

श्री अमृतलाल यादव--हिन्दी के माफिक कर दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--"ऑथोराइज्ड टैक्स" क्या ?

श्री अमृतलाल यादव--हिन्दी है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--विधान में क्या लिखा है, यह साफ करके बताओ । पहली बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह बात कही गई है कि 'प्रोफेस्ड' शब्द अंग्रेजी में आया है और उसका हिन्दी में कोई उल्लेख नहीं है । वैसे हिन्दी की भाषा है वह ऐसी केटोगोरिकल नहीं है जैसा कि माननीय मित्र मानकर चल रहे हैं ।

पहला शब्द है 'विक्रय'। "क्लॉज १४ के अन्तर्गत विक्रय की शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया है" हिन्दी और अंग्रेजी में फर्क है । इतना फोर्मल नहीं, जितना वह' प्रोफेस्ड' शब्द के हटाने से हो गया है । मेरा संशोधन था वह पूरी की पूरी धारा के सिलसिले में था, अध्यक्ष महोदय । वह संशोधन केवल 'प्रोफेस्ड' शब्द पर नहीं था । बाकी के जो दो तीन सेन्टेन्स हैं उनके ऊपर माननीय मित्र ने गौर ही नहीं किया है ।

श्री अमृतलाल यादव--मैं यह सिर्फ पूछ लूं : हिन्दी में एज इट इज २१ वां क्लॉज है उसके लिए आपको कोई आपत्ति है क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--हिन्दी टेक्स्ट एज इट इज है उसमें क्या आपत्ति है, वह मैं अर्ज कर रहा हूं । पहले सेन्टेन्स में "प्रोफेस्ड" शब्द न रखते हुए, हिन्दी का जो रूप है उसको मानते हुए सेल के लिए यह इन्टरप्रिटेशन मानने का अधिकार सेल का है उसके मुताबिक कार्यवाही होगी । उसके बाद जो कोन्सिक्वेन्सेज हैं वे तीसरी लाइन से शुरू होते हैं । क्लॉज १४ के अन्तर्गत विक्रय हो गया और उसकी पुष्टि क्लॉज १५ के सब क्लॉज (३) के अन्तर्गत की गई है तो खरीददार के हक पर इस कारण से कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी । सेल का कन्फर्मेशन हो जाने के बाद आपत्ति किस किस कारण से उठ सकती है और नहीं उठ सकती है उसकी व्याख्या आगे दी है और उसमें गौर फरमाये तो यह लिखा है अध्यक्ष महोदय, "इस कारण से कोई आपत्ति नहीं उठाई जावेगी कि ऐसा कोई मामला उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो विक्रय करने का अधिकार देता या यह कि यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा यह कि शक्ति का अन्यथा अनुचित अथवा अनियमित रीति से प्रयोग किया गया था ।" तो इसमें तीन बुनियादी बातें हैं, अध्यक्ष महोदय जिनके बूते पर भी एतराज नहीं कर पायेंगे । यह तो समझ में आ सकती है, अध्यक्ष महोदय । यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया था इस बिनाह पर ओपन करना चाहिए, वह तो प्रोसीजरल बात होने के नाते, जब सेल हो गया कन्फर्मेशन हो गया तो उसके बाद में यथाविथि नोटिस नहीं दिया था उस बिना पर केस रीओपन करना न्यायोचित नहीं समझा जावेगा। पहले वाला जो सेन्टेन्स है वह यह बात कहता है कि पहले तो ऐसे मामले ही रीओपन नहीं होते जो विक्रय के अधिकार देते हैं । अनऑथोराइज्ड सेल हो गया, अनाधिकार रूप से विक्रय हो गया तो कोई आदमी बाद में आकर कहे कि विक्रय करने का अधिकार नहीं था, अगर उस पर भी पाबन्दी लगाई जा रही है कानूनी इन्टरप्रिटेशन के रूप में, मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मान लीजिये कि किसी आदमी में बैंक के हिसाब से रुपये बाकी निकलते हैं तीन हजार और जो तीन हजार रुपये बाकी निकलते हैं वे केल्कुलेशन की गलती के कारण बाकी निकलते हैं । अब उसके बाद बैंक ने सेल की कार्यवाही शुरू कर दी और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सेल की कार्यवाही पूरी हो गई। उसके बाद कन्फर्मेशन की कार्यवाही भी पूरी हो गई। बाद में यह पता चला कि बाकी रुपया निकाला गया था वह केल्कुलेशन की गलती के कारण बाकी निकाला गया था, दरअसल बाकी नहीं निकलता। तो सारा का सारा सेल अनऑथोराइजड हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह आदमी यह कहे कि ऐसा मामला उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको रोकने के लिए यह धारा सामने आ सकती है। वह एतराज काबिल है। इसी तरह से उसके आगे का जो भाग है "शक्ति का अन्यथा अनुचित अथवा अनियमित रीति से प्रयोग किया गया था" इसमें भी अमूमन वही भाषा रहती है। वह इस रूप में रहती है कि कोई जाब्ते में, प्रोसिजर की गलती हो गई हो, ऐसी कोई अनियमितता हो गई हो जिसका सम्बन्ध केवल प्रोसीजर से है, तौर तरीके से है तो उस कारण से कोई ट्रान्जेक्शन रिओपन नहीं होगा। ऐसी भाषा तो रहती है, लेकिन ऐसी भाषा "शक्ति या अन्यथा अनुचित अथवा अनियमित रीति से प्रयोग किया गया था," यह भी उतना ही वाइड पेनिट्रेशन है। शक्ति का अनुचित प्रयोग किया गया था अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था इसका सम्बन्ध केवल प्रोसिजरल नहीं है लेकिन जुरिस्डिक्शनल है। कार्य करने का अधिकार उसका है तो भी शक्ति का प्रयोग किया गया था या अधिकार इसके पहले जिनको भी था शक्ति के अधिकारों का प्रयोग किया गया था। ऐसे सैकडों केसेज हैं। जहां क्वासी जुडिशियल ओथोरिटीज हैं वे अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर ओर्डर देने की कोशिश करते हैं तो अपने संविधान के अन्तर्गत Writ of certiorari लेने का अधिकार हाई कोर्ट का है तो जहां कोई मामला उपस्थित नहीं हुआ हो, शक्ति का जहां अनुचित प्रयोग किया गया, ऐसा दर्ज इस प्रकार है जैसा कि क्लॉज ११ में हम अभी जिक्र कर चुके हैं। क्लॉज ११ में खुद मंत्रीजी ने संशोधन किये हैं, उसमें से ऐसे कई शब्द काट दिये हैं हालांकि जिस रूप में मैंने संशोधन दिया था अथवा इस क्लॉज को पूरा विलोपित करने का सुझाव दिया था उसको उन्होंने नहीं माना लेकिन ऐसे शब्द जो अनियमितता को वापिस कानूनी रूप देने में मददगार हैं, या अनियमितता के बारे में जो शब्द थे वे धारा ११ में से अभी काटे हैं। मंत्रीजी का सारा का सारा ध्यान "प्रोफेस्ड" शब्द के ऊपर रहा। इस पर तो मुझे एतराज था ही लेकिन "प्रोफेस्ड" शब्द के अलावा बाकी के जो अर्थ हैं उनमें से एक को उचित मान सकता हूं। नोटिस नहीं दिया गया है उस पर उज्र करे तो नहीं कर सकता है यह न्यायोचित नहीं है। शक्ति का बेजा उपयोग किया गया, नोटिस नहीं दिया गया, सारी कार्यवाही हुई, ट्रान्जेक्शन हुआ यह सब रिओपन नहीं होना चाहिये यह जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे भी आगे इर्रेगुलेरिटी पर भी पहुंच गये। जो सेल का प्रोसीजर है उसके अनुसार पब्लिक ऑक्शन से सेल होना चाहिये, इसका तरीका दिया है। यदि पब्लिक ऑक्शन से सेल नहीं किया गया है और क्लॉज २१ पर कोई आवे तो कहा जा सकता है चाहे पब्लिक ऑक्शन हुआ है या नहीं, लेकिन यह सेल वेलिड है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि एक्ट की मन्शा के विरूद्ध भी सेल किया गया है तो भी वह वेलिड कैसे होगा? यदि शक्ति का प्रयोग अनुचित तरीके से नहीं किया गया लेकिन अनियमितता से शक्ति का प्रयोग किया गया, पब्लिक ओक्शन का अधिकार था लेकिन पब्लिक ऑक्शन के बजाय वैसे ही सेल कर दिया। यदि ऐसी स्थिति है तो क्या हमारी यह इच्छा है कि इस सेल को रीओपन नहीं करना चाहिये या यह इच्छा है कि यदि कोई उक्त सेल को माने नहीं और उसके विरूद्ध कार्यवाही करे तो उसके बावजूद भी ऐसा बान कर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दिया जाय कि वह ट्रान्जेक्शन रीओपन नहीं हो जावे। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जावे और आवश्यक है कि इसमें संशोधन किया जावे। यदि नहीं किया गया तो बिल के मूल आधार पर कुठाराघात होगा और सब के बावजूद स्थिति वह की वह रह जायगी। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि इस पर विचार पूर्वक गौर करें। क्लॉज ११ में अभी मंत्रीजी ने खुद ने संशोधन किये हैं उसी रूप में इसमें भी संशोधन करें और यदि आवश्यकता समझें तो इस क्लॉज को ठहर कर पास करें या डेफर करें। बिल का जो मूल उद्देश्य है उसके माफिक इस क्लॉज को करना पडेगा। ऐसी स्थिति में मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं और आशा करता हूं कि इसका कुछ न कुछ हल निकाला जायगा।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी निवेदन किया था अंग्रेजी ट्रान्सलेशन में जो "प्रोफेस्ड" शब्द है वह हिन्दी में नहीं है इसलिए इसको माननीय सदस्य आपत्तिजनक मानते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि हम विधेयक को हिन्दी में पास कर रहे हैं इसलिये हिन्दी भाषा में जो बिल है उसको अधिकृत माना जाय और अंग्रेजी ट्रान्सलेशन में यदि कोई गलती है तो उसको दुरूस्त कर दिया जायगा।

अभी आपने कहा कि केवल उस शब्द पर ही आपत्ति आपको नहीं है लेकिन तीन मुद्दों में से एक मुद्दे पर भी आपत्ति है और वह आपत्ति यह बताई कि खरीददार के ऊपर किसी कारण से कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी ऐसा मामला उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है। मैंने पहले कहा था कि यह एक्ट मद्रास के एक्ट के आधार पर बनाया गया है। वहां के एक्ट में उस प्रकार की धारा है और दूसरे प्रान्तों के एक्ट्स में भी ऐसी धारा है। खरीददार कीमत देकर खरीदता है। यदि किसी का यह उज्र है कि बेचान करने का मामला उत्पन्न नहीं हुआ तो यह उज्र शुरू मौके पर करना चाहिये। यदि पहले नहीं किया तो परचेज को क्यों नुकसान देना चाहिये? उज्रदारी से अपना हक कायम कर सकता है लेकिन खरीददार के हक पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी और किन किन मुद्दों पर नहीं उठाई जायगी इसका विवरण इसमें है। खरीददार के खिलाफ आपत्ति उठाने से उसका हरजा होगा। "प्रोफेस्ड" शब्द अंग्रेजी ट्रान्सलेशन में है और हिन्दी में नहीं है तो इसको दुरूस्त कर दिया जायगा। मैंने यह भी बतला दिया कि मद्रास के एक्ट में और दूसरे स्थानों के एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है और यह आवश्यक भी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दी के बिल में जो मूल धारा २१ है उसको उसी रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २१ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"नहीं" वालों की आवाज ज्यादा नहीं है इसलिये "हां" पक्ष जीता।

श्री हिम्मतसिंह—अमेन्डमेन्ट भी ऐसा है जिसमें "हां" पक्ष जीतना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—There is multiplicity of voices on the left side.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २१ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री अमृतलाल यादव—"ना पक्ष जीता"।

श्री अध्यक्ष—डिवीजन करवाइये। No other help, because I go by the multiplicity of voice. Not force, but multiplicity of voice counts.

डिवीजन चाहते हैं या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—डिवीजन नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—फिर तो "हां" पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मंत्री महोदय नहीं चाहते कि डिवीजन न हो, तो फिर डिवीजन कराना ठीक नहीं है। (A voice "there is none there.")

श्री अध्यक्ष—At least the number is larger than the Government benches.

(विभाजन घन्टी बजते समय)

Those who sleep are permitted to sleep in the House provided they do not disturb the proceedings of the House, if while sleeping they snore, they disturb the House.

(विराम)

They are very convenient members who sleep in the House but do not Speak.

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह कि क्लॉज २१ में जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No 31

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज २१ विधेयक का अंग बना ।

Now, as regards the ruling; should I give it ?

(विराम)

I refer to Article 348 of the Constitution. It is quite clear. The Rajasthan Government has passed an Act regarding that, otherwise the official language and the authoritative text would have been English. But the Constitution says (I will read the first part):—

"(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions this Part, until Parliament by law otherwise provides—

(*a*) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(*b*) the authoritative texts—

(*i*) of all Bills to be introduced or amendments there to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(*ii*) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all ordinances promulgated by the President or the Governor or Rajpramukh of a State, and

(*iii*) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language."

Now there is another provision:

"(3) Notwithstanding anything in sub-clause(*b*)of clause(1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor or Rajpramukh of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (*iii*) of that sub-clause, a transation of the same in the English language published under the authority of the Governor or Rajpramukh of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article".

This is the article:

श्री हरिकृष्ण व्यास—Authorised by His Highness the Rajpramukh........

श्री अध्यक्ष—I do not know. These are the provisions of the Constitution.

(विराम)

Yes 41

श्री एच० के० व्यास—क्लॉज ४१ पर भी आपको एक रूलिंग देनी है।

श्री अध्यक्ष—इसकी रूलिंग पर प्रेस न करें वरना आपका अमेन्डमेन्ट रिजेक्ट हो जायगा।

श्री एच० के० व्यास—क्लॉज रिजेक्ट हो जायगा तो हो जायगा। मेरा अमेन्डमेन्ट बाद में आयेगा।

श्री अध्यक्ष—आपका अमेन्डमेन्ट अंग्रेजी में है और और क्लॉज हिन्दी में है।

श्री एच० के० व्यास—नहीं साहब इंग्लिश में है।

श्री अध्यक्ष—जिसमें पायलेट करते हैं वह मानता हूं। ट्रान्सलेशन नहीं मानता।

श्री एच० के० व्यास—पायलेट करते हैं वह भी तो इंग्लिश में है अध्यक्ष महोदय, इसीलिये अमेन्डमेन्ट मैंने इंग्लिश में दिया है।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में है ओरिजिनल बिल तो।

श्री एच० के० व्यास—पेज १५ देखिये, इंग्लिश में है।

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४१ में जो मेरा संशोधन है वह तो निखालिस सरकार के हित के लिये ही पेश किया गया है और मैं समझता हूं कि सेन्ट परसेन्ट इसको वे मंजूर करेंगे। अगर मेरे उधर बैठने वाले माननीय मित्रों को वह मन्जूर नहीं हो तो मुझ को इस संशोधन में खास दिलचस्पी नहीं है। यह तो सरकार के हित में ही है।

श्री अध्यक्ष—Very reasonable....

श्री एच० के० व्यास—मेरी समझ के मुताबिक जिस रूप में क्लॉज ४१ रखा गया है वह रूप कानूनन डिफेक्टिव बन जाता है।

श्री अमृतलाल यादव—यह अंग्रेजी में पास हुआ था और हम हिन्दी में यहां पास कर रहे हैं। इसलिये यह लिखा है, "राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ (राजस्थान एक्ट ३ ऑफ १९५५) की धारा ४३ में, उप-धारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् ......"

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह बात बताई उससे बहुत आगे पहुंच गये हैं।

श्री अध्यक्ष—This is the confusion. आप बहुत आगे चले जाते हैं।

श्री एच० के० व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं मूल चीज पर अर्ज कर रहा हूं। यह इस बिल के ओबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में है, "चूंकि भूमि-धारियों को ऋण चुकाने, कृषि सम्बन्धी सुधार करने, आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न खातों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त करने और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों में सशक्त करने हेतु, उन्हें दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था करने की दृष्टि से जिससे उनमें मितव्ययता और स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न हो सके राजस्थान राज्य में सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के कार्य को सुविधापूर्ण बनाने हेतु व्यवस्था करना उचित है।" इस दायरे के अन्दर कानून बना रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक के बारे में मौजूदा कोई कानून होता और यह कानून उसके संशोधन के लिये होता तो कोई दूसरी बात थी या आज तक भूमि बन्धक बैंक के सम्बन्ध में जितने भी कानून बने हैं उनको कन्सोलीडेट करने के लिये बनता तो अलग बात थी। माननीय अध्यक्ष, इसमें केवल फोर्म की बात है, और तो कोई विशेष बात है नहीं। और मैं फोर्म के बारे में ही जोर दे रहा हूं, भाषा के बारे में कोई जोर नहीं दे रहा हूं। यह टीनेन्सी एक्ट के संशोधन करने के रूप में है और मेरे खयाल से इससे कानूनन कठिनाई पैदा होगी। मैं समझता हूं कि यह कानूनी कठिनाई पैदा करेगा। जहां तक इस धारा की नीयत है, content है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है। यदि खातेदार टीनेन्टों को यह फायदा नहीं दे पाएंगे तो यह सारा कानून बेकार हो जावेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि क्लॉज ४१ को इस रूप में पास न करें कि जो उनको एनएबल कर दे :

"Notwithstanding anything contained in the Tenancy Act................"

खातेदार को यह अधिकार होगा और यह धारा इसी कानून में रखना इसलिये उपयुक्त होगी कि खातेदार काश्तकार के बाकी के अधिकारों का सम्बन्ध टीनेन्सी एक्ट में आता है और दूसरा यहां आया है। अत: मैंने मेरा संशोधन इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। यदि इसको उधर बैठने वाले मित्रों को स्वीकार नहीं हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस संबन्ध में यह कह सकता हूं कि इसका अदालत में जाकर कोई निर्णय करा लेगा और अदालत से इसका निर्णय हो जावेगा और स्थिति साफ हो जावेगी। मेरी तो यह मान्यता है कि यह डिफेक्टिव प्रोविजन है और नहीं रहना चाहिये और इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इतना कह कर मैं उधर बैठनेवाले मित्रों और मंत्री महोदय पर यह छोडता हूं कि वे इसे स्वीकार करें तो ठीक है और नहीं स्वीकार करें तो मेरा जोर नहीं है। हमें यह देखना है कि कानूनन यह ठीक बात है या नहीं ? मुझे तो इसकी फोर्म से एतराज है और आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन आपने रखा है उसमें मूलत: सेन्स में कोई फर्क नहीं है और इन्होंने जो संशोधन रखा है वह सेन्स अभी भी इसमें मौजूद है। सेन्स एक है। मगर इसको इस रूप में भी करने की बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह सारा एक्ट हिन्दी में है और यह क्लॉज अंग्रेजी में है।

श्री अमृतलाल यादव—यह अंग्रेजी में है, इसको इसी में पास कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—हिन्दी वर्शन होना चाहिये। Mr. Vyas has made a complication at the eleventh hour.

Page No 34

श्री एच० के० व्यास—आप ऑथोराइज कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—I am not bigger than the House. I may be identified with the House.

श्री हिम्मतसिंह—इसको शाम के ५ बजे तक के लिये डेफर कर दीजिये ।

श्री अमृतलाल यादव—अंग्रेजी में ही पास कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—इसको पास करने से पहले आप और विचार कर लीजियेगा ।

श्री अमृतलाल यादव—५ मिनिट में हिन्दी दे देता हूं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारा का सारा ओर्डिनेन्स हिंदी में है तो एमेन्डमेन्ट भी हिन्दी में ही होना चाहिये था। तो फिर यह अंग्रेजी में एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है ? इसकी सेन्स जो कुछ भी हो इसको स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष—He was not pressing the point that you have accepted it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—When the original Bill that has been moved, is in the Hindi language, all the amendments should have been put forward in Hindi.

श्री अध्यक्ष—I agree.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—And because the amendment has been moved in English, therefore it should not be considered.

श्री अध्यक्ष—This would have been rejected on this very point had the Minister not accepted it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The sense only has been accepted.

श्री एच० के० व्यास—It is rather late in the day for my friend to complain regarding moving of the amendment. He should have advised his friend not to have accepted it. Now he has accepted it and the only solution is a translation of it in Hindi language.

श्री अध्यक्ष—The solution will be putting it to vote.

श्री एच० के० व्यास—हिन्दी भाषा में ही आवेगा। अगर इसको मानते हैं तो मेरा क्या और नहीं मानते हैं तो मेरा क्या बिगडता है ?

श्री अध्यक्ष—अगर इसमें कोई डिफरेन्स नहीं है तो इसको इनकोरपोरेट करने से क्या फायदा ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, हिन्दी अनुवाद का इन्तजार किया किन्तु वह प्रस्तुत नहीं हो सका इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपने अमेन्डमेन्ट को विथ्ड्रॉ करने की सहर्ष अनुमति चाहता हूं although the Government will have to bear its consequences.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री हरिकृष्ण व्यास को अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने दिया जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४१ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ४२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४२ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४२ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा यह एतराज है कि since an amendment has been made, the motion for its being passed cannot be made today unless the Speaker otherwise directs.

चूंकि कानूनी एतराजात का जमाना शुरू हो गया है इसलिये मैं भी यह एतराज करता हूं कि यदि आप इसको पारित करने की आज्ञा दें तो ठीक नहीं। तो आज यह विधेयक पास करने का मोशन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—I was just thinking that Mr. Vyas is very reasonable. He is taking away all that impression from my mind.

श्री वेदपाल त्यागी—He does create temporary impressions.

श्री अध्यक्ष—I wanted that it should be permanent. Yes; प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

श्री अध्यक्ष—Yes, Mr. Gupta.

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिसक्वालीफिकेशन) संशोधन विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिसक्वालीफिकेशन) संशोधन विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) संशोधन विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) संशोधन विधेयक, १९५६, को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ ।

राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री हरिकृष्ण व्यास ।

It may be taken up straightway.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं मूव नहीं करना चाहता। It may be taken up straightway.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

खण्ड २ से ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २, ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खंड ५

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिये खडे होने पर)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट मूव किया है उस पर वे कुछ बोलें उस संबन्ध में मैं कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। इसको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं। पांचवे खंड का और एडीशन कर दिया जाय। बोर्ड में ७ के बजाय ९ हो जायगा और उप-खंड (५) और जुड जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—स्लाइटली डिफ्रेन्ट रूप में स्वीकार हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—There is a slight confusion in my mind. I will take it clause by clause and then you tell me in which clause it has to be accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इस संबंध में अर्ज कर दूं। इस क्लॉज की पहली लाइन में ७ के बजाय ९ कर दिया जाय। यह है फस्ट पार्ट ओफ माइ अमेन्डमेन्ट। इससे यह होगा कि बोर्ड ९ से कम या ११ से अधिक सदस्यों से गठित नहीं होगा। इसके बाद (१), (२), (३) और (४) भाग ऐसे ही रहेंगे, भाग (५) और हो जायगा। My amendment (No. 2) will come as part (5) of sub-clause (1) of clause 5.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ६ और ७ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ६ और ७ विधेयक के अंग बने ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—With your permission, with regard to clause 5, I want to submit a minor change. सब्स्टेन्शियली लेंग्वेज में गडबड न हो जाय क्योंकि यह कोन्सीक्वेन्शियल चेन्ज है । जब हम ९ से कम और ११ से अधिक न हों, जब हमने ७ के बजाय ९ कर दिया और उधर ९ नहीं जुडा । यह कोन्सीक्वेन्शियल अरेन्जमेन्ट है : that the figure '11' shoul be substituted by "13".

श्री अध्यक्ष—(श्री सचिव से) Please correct it.

(विराम)

Clause 8.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है कि उप सभापति आदि को जो अधिकार सौंपे जाने का उल्लेख है इसमें मैं समझता हूं वह बहुत ज्यादा है । इसमें शर्त यह है कि सभापति किसी अधिकारी को लिखित आज्ञा के जरिये सौंप सकेगा । यह केवल रिटन परमिशन के अन्दर ही किया जा सकता है । अगर सभापति पूर्व या पश्चात् स्पष्ट उसकी सहमति से किया गया हो तो वैसी लिखित आज्ञा न होने के कारण अथवा वैसी आज्ञा में कोई त्रुटि होने के कारण अमान्य नहीं होगा । जो चीज लिखित आज्ञा सी ही हो सकती है वह पूर्व या पश्चात् कन्सेन्ट भी आगे मिल गयी और वह भी स्पष्ट है नहीं, पर नियत आज्ञा, नियत सहमति इम्प्लाइड कन्सेन्ट से भी हो गई तो भी वेलिड होगी तो यह बहुत वाइड स्कोप इसका हो गया । ओरेली कहेंगे तो भी ठीक है । पहली बात तो यह है कि इसका उल्लेख ही नहीं है जो सम्बन्धित व्यक्ति को लिखित आज्ञा का अधिकार सत्ता के अधीन किया जा सकता हो "An act which can be done only under the written permission or the written orders of the Chairman," तो उसको ओथोरिटी जो है, ओथोरिटी शुरू होती है रिटन आर्डर के बाद । पर ऐसी ओथोरिटी न हो फिर भी दिया गया हो तो इतना वाइड लेटीट्यूड है कि वैसे ओथोरिटी बाद में ले ली हो, चाहे राइटिंग में ही, चाहे इम्प्लाइड कन्सेन्ट हो तो भी वह मान्य गिनी जावेगी । तो मैं समझता हूं कि यह वाइड लेटीट्यूड है और इतना लेटीट्यूड देना आवश्यक भी नहीं है । नोरमली जैसे होता है वैसे होना चाहिये जो ओरल कन्सेन्ट से हो सकता है वह चला जावे । जिसको रिटन आज्ञा की जरूरत है उसको रिटन परमिशन, पहले की सुविधा रखनी चाहिये । यह एक्सेप्शन ज्यादा वाइड है । यह मेरी मंशा है और समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जावेगा ।

Page No 39

श्री बृजसुन्दर शर्मा—असल बात यह है कि क्लॉज ८ में ऊपर के शब्द माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो मतलब साफ हो जावेगा । चेयरमैन का काम वही करेगा और वैसे चेयरमैन वही काम करेगा जो कि चेयरमैन उनको राइटिंग में देगा । अब राइटिंग में वह कभी भी पहले या पीछे दे सकेगा । ऐसी इमर्जेन्सी आ सकती है। जब कि वह राइटिंग में न दे सके और ओरेली ही रह कर कहीं चला जाय तो सब्जेक्ट टू दी कन्डीशन्स वह काम कर सकता है कि चेयरमैन बाद में आकर कह दे कि मैंने इन्हें अधिकार दिया था । तो यह तो फोरमल चीज है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is no quorum in the House.

श्री अध्यक्ष—That I have been marking since the last few minutes.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो अगर बाद में आकर वे स्वीकार कर लेते हैं तो कोई फरक नहीं पडता है। प्रोसीजरल मेटर में तो ऐसा अधिकार लेने लाजिमी हो जाता है। इससे कोई हानि हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि लिखित रूप में भी दे सकते हैं और बाद में आकर भी स्वीकार कर सकते ह । तो इसे कोई वेग चीज नहीं समझना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—हां साहब, जवाब देंगे कुछ ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुछ जवाब नहीं ।

श्री अध्यक्ष—विथड्रॉ करेंगे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, नहीं, वोट ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ के अन्दर जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जावे

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

क्लाजेज ८ से १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ८, ९, १०, ११, १२, १३, और १४ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ८,९,१०,११,१२,१३,और १४ विधेयक के अंग बने । क्लॉजेज ८,९,१०,११,१२, १३ और १४ बिल में अंगभूत स्वीकार किये गये ।

(विराम)

क्लॉज १५

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज १५ में मेरा संशोधन यह है कि इस क्लॉज की लाइन तीन में "मकान जल प्रदाय, आरोग्यता क. दृष्टि से सफाई" और "और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता" इन शब्दों के बीच में इतने शब्द और जोड दिये जावें "शिक्षा तथा जीवन वेतन"।

क्लॉज १५ के अन्दर श्रमिकों के लिये रहने के मकान की व्यवस्था खान स्वामी करेगा; इस हेडिंग के अन्तर्गत कुछ चीजों का उल्लेख है और वह उल्लेख इस प्रकार का है अध्यक्ष महोदय, कि प्रत्येक स्वामी को उस खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिये रहने के मकान, जलप्रदाय, आरोग्यता की दृष्टि से सफाई और सम्बन्धी सहायता की ऐसी व्यवस्था जैसी बोर्ड उप विधिद्वारा अपेक्षा करे, करनी होगी। तो मेरा जो संशोधन है वह संशोधन इस प्रकार का है अध्यक्ष महोदय, कि जहां मकान, जलप्रदाय आरोग्यता की दृष्टि से सफाई और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता इन चार चीजों का उल्लेख है उन चार चीजों के उल्लेख के अलावा शिक्षा तथा जीवन, वेतन इन दोनों चीजों का भी उल्लेख उसमें होना चाहिये और इन दोनों बातों का समावेश इसमें कर दिया जाना चाहिये। मनुष्य की आवश्यकताओं का जो मूल रूप माना है, वहां हमारे संविधान ने भी और डाइरेक्टर, प्रिंसिपल स्टेट पोलिसी ने भी इसमें तीन चीजों को माना है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मनुष्य को जीने लायक वेतन मिलना चाहिये, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये। तो इस दृष्टि से इनका भी उल्लेख इसमें किया जाना चाहिये। और मैं समझता हूं कि इन दोनों को भी लागू करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, पर इस धारा १५ में इसकी भी व्यवस्था कर दी जानी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन को भी स्वीकार कर लेंगे और इस प्रकार से धारा १५ का जो स्कोप है वह पूरा का पूरा जितना होना चाहिये उतना कर देंगे। इन शब्दों के साथ में सदन की स्वीकृति के लिये यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मेरे जोधपुर से आनेवाले मित्र ने एक बात का खयाल इसमें नहीं रखा कि यह राजस्थान खदान बस्ती विधेयक में जो ओब्जेक्ट्स और रीजन्स हैं उसमें माइनिंग सैटिलमेन्ट की बात है। उनमें सफाई की व्यवस्था कैसी हो और उन पर नियन्त्रण कैसा हो, उसके लिये है। ये दोनों चीजें उस स्कोप से परे हैं।

तो यह सारे का सारा बिल है वह सैटिलमेन्ट का ध्यान रखता है, उनकी बस्तियों को ध्यान में रखता है, और अब उनकी एजुकेशन के लिये और उनकी वेजेज के लिये अलग व्यवस्था है। उसके लिय अलग मिनिमम वेजेज एक्ट मौजूद है, जिसमें जीवनयापन वेतन के लिये व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष—Wants to be doubly sure.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें यह जोर देना इसकी जरूरत से परे हो जायगा, और मेरे माननीय मित्र इसको ज्यादा समझते हैं। इसमें जोडने से वह खूबसूरती नहीं रहेगी और जरूरत से परे हो जाने से मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं वोट पर रखूं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, अध्यक्ष महोदय । यह बात मेरी समझ में नहीं आई, अध्यक्ष महोदय, कि यह "परे" कैसे हो जायगा, क्योंकि शिक्षा आवश्यक चीज है सफाई की दृष्टि से । जब एक खदान बस्ती में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिये समुचित शिक्षा का प्रबन्ध होगा तो वे अच्छे नागरिक बन पायेंगे, और जब उस क्षेत्र में शिक्षा के साथ २ समझ होगी तो वे सफाई रखने के काम को कर पायेंगे, बीमारियों से बचने के संबंध में प्रोटेक्शन ले पायेंगे ।

दूसरी बात मेरे माननीय मित्र ने यह कही कि जीवनवेतन का संबंध सफाई और बीमारी को रोकने से कैसे है ? तो मैं तो समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वेतन का संबंध सबसे ज्यादा है । दुनिया में जितने भी विटामिन हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन "ए" में है । अगर पैसा नहीं है तो फल-फूल कहां से पायेंगे ? डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन कहां से लायेंगे, दवाई की व्यवस्था कहां से करेंगे ? यह इर्रिलेवेन्ट तो नहीं है ।

अब दूसरी बात यह उठती है कि इसके लिये दूसरे कानून हैं, तो कम से कम मेरी जितनी जानकारी है श्रीमन् उसमें शिक्षा के संबंध में कौन सा कानून बना हुआ है सेपेरेट ? ऐसा मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है, मंत्री महोदय की जानकारी में हो तो अभी बता दें तो में अपनी गलती को स्वीकार कर लेने को तैयार हूं । शिक्षा के लिये कोई कानून नहीं है, यह मानकर चलें तो शिक्षा के लिये सेपेरेट प्रोवीजन होना चाहिये । मिनिमम वेजेज के लिये हैं । कम से कम तनख्वाह के लिये राजस्थान सरकार का कानून बना हुआ है । वह बना हुआ था उसके बावजूद भी मैंने यह रखा तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अभी फरमाया था 'To be doubly sure' तो डबली श्योर होने के इरादे से ही रखा है, वहां पर मिनिमम वेजेज रखा हुआ है और मैंने 'लिविंग वेजेज' शब्द रखा है । जीवन वेतन और मिनिमम वेजेज में फर्क है । मिनिमम वेजेज़ राजस्थान सरकार जो अभी देती है वह मौजूदा तनख्वाह से भी कम देती है । १ रु० २ आ० मिनिमम वेजेज़ का नोटिफिकेशन सरकार निकालती है जब कि १ रु० १० आ० पहले से ही मोजूद हैं । जब पहले से मिनिमम वेजेज के अन्दर है तो उस स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है । इसकी स्थिति वैसी नहीं है इसलिये मैंनें वह शब्द नहीं रखे हैं; क्यों वह शब्द दूषित होगये हैं । जैसे २ मेरे माननीय मित्र मुझे प्रोवोक करके कहलाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा वर्ना मैं कहने वाला नहीं था । मिनिमम वेजेज के लिये दूदूवाला ने हाई कोर्ट में रिट किया, तो राजस्थान सरकार के लॉ विभाग और लेबर विभाग सारे के सारों की स्थिति ऐसी हो गई और वह मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन रद्द हो गया । तो यदि खदान बस्ती में आज वह यह कहते हैं तो मैं कहता हूं कि वह हाई कोर्ट से रद्द हो गया है । आपकी जो कार्यवाही आज तक की हुई थी वह रद्द हो गई । इसलिए मैंने "जीवन वेतन" शब्द का प्रयोग किया है । जीवन वेतन दरअसल में सफाई के लिये और उन्नति के लिये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बगैर कोई उन्नति नहीं हो सकती । यह स्कोप में भी है और राजस्थान सरकार के खदान के सिलसिले में आज तक जो कार्य हो रहे हैं उनको देखते हुये आवश्यक है । इस पर भी अगर मंत्री महोदय नहीं मानते हैं और वह मंत्री जो कि मजदूरों का अपने आपको नुमायन्दा कहने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह उनके सोचने की चीज है । सही बात तो यह थी कि उनको इसे तुरन्त मान लेना चाहिये था । एज़ ए फाइनेन्स मिनिस्टर कुछ देना नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पड रहा है । यह राज्य के पास का पैसा नहीं है । यह खदान की बस्तियों के मजदूरों से मिल जायगा । इसमें किसी का नुकसान नहीं होने का है, मैं समझता हूं मान लेना चाहिये । नहीं मानते हैं तो मजबूरी है । इस पर मत लें । वित्त मंत्री दकियानूसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन दूसरे माननीय मित्र नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूं। (हंसी) इसलिये उनकी सम्मति मेरे पक्ष में होगी। इन शब्दों के साथ ....

श्री अध्यक्ष—Why Uncharitable observations on the Finance Minister ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—दकियानूसी एक बहुत सिम्पल (फ्रेज) है।

श्री अध्यक्ष—Why waste such simple phrases on him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—साधारण सा है । ऐसी कोई लंबीचौडी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—He is too liberal to accept such remarks.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज १६ से ३२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १६ से ३२ तक स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज १६ से ३२ तक विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज १, श्री एच० के० व्यास ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं उनके संशय को पहले ही दूर कर दूं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में यह दिया गया है कि जहां कहीं या जिस एक्ट में यह नहीं लिखा हुआ रहता है कि कब से फोर्स में आयेगा तो यह माना जाता है कि यह उस वक्त से फोर्स में आयेगा जब से पब्लिश किया जाता है, यह अमेन्डमेन्ट इसलिये ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) और कुछ।

प्रश्न यह है कि बिल का क्लॉज १, भूमिका और शीर्षक बिल में अंगभूत स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, भूमिका और शीर्षक को बिल में अंगरूप से जोड़ा गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६ पारित किया गया।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—जो सूची माननीय सदस्यों को प्रसारित की गई उसके अनुसार राजस्थान गौशाला बिल, १९५६ आज लिया जाना चाहिये था, लेकिन माननीय मंत्री से मेरे पास एक प्रार्थनापत्र आया है कि वे आज अनुपस्थित रहना चाहते हैं इसलिये आज गौशाला बिल के बजाय राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, १९५६, को लिया जाय। Further consideration on the following motions-"That the bill be taken into consideration", "That the bill be circulated for public opinion" and "That the bill be recommitted to the same Select Committee."

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आज चूंकि गौशाला बिल लिया जाने वाला था और अब सभी सदस्य, मैं समझता हूं अधिकांश सदस्य, गौशाला बिल के लिए तैयार होकर आये हैं, और ऐसा अनुमान था कि आज का समय गौशाला बिल को पारित करने में लग जायगा, इसलिये हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट के बारे में कोई तैयार होकर नहीं आये हैं। हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल एक बहुत ही इम्पार्टेन्ट बिल है। उसको बिना किसी तैयारी के पास कराने की कार्यवाही करेंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री की जो इस प्रकार की प्रार्थना है कि गौशाला बिल आज नहीं लिया जाय तो न लिया जाय, लेकिन हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल जो कि उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है वह भी आज नहीं लिया जाय और सदन के सामने कोई बिजनेस नहीं हो तो हाउस को स्थगित कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—It is on the agenda.

श्री भैरू सिंह—एट दी इलेवन्थ अवर कोई चीज तब्दील हो जाती है तो जरा मुश्किल सा है।

श्री अध्यक्ष—वह तब्दीली नहीं है।

पहले वह लिया जाने वाला था। हम उसी क्रम से चल रहे हैं। आप यह कैसे खयाल करते हैं कि कुछ नहीं लिया जायगा ?

श्री भैरू सिंह—आज तक तो कहीं हुआ नहीं इस प्रकार।

श्री अध्यक्ष—इस पर कुछ डिस्कशन हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) :—जी हां, डिस्कशन हुआ था। चार-पांच मेम्बर्स बोल चुके हैं। मैं जबाब दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो यह है, जिसके अनुसार हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल पर अग्रेतर विचार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव नहीं है। This is what I have ordered. I place before the House the Rajasthan Hindu Public Trust Bill for further discussion. I do not want any discussion over it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही मैं अर्ज कर रहा हूं। There is one motion for taking it. There is another proposal for circulating this Bill for the public opinion. I am not contesting the observations.

श्री अध्यक्ष—I welcome.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन के सामने दो प्रस्ताव हैं, अध्यक्ष महोदय। एक प्रस्ताव यह है कि हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास बिल को विचारार्थ लिया जाय। एक प्रस्ताव यह है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। कुछ दिनों पहले जब सदन में इस विधेयक पर वाद विवाद हो रहा था तो काफी बहस भी हुई और कई माननीय मित्रों ने अपने विचार भी इस पर जाहिर किये हैं कि यह एक ऐसा कानून है जिसे तुरन्त पास नहीं किया जाना चाहिये बल्कि इसको जनमत जानने के लिये भेजना चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं। मेरी यह राय है कि जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है वह एक आवश्यक बात को आगे ढकेलने के लिये किया गया है। सर्व विदित है यह बात कि भारत के दूसरे प्रान्तों में भी इस प्रकार का कानून है। यह भी मेरे खयाल से मेरे माननीय मित्रों से छिपा हुआ नहीं है कि प्लानिंग कमीशन है, उसने भी इस सिलसिले में राय भेजी भी है और यह भी कहा है कि इस मामले में देरी न की जानी चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रश्न यह उठता है कि जिस रूप में कानून प्रस्तावित है उससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है और जो भी विचार इधर उधर व्यक्त हुए हैं वे भी पढ़े हैं, और मैं समझता हूं जिस रूप में आज कानून है उस रूप में तो कम से कम रेगुलेशन करता है। ऐसे धार्मिक स्थान, हिन्दू सार्वजनिक स्थान है, उनके नाम रजिस्टर करना है, उनकी देख रेख करने वाली बॉडी को रजिस्टर कराना है, उनकी क्या चल-अचल संपत्ति है, उनका जाब्ते से कहां कहां पता लगे उसकी सूचना देने की पाबन्दी है। अथवा ज्यादा से ज्यादा सालाना खर्चा है उसका ओडिट होने की पाबन्दी है, या बजट भेजने की पाबन्दी है। बजट भेजने की धारा को गौर से देखें तो पता चलेगा कि उसमें बीच में अमेन्डमेन्ट करना है बजट में तो उसमें प्रोविजन है कि वह अमेन्डमेन्ट बजट के सिलसिले में भेजे जा सकते हैं। उसमें और कोई विशेष बन्धन नहीं है। मेनेजमेंट कौन करे, कैसे करे, वह मेनेजिंग बॉडी क्या करे उसमें कोई निर्देशन नहीं है। जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय जिस चीज के लिए प्रन्यास बना था, उसका उद्देश्य ही पूरा न हो और यदि ऐसी स्थिति हो कि किसी धार्मिक स्थान के सिलसिले में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही हो, कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हों, या दूसरे कामों में लगाते हों, किसी भी धर्म के मानने वाले मित्र क्यों न हों, किसी भी प्रन्यास की व्यवस्था के संबंध में उनको एतराज नहीं होना चाहिये कि धर्म के मामले में धन का दुरुपयोग न हो। किसी धारा के संबंध में विशेष आपत्ति हो तो उस सिलसिले में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उन पर वादविवाद किया जा सकता है। लेकिन मैं एक पहलू को सदन के सामने लाने का प्रयत्न करूंगा, अध्यक्ष महोदय। धर्म के सिलसिले में इस देश में बड़ी बड़ी भावनायें विद्यमान हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। धर्म के मामले में अपने अपने विचार हैं और उनको स्वतन्त्र रूप से रखने का अधिकार है, इस प्रकार की इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रचार करने की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता जैसी चीज है और उसके होने के नाते उसमें कोई कमी करने का या हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। हम इसकी कद्र करेंगे। यहां इसमें किसी के धर्म के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि धर्म के मामले में जो धन का बडा दुरुपयोग होता है; कोई मंदिर है, मठ है, उसमें सम्पत्ति है, उसकी जायदाद है और जो उसका मठाधीश बन गया और जो कर्त्ता-धर्त्ता बन गया उसका उपयोग, उपभोग करता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें धर्म का बहुत बडा फायदा नहीं होता। मेरी जानकारी में है कि इन प्रन्यासों में काफी बड़ी बडी पूंजी है जिसका दुरुपयोग होता है, वहां पर बद-इन्तजामी है इसलिये यह आवश्यक है और यह सर्वाजनिक हित में भी होगा कि उनकी देख भाल पर प्रबन्ध हो जाय और जैसा कानून प्रस्तुत किया जा रहा है उससे देख रेख की स्थिति पैदा हो सकती है और उससे आगे मुझे कोई विशेष चीज नजर नहीं आती। जो माननीय मित्र जोर जोर से कह रहे थे कि धर्म संकट में पड़ रहा है, वे धर्म की आड में कोई दूसरा शिकार खेल रहे थे, धर्म के नाम पर कुछ लोगों को प्रोत्साहन कर रहे थे। यह हो सकता है कि उधर बैठने वाले माननीय मित्र हैं और जिस पार्टी की देख रेख में चलते हैं उससे सैंकडों मतभेद हमारे हैं, उस पार्टी से जिस को मैं बिलोंग करता हूं। कई समस्याओं पर जुदा जुदा विचार हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न है देश की उन्नति के संबंध में, पंचवर्षीय योजना के संबंध में। जिसके बारे में हम लोगों का ऐसा ख्याल है कि उधर बैठने वाले माननीय मित्र और वह पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसकी नीति दुरुस्त नहीं है, नादुरुस्त है और उसकी नीति दुरुस्त होनी चाहिये, उस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नीति में सुधार होना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह कोई विरोध का वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा कि जो कुछ प्रस्ताव आये इधर से उसका आंख मूंद कर विरोध किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन प्रन्यासों का काफी समय पहले ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये था। हकीकत तो यह है कि राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर ऐसी स्थिति है कि जो धार्मिक स्थान हैं उनकी देख रेख का समुचित प्रबन्ध नहीं है। जिसके हाथ में जो चीज आयी उसका दुरुपयोग हो, हर जगह दुरुपयोग हो, यह मैं नहीं कहता। लेकिन बहुत से ऐसे मन्दिर हैं, स्थान हैं, प्रन्यास हैं जिनकी देखरेख में कोई कठिनाई नहीं है, विशेष कमी नजर नहीं आती। लेकिन केवल वे ही ऐसे स्थान हैं जिनकी व्यवस्था अच्छी करना ही नहीं, दूसरे स्थान हैं जिनकी व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारना है और जो राजस्थान की आम जनता के हक में है। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय मित्र का लम्बा चौड़ा भाषण सुना और जमुआ रामगढ से आने वाले माननीय मित्र का भी भाषण सुना, वे आज हैं नहीं। आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों में कहने के लिये नीति संबंधी कोई बात न हो आर्थिक स्थिति के बारे में कोई बात न हो, व्यवस्था के बारे में कोई बात न हो, मौजूदा शासक पार्टी की नीति किनके हक में जा रही है उनके लिये कहने की बात न हो, जिन संस्थाओं से, जिस वर्ग से माननीय मित्र आते हैं उनकी नीयत यह है कि जिन स्वार्थों की सरकार मदद कर रही है उनकी ओर ज्यादा करे तो ठीक है, उन पर आक्षेप न हो। तो उन्होंने यह सोचा कि धर्म के नाम पर बन्दूक बाजी चले तो अच्छा है। इलेक्शन की दृष्टि से नहीं करना चाहिये, ऐसा मेरा ख्याल है।

(श्री जवानसिंह सभापति, पदासीन)

और यदि कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया होगा इस विषय में ऐसा मानता हूं, संभव है वे सुझाव दे सकें। लेकिन ऐसा कानून पास नहीं करने से सार्वजनिक मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग होगा। धर्म का मामला निरपेक्ष चीज है, कोई उसमें हस्तक्षेप न हो। सबको स्वतन्त्रता है, चाहे कोई हिन्दू धर्म को माने, चाहे कोई ईसाई धर्म को माने या कोई मुसलमान को माने, चाहे कोई किसी भी धर्म को नहीं माने। लेकिन इस प्रकार की स्वतन्त्रता की स्थिति में सार्वजनिक प्रन्यास के स्थानों के बारे में थोड़ा बहुत नियन्त्रण होना चाहिये। इसलिये इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिये। मैं इस राय का हूं कि जनमत लेने के प्रस्ताव को नामंजूर करना चाहिये और सदन को इस बिल को पास करना चाहिये। अलबत्ता संशोधनों की आवश्यकता हो तो पेश किये जा सकते हैं। इस संबंध में मेरी राय यह है और मैं इधर बैठने वाले मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि उधर बैठने वाले मित्रों का बिल है इसलिये इसका विरोध करना चाहिये, ऐसी धारणा नहीं बनावें। ऐसे बिल को अमान्य नहीं करना चाहिये। सार्वजनिक हित की चीज है वह अमान्य नहीं होनी चाहिये। रही धर्म की बात सो इसके द्वारा धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। आप यह बतादें कि अमुक अमुक हस्तक्षेप है। स्टेटमेंट मांगा तो क्या यह हस्तक्षेप है, बजट मांगना क्या हस्तक्षेप है? बजट मांगे तो बजट दे दिया जाय। यह हो सकता है कि मंदिरों में काहे का बजट हो, कोई मौका आवे तो खर्चा हो। मैंने इस धारा को देखा। उसमें लिखा है कि बीच में मौका आवे तो उसमें अमेन्डमेंट रखा जा सकता है। और भी कोई अमेन्डमेन्ट का प्रश्न हो तो कर सकता है। लेकिन अकाउन्ट का ओडिट होना चाहिये। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यदि ओडिट होगा तो आम लोगों को सुविधा रहेगी और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तसल्ली रहेगी कि जिस उपयोग के लिये संपत्ति है उसका उसी प में उपयोग किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हुआ प्रार्थना करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--माननीय चेअरमेन महोदय, यह जो हिन्दू ट्रस्ट बिल सदन में पेश हुआ है और उस पर जो अमेन्डमेंट आया है कि इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय, मैं उसके पक्ष में अपनी राय देता हूं। इसका कारण यह है कि जब अपने यहां मौजूदा ट्रस्ट एक्ट मौजूद है और उसमें सारी बातें आ जाती हैं तो हिन्दू ट्रस्ट बिल मौजूद है और उसमें आती हैं तो हिन्दू ट्रस्ट बिल लाने की आवश्यकता नहीं समझ में आती। हिन्दू ट्रस्ट बिल लाने से ऐसा वातावरण होगा कि हिन्दुओं के जितने धार्मिक स्थान हैं उन पर सरकार का हस्तक्षेप होगा और जो ट्रस्ट बनायेंगे उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप होगा। जिन जिन धार्मिक स्थानों में जिस जिस तरह से अपने अपने ढंग से पूजा पाठ किये जाते हैं वे नहीं किये जा सकेंगे। इसलिये जिस जगह इस तरह का हस्तक्षेप होगा वहां पर हिन्दू धर्म पर अन्याय होगा और वहां के हिन्दू धर्मानुयायी लोगों की श्रद्धा धर्म पर से कम होगी और यह हो सकता है कि वे लोग पूजा पाठ में कम दान देने लग जायेंगे। ऐसी हालत म जो लाखों रुपयों की लागत से मन्दिर बने हैं, उनकी मरम्मत सरकार नहीं करा सकेगी। एसी हालत में सरकार को किसी भी किस्म का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और यह बिल नहीं लाना चाहिये।

एक बात और है। जब हिन्दुस्तान के संविधान में सरकार द्वारा किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करना मना है तो मैं नहीं समझता कि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल के नाम से बिल क्यों लाया गया है? या तो इसका नाम ट्रस्ट बिल रखा जाता या हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सबके लिये यह लागू होना चाहिये था। यदि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल है तो आपको सोचना चाहिये कि मुसलमानों का वक्फ एक्ट कितना स.फ्ट है, उसमें कितनी छूट है और इस बिल में कितनी सख्ती बरती गई है। इसमें यहां तक किया गया है कि जो व्यापारी धर्मा के रुपये अलग रखते हैं और जिनका इन्द्राज बहियों में रखते हैं उन पर भी अंकुश रखा गया है। ऐसी हालत में धर्मादे के रुपये निकालना और धर्म करना बन्द हो जायगा और उसका मतलब यह होगा कि जितने मंदिर वगैरह हैं वे खंडहर को तरह हो जायेंगे, इसलिये सरकार को चाहिये कि समय अभी नहीं आया है कि हिन्दू ट्रस्ट बिल अभी पास किया जावे। इसके लिये पहले वातावरण बनाना चाहि । पब्लिक के जितने बड़े बड़े मन्दिर हैं उनके लिये आगे आकर रचनात्मक काम करना चाहिये। इसके लिये सेवक समाज को भी काम करना चाहिये। लेकिन इस पर अंकुश लाना, जबर्दस्ती करना सरकार के लिये बहुत हानिकारक चीज है और सरकार को बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिये। यह जो बिल है उस पर जनमत लेना चाहिये, पब्लिक की राय लेना बहुत जरूरी है। इस बारे में जो प्रस्ताव पेश किया है और इसके द्वारा जो सुझाव है कि इसको जनमत के लिये भेजा जाना चाहिये, उसे मन्जूर करना चाहिये। यदि इसे जबर्दस्ती लागू किया जायगा तो मैं नही समझता कि किसी तरह का उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये सब कुछ सोच विचार कर काम करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी जो अभी बातें कर रहे हैं, वे मेरी बात को सुन रहे होंगे और वे इस पर जनमत जरूर लेंगे। इस सदन में कई महत्वपूर्ण बिल आये थे, जैसे वेश्यावृत्ति को बन्द करना। उस बिल को पास करना जरूरी था,

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

लेकिन उसको यह कह कर टाल दिया कि लोगों को प्रभावित करके इसे हटायेंगे। जब उस बिल को भी टाल दिया और पास नहीं किया तो इस बिल को तो बिल्कुल टालना चाहिये और इसे पांच वर्ष तक नहीं आने देना चाहिये। अभी आपको उसके लिये वातावरण बनाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हिन्दूपन की भावना मिट जायगी और मंदिरों के खंडहर पड़े मिलेंगे। यदि आप इस तरह से जबर्दस्ती करेंगे तो यह तो यह समझा जायगा कि कांग्रेस सरकार हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप करती है और अपनी सत्ता कायम रखने के लिये अंकुश डालना चाहती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेजने के प्रस्ताव को पास करेंगे।

श्री हरिराम निनावा--स्पीकर महोदय, ...

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—श्री शंभू सिंह पहले बोलें।

रावत श्री शंभूसिंह--चेअरमैन महोदय, सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक पर वादविवाद जारी है। यह बिल जिस समय प्रस्तुत हुआ था उस समय मैं यहां नहीं था। लेकिन मुझे विदित हुआ कि इस पर जनमत जानने के वास्ते एक संशोधन सदन में प्रस्तुत हो चुका है और उस पर वादविवाद चल रहा है। मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारी राज्य सरकार इस वक्त तक सरकार के विभिन्न कार्यों का, विभागों का, जिस प्रकार से प्रबन्ध कर रही है और इस प्रबन्ध से जिस प्रकार जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उससे संतुष्ट न होकर अब निजी संपत्तियों पर भी हाथ डालने के लिये चली है और वह भी धार्मिक संस्थाओं के और हिन्दू समाज की बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के वास्ते।

चेअरमैन महोदय, यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसके यदि हैडिंग को देखें, शीर्षक को देखें तो इसमें हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि यह केवल हिन्दू जनता को और हिन्दू जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के वास्ते एक प्रकार का प्रयास नहीं है तो क्या है? मैं तो इस बिल को मूल रूप से ही एक आपत्तिजनक बिल मानता हूं, परन्तु जब यह देखता हूं कि केवल हिन्दू जनता के लिये ही यह बिल बनाया जा रहा है तो यह विशेष आपत्तिजनक हो जाता है। कहां हमारी सत्ता प्राप्त कांग्रेस पार्टी जो संप्रदायवाद के नाम से इतना घबराती है और कई मौकों पर जब हिन्दू हितों की रक्षा का प्रश्न आता है तो कहती है कि भारत में हिन्दू वगैरह अलग अलग कुछ नहीं, सब एक नेशन है, परन्तु इस बिल के द्वारा जब यह देखा जाता है कि इस देश में यहां के सब निवासियों को, सब को सम्मिलित न करके केवल हिन्दुओं तक ही इस बिल को सीमित रखना, यह सरकार की तरफ से हिन्दुओं पर एक तरह से अत्याचार नहीं तो और क्या है?

चेअरमैन महोदय, जिस प्रकार से धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है, उस अधिकार की दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो यह बिल उस धार्मिक स्वतन्त्रता और पूजा की स्वतन्त्रता को छीनने वाला है। इस बिल में मंदिर और मठ भी इन्क्लूड किये गये

[रावत श्री शंभूसिंह]

हैं और मंदिर और मठ पूजा के स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं और यदि सरकार इन मंदिरों और मठों की निधियों को अपने नियन्त्रण में ले लेगी तो फिर उन मंदिरों में जो पूजा स्वतन्त्रतापूर्वक अब तक हो रही है, वह कैसे हो पायेगी और उन मठों से अब तक जो धार्मिक कार्य होते आये हैं वे कैसे हो पायेगें ? अतएव यह खुल्लमखुल्ला हमारी धार्मिक स्वतन्त्रता पर आघात है और हमारे संविधान के प्रतिकूल है और इस बात के वास्ते मैं जोरदार दलील पेश करता हूं कि इस प्रकार का बिल कदापि पास नहीं कराया जा सकता।

इसके अलावा यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसमें मठों और मंदिरों पर नियन्त्रण करने का विधान है और सार्वजनिक प्रन्यास में किस वजह से मंदिरों और मठों को सम्मिलित कर लिया गया है यह मेरी समझ में नहीं आता। सार्वजनिक प्रन्यास तो वे होने चाहियें कि कुछ व्यक्ति प्रन्यास द्वारा स्वतन्त्रता से निधि इकट्ठी करते हैं और उसका एक ट्रस्ट बना लेते हैं, पर जो धार्मिक स्थान हैं उनको सार्वजनिक प्रन्यासों में कैसे लिया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया है ?

राजस्थान के कतिपय वर्गों की ओर से जिनमें भी जैन सम्मिलित हैं, इस बिल का घोर विरोध किया जा रहा है। मैं समझता हूं केवल जैन ही नहीं हर संप्रदाय और हर धर्म को मानने वाले इसका विरोध करेंगे क्योंकि इस प्रकार से धार्मिक प्रचार के हमारे साधन मंदिर और मठ हैं। उन पर इस प्रकार का नियन्त्रण करके हमारी सरकार हमारी धार्मिक भावना को कुचलना चाहती है और हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना चाहती है। इन मंदिरों और मठों द्वारा हम धार्मिक उपदेश हासिल करते हैं। हमारे पारलौकिक जीवन को सुधारने के वास्ते और वहां पारलौकिक जीवन की शान्ति के लिये प्रार्थना करते हैं, पर अब सरकार इस कानून को पास करवा कर के हमारे मंदिरों और मठों के ऊपर भी नियन्त्रण करना चाहती है और जब इन मंदिरों, मठों और धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति है, इस बिल के अनुसार यदि वह बैंक में डाल दी जावेगी या जिसको मुनासिब समझे उसके सुपुर्द कर दी जावेगी तो उस सम्पत्ति द्वारा हमारा धार्मिक प्रचार जो हो रहा है उसमें कितनी बाधा उपस्थित होगी, यह कैसी चीज है ! अब तक तो हम यह देखते आये थे कि सरकार द्वारा केवल ऐहिक मामलों में ही हस्तक्षेप किया जाता था पर अब तो हमारे पारलौकिक मामलों में भी हस्तक्षेप सरकार करना चाहती है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वह भी सुप्रबन्ध के नाम से ! सरकार जरा पहले अपने घर का सुप्रबन्ध तो देख लें कि सरकार के विभिन्न विभागों में किस प्रकार पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और फिर वह नये स्थानों के प्रबन्ध का प्रयास करे जो इसके अधिकार क्षेत्र या प्रबन्ध की सीमा के अन्दर भी नहीं आते।

तो इस प्रकार माननीय चेयरमैन महोदय, यह बिल एक अवांछनीय बिल है। यदि यह पास हो जाता है तो हमारे धार्मिक जीवन का एक प्रकार से नाश ही हो जाता है।

तो माननीय चेअरमैन महोदय, इस प्रकार यदि धार्मिक संपत्ति पर सरकार का नियन्त्रण तो जो इन मंदिरों में भेंट पूजाएं आती हैं और मठों की तरफ से निधियां इकट्ठी की जाती है उनमें बडी भारी कमी होने का एहतमाल है और इस कमी की वजह से आज तक जो धार्मिक प्रचार होते आ रहे हैं उनमें में भी बड़ी भारी कमी का एहतमाल है।

[रावत श्री शंभूसिंह]

मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि सरकार को इन धार्मिक स्थानों और निधियों के प्रबन्ध की क्यों इतनी आवश्कता प्रतीत हुई ? इनके प्रबन्ध की इतनी फिक्र सरकार को क्यों हो रही है ? इन निधियों और संपत्तियों में भक्तों की तरफ से एकत्रित की हुई निधियां हैं, क्या उन भक्तों की तरफ से इस प्रकार की दरख्वास्त सरकार के पास पेश हुई है, या उस संप्रदाय के मानने वाले व्यक्तियों की ओर से इस प्रकार की इच्छा प्रकट की गई है कि सरकार उन निधियों का प्रबन्ध करे, इन निधियों का नियन्त्रण करे। मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों का इस प्रकार की निधियों से या इस प्रकार के धार्मिक स्थानों से सम्बन्ध है, उनमें से किसी की तरफ से सरकार की सेवा में इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की गई है कि हमारे इन स्थानों का, इन निधियों का प्रबन्ध सरकार अपने नियन्त्रण में ले। तो फिर सरकार अनावश्यक रूप से यह क्यों कर रही है ? पर इसकी तह में बात है, वह यह है कि सरकार पब्लिक मनी, (public money) सार्वजनिक धन का उपयोग करने के बाद अब निजी संपत्ति है उसको भी अपने अधिकार में लेकर उसका भी मनमाने ढंग से उपयोग करना चाहती है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, क़ौम परस्ती आदि का आज कल बोलबाला है और उन्हीं कामों में रुपया खर्च किया जा रहा है, उसी प्रकार यह पैसा भी उन्हीं कामों में खर्च करके उसका दुरुपयोग करने की नीयत प्रतीत होती है। साधारणतः तो इसको हत्या नहीं कह सकते इसलिये सरकार मन्दिरों के सुप्रबन्ध के नाम से इस प्रकार का कानून बना कर धार्मिक संस्थाओं के द्रव्य को जिस प्रकार वे उपयोग में लाना चाहें, लाना चाहते हैं और जहां पर उसको रखना चाहें रखना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि पब्लिक इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों के प्रबन्ध में भी अपना हस्तक्षेप करें। अभी तक उनका हस्तक्षेप निहित कार्यों तक ही सीमित था, परन्तु जो स्थान पारलौकिक शान्ति पाने के लिये हैं वहां पर भी सरकार ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। तो चेअरमैन, इन सारी बातों को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि जो प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और वह यह है कि इस विधेयक का सम्बन्ध यहां की पब्लिक से है इसलिये पब्लिक की राय जानकर इस प्रकार का अधिनियम पास करें। बग़ैर जनता की राय जाने इस प्रकार का अधिनियम पास नहीं होना चाहिये और जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय को विदित ही है कि चारों तरफ़ से इस विधेयक के विपरीत प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जिसके ज़रिये इसकी मुख़ालफ़त की जा रही है, उसको देखते हुए यह ज़रूरी बात हो जाती है कि इसको जनता की राय (जनमत) जानने के लिये तुरन्त प्रस्तुत किया जाय।

श्री हरिराम निनामा—चेअरमैन महोदय, जो यह हिन्दू ट्रस्ट बिल हमारे सामने आया है, हमको इस बिल के बारे में विचार करना है। सच्ची बात तो यह है कि इसको कभी का पास कर दिया जाना चाहिये था। इस बिल को पढ़ने पर और जैसा हमने इसका अध्ययन किया है इस बिल के सिलसिले में हमें इस बात को ध्यान में रख कर इस बिल को बनाना होगा कि यह कितना उपयोगी है। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें यह दर्ज होना चाहिये था और यह दर्ज नहीं हुआ है। हमको इस बात से आपत्ति है, यह दर्ज होना चाहिये; मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

यह सत्य बात है कि बिल में हमें पता चला है कि इस राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में जो टाटा और बिड़ला जैसे हिन्दू धर्म के मानने वाले बड़े बड़े लखपति हैं और करोड़पति हैं, वे बड़ी

[श्री हरिराम निनामा]

बड़ी फ़ैक्ट्रीज़ चला रहे हैं। आज हिन्दुस्तान भर में उनकी फ़ैक्ट्रीज हैं। आज हम देखते हैं कि जब हम मन्दिर में जाते हैं तो यह देखते हैं कि सोने और चांदी के झूले हैं, सारे आभूषण सोने और चांदी के चमक रहे हैं, जवाहरात चमक रहे हैं। जहां हम मस्जिद में जाते हैं वहां हम देखते हैं कि वहां कुछ नहीं है सिवाय फूल माला के। वहां पर फूल माला पड़ी रहती है।

आज सेठ साहूकार हैं वे अपनी बेटी के रुपये लेते हैं। १५ हज़ार रुपये अपनी बेटी की शादी के लिये लेते हैं, बेटी का मूल्य लेते हैं और उसको बेचते हैं। उन १५ हज़ार रुपयों में से ५ हज़ार या ७ हज़ार रुपया मन्दिर में धर्म के नाम से रखते हैं। उन्होंने १५ हज़ार रुपये बेटी के लिये और उसमें से ५ हज़ार रुपये मन्दिर में जमा कराते हैं धर्मादे के तौर पर। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने बेटी के नाम से रुपया खाया है। वे कहते हैं कि ५ हज़ार रुपये मन्दिर में रख कर उन्होंने बहुत धर्म किया है। उनका मतलब यह है कि लोग उनसे कोई कुछ कहें नहीं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पीछे कोई नहीं होता है उसकी मिलकियत भी धर्मादे में चली जाती है। मन्दिर में वह मिलकियात भी जोड़ दी जाती है और जमा करली जाती है। अगर कोई करोड़पति बग़ैर किसी वारिस के मर गया तो उसकी सारी की सारी प्रोपर्टी मन्दिर में चली जावेगी। उसका सरकार ने कभी कोई हिसाब किताब नहीं किया। उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके लिये कोई कानून नहीं है। जिसके पीछे कोई रहे नहीं, सब मर जावें तो उसके पीछे सरकार कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिये कोई विधान नहीं। उनकी सारी की सारी प्रोपर्टी मन्दिर में जमा हो जाती है। पांच पंच इकट्ठे होकर कहते हैं कि यह मन्दिर में जमा हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि अन्दर से उस धन के ज़रिये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं और बड़ी बड़ी कम्पनियाँ चल रही हैं। मन्दिर के माल से फ़ैक्ट्रियां चल रही हैं। इसलिये मैं यह कहता हूं कि सरकार की तरफ़ से इसके लिये कोई कानून होना चाहिये और हम भी चाहते हैं कि मन्दिरों की देख रेख करने के लिये सरकार यह बिल लाई है, यह पास होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह देखे कि उसका हिसाब क्या है? मन्दिर के पैसे से कम्पनी चलती है। यह सरकार ज़रूर देखेगी। आप धर्म को आगे रख कर उसकी आड़ में काम कर रहे हैं। यहां पर धर्म की कोई बात नहीं है। यहां पर धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार को अवश्य यह देखना चाहिये कि कितनी प्रोपर्टी है। यह बिल ऐसा है कि कभी का पास हो जाना चाहिये। इसमें देर क्यों की जाती है? हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े मन्दिरों में डाकू डाका देकर माल लूट कर ले जाते हैं। यह आपको अच्छी तरह मालूम है। इसलिये मैं तो आपसे यह कहता हूं कि सरकार को मन्दिर में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिये। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि और सरकार से कहूंगा कि सरकार छोटी छोटी बातों में न फ़ंसे और सरकार को चाहिये कि इसको अभी पास करना चाहिये और अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिये। इस बात में क्या रखा है, इस बिल पर विचार करे। इस बिल में क्या रखा है? सरकार क्यों इसको पास करने में घबरा रही है? अत: मैं माननीय मन्त्रीजी, से प्रस्ताव करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जावे। हमें बड़े बड़े काम करने हैं। समय क्यों बरबाद किया जा रहा है? इसको जल्दी से जल्दी पास करें।

(घंटी)

[श्री हरिराम निनामा]

में इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू–माननीय चेअरमेन, जैसा माननीय मंत्री महोदय की बेचैनी से पता चलता है कि वे इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करने के लिये तुले हुए हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं यह बिल जिस सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था उसके चार सदस्यों का इस पर नोट ग्रोफ़ डिसेन्ट है। हम समझते थे कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर अच्छी तरह से विचार करके सदन के सामने रखा होगा। इस सिलेक्ट कमेटी के ग्रन्दर १४ सदस्य थे, उन्होंने इस पर विचार किया ग्रौर उसमें चार सदस्यों ने ग्रपने नोट ग्रोफ़ डिसेन्ट भी दे दिये। इससे ऐसा पता चलता है कि सिलेक्ट कमेटी में जब इस बिल पर बहस हुई उस समय भी काफ़ी मतभेद रहा होगा। चार डिसेन्टिंग नोट्स इसी बात के प्रमाण हैं जिसमें से एक भैरूंसिंहजी का है, दूसरा जगतसिंहजी, तीसरा चांदमलजी मेहता ग्रौर चौथा मौहब्बतसिंहजी का है।

मुझे यह बात समझ में नहीं ग्राती जब कि हमारे हिन्दुस्तान के लिये पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बना हुग्रा है तो इस प्रकार एक एक स्टेट में हिन्दू ट्रस्ट बिल लाने की क्या ग्रावश्यकता है, उस ट्रस्ट के ग्रन्तर्गत भी ग्राप कार्यवाही कर सकते हैं। हमें यह पता नहीं कि सिलैक्ट कमेटी ने इस बारे में भी विचार किया या नहीं। यह तो या तो माननीय मन्त्री महोदय ही बता सकते हैं, या सिलेक्ट कमेटी में सम्मिलित सदस्य। लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तो इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस दृष्टि से भी मैं इस हिन्दू ट्रस्ट बिल को ग्रनावश्यक समझता हूं।

इसके ग्रलावा एक प्रस्ताव जो एक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है कि इसको पब्लिक ग्रोपीनियन के लिये सरकूलेट किया जाय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव ग्रावश्यक ग्रौर उचित भी है। मैं देखता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को इस तरह से ग्रमेन्ड किया है जिससे मूल बिल में बहुत बड़े परिवर्तन किये गये हैं। इस बिल के खंड १ के उप-खंड ६ (१) में जो परिवर्तन किया गया, जो नया सा प्रोवीजन किया गया, उसके सबब से इसमें बहुत बड़ा मतभेद हो गया है, इसका एक्सप्लेनेशन करके इसमें ग्रौर शंका की समस्या कर दी गई है। हिन्दू शब्द में जैन ग्रौर सिक्खों को भी शामिल किया जा सकता है तो फिर मेरा यह निवेदन है कि मुसलमानों ग्रौर इसाइयों को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया जा सकता? यह एक ग़लत तरीका होगा; हिन्दू शब्द लगाकर धर्म के कार्य में जैन ग्रौर सिक्खों को भी इसमें शामिल कर लिया जाना इस तरह की परिभाषा हिन्दू शब्द की रखना मैं बहुत घातक समझता हूं। हमारे पास इस सम्बन्ध में हमारी कोन्स्टीट्यूएन्सी के ग्रलावा दूसरी कोन्स्टीट्यूएन्सी से प्रस्ताव ग्राये हैं जिनको पढ़कर हमें विश्वास हो गया है कि पब्लिक इस बिल को इस रूप में, जिस रूप में कि सिलैक्ट कमेटी ने रखा है पसन्द नहीं करती इसका घोर विरोध करती है। इसी घोर विरोध को देखते हुए हम भी ग्रपना कर्तव्य समझते हैं पब्लिक की जो वोइस (voice) है वह हम सदन के समक्ष रखें।

दूसरी बड़ी रद्दोबदल सिलैक्ट कमेटी ने इस बिल के खन्ड १५ में की है। १५ ए का प्रोवीजन ग्रौर जोड़ दिया गया है। इससे बहुत ख़राब व्यवस्था हो गई इससे भी लोगों को ग्रापत्ति पैदा हो गई है इस पर भी पब्लिक को बड़ा भारी विरोध है। जिस धारा के प्रति जनता का इतना विरोध हो उसको

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

पास कर लेना में उचित नहीं मानता। इसलिये ऐसी धाराओं पर पब्लिक की राय न लेना भारी भूल होगी। इसलिये मेरा भी यह निवेदन है कि इसको फिर पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजना चाहिये। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें भी पब्लिक की राय जानना बहुत आवश्यक है। सरकार जहां कहीं पैसा देखती है वह चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से इसको हड़प किया जाय। एक धार्मिक स्थान ही ऐसे रह गये थे जो इस बात से अछूते रह गये थे। सरकार की नजर अब धार्मिक स्थानों पर भी पड़ गई, अब इनमें जो पैसा है उसको हड़पने की कोशिश की जाती है। धर्म के नाम से जो पैसा दिया जाता है, धर्मादे के नाम से जो लोग पैसा देते हैं, उसका अर्थ यह है कि जिन लोगों ने ऐसा पैसा ईश्वर के नाम से भगवान के अर्पित कर दिया है उसी पैसे का सदुपयोग शास्त्रज्ञ और पंडित हैं, वे ही कर सकते हैं। वे ही इस बात को बहुतर समझ सकते हैं। सरकार का इसके अन्दर हस्तक्षेप, भगवान को जो पैसा अर्पित कर दिया है उसके अन्दर हस्तक्षेप सरकार करना चाहती है, भगवान के हिस्से को लेना चाहती है। यह जनता कदापि बरदाश्त नहीं करने वाली है।

आज हम देखते हैं कि ऐसी संस्थायें जो गवर्नमेन्ट के हाथ में चली गई, जो मन्दिर आज गवर्नमेन्ट के अधीन है, उनकी हालात को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि इस हिन्दू ट्रस्ट बिल के अधीन जो सम्पति है, वह सरकार के अधिकार में दे देना भारी भूल होगी। हमारा तजुर्बा यह है कि जो काम आज देवस्थान विभाग द्वारा हो रहा है, चैरिटी डिपार्टमैन्ट द्वारा हो रहा है, जिन मन्दिरों में सही पूजा होनी चाहिये; लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट के हाथ में दे दिया जावे, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। इन तमाम बातों के देखते हुए मैं समझता हूं, जो पब्लिक वोइस (voice) हमारे पास आयी है, उस पर गौर करते हुए मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, मैं इस संबन्ध में अपनी राय दूं। जनमत के लिये भेजने का नतीजा यह होगा कि हिन्दू, जैन, सनातन आर्यधर्म आदि के मानने वाले हैं, वे सब लोग संगठित रूप में विचार कर सकेंगे और अपनी अपनी राय दे सकेंगे, तभी हम इस बिल पर ठीक प्रकार से निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ?

(२-७ पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं इसमें सहायक आयुक्त यानी असिस्टेन्ट कमिश्नर मुकर्रर करने की भी धारा है उसको ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। धार्मिक संस्थाओं और स्थानों के अन्दर वह हस्तक्षेप कर सकेगा। इसमें यह बात नहीं कि इस पद पर कार्य करने वाला आदमी हिन्दू धर्म के मानने वाला ही हो, अगर मान लीजिये किसी क्रिश्चियन को सहायक आयुक्त की जगह मुकर्रर किया गया या मुसलमान को बना दिया गया तो वह असिस्टेन्ट कमिश्नर के नाते जैन और हिन्दू मन्दिरों में घुस सकता है, सिक्खों के दरबार में चला जायगा यह धार्मिक दृष्टिकोण से वाजिब बात नहीं होगी। यह काम जिस प्रकार जिस आदमी को सौंपा जायगा इसमें बड़ी भारी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। आज संविधान के अन्दर यह अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन का पूरी तरह से अधिकार है, लेकिन आज जैसा बिल

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

हमारे सामने प्रस्तुत है उसको देखते हुए हमारे धार्मिक कृत्यों में बड़ी भारी कठिनाई और बाधाएं पैदा हो सकती हैं, जिस प्रकार हम अपने धर्म को पालन करना चाहते हैं नहीं कर सकेंगे। जिस समय किसी मन्दिर का बजट बनेगा तो उसके लिये लाजमी होगा कि वह असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास भेजे, इसका मतलब यह हुआ कि वह बीच के अन्दर हस्तक्षेप कर सकेगा, इस प्रकार बजट में उसकी राय लेना यह धर्म के कार्य में बड़ा असर पैदा करेगा। इसके अलावा मान लीजिये कभी कुछ आदमियों के जंचगई और किसी बात पर रुपया खर्च करना जरूरी हुआ तो बिना असिस्टेन्ट कमिश्नर की आज्ञा के वह हो नहीं सकता। क्योंकि उन्हें तो बजट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिये इसमें इस बात की उनको इतनी आज़ादी नहीं होगी कि जिस वक्त चाहे अपनी रकम उसमें लगावें। रजिस्ट्रेशन जो आपने कम्पल्सरी कर दिया है इसमें जांच करने में भी बड़ी भारी कठिनाइयां होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय कागज़ात मांगे जावेंगे तो नहीं होंगे जिनके पास उनको बड़ी परेशानी हो जावेगी। तो इस तरह की बातें करने से तो मैं समझता हूं कि जो यह सुविधा हम देते चले जा रहे हैं जनता को वे सुविधाएं इससे नहीं मिलेंगी। मेरा खयाल है कि जो पब्लिक ट्रस्ट बिल ऑलरेडी मौजूद है वह काफ़ी होगा और उससे तमाम बातें कवर हो जावेंगी।

यह बात दूसरी है कि किसी दूसरी सरकार ने एक बिल पास कर दिया है तो हम भी उनकी नकल करें। नकल अच्छी चीज़ों की करे तो अच्छा भी है। पर चूंकि आज कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें से किसी एक कांग्रेस सरकार ने एक जगह एक कानून बनाया तो उसी की नकल दूसरी जगह कांग्रेस सरकार करे तो वह तो बात कोई ठीक लगी नहीं, अगर कदाचित दूसरी सरकार होती तो ऐसी बात आती ही नहीं। तो यह नकल करना ठीक नहीं है। अगर ओरिजिनल्टी कुछ हो और उससे जनता का हित होता हो तब तो बात मानने योग्य है महज इस गरज से कि एक ने पास किया है हम भी करें। हम यह भी नहीं देखें कि वे सरकम्सटेन्सेज हमारे यहां हैं या नहीं, या जनता उसको चाहती है या नहीं, इन बातो का बगैर ध्यान रक्खे कुछ नकल करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो जहां तक मेरा खयाल है यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये जाना चाहिये, जहां तक मैं समझता हूं कि पब्लिक की तरफ से तो सरकार के पास एक भी दरख्वास्त ऐसी नहीं आई कि फलां संस्था में फलां घोटाला है जिसके लिये आप बिल बनादें तो यह सरकार की मनोवृत्ति का द्योतक ही है। यह तो सरकार अपने आप खामा खां कानून बनाती है। इसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि दान का रुपया, धर्मादा का रुपया, जो आता है उस पर भी अपना हाथ कैसे साफ करना। अगर यह उद्देश्य है सरकार का जैसा कि साफ़ लगता है तो बड़ा खराब उद्देश्य है। इससे और भी ज्यादा खराबियां पैदा होंगी और काम भी नहीं हो पावेगा। तो मैं मिनिस्टर महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसे जनमत के लिये भेज दें। जनमत इस बिल के लिये उत्सुक है; उसकी राय तो आप जानें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, यह हिन्दू प्रन्यास विधेयक सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद अब यह प्रस्ताव आया है कि इसे जनमत जानने के लिये भेजा जावे तो मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं समझ नहीं पाया कि सिद्धान्तों के मामलों में इसमें ऐसी कौनसी बात आ गई है कि सिलेक्ट कमेटी के पास से आने के बाद भी अब सदन के किसी माननीय सदस्य

[श्री दामोदरलाल व्यास]

को आपत्ति हो रही है। फिर भी आपत्तियां सदस्यों को हुई हैं और उन पर लम्बे लम्बे भाषण दिये गये हैं और इन भाषणों में बहुत सी ऐसी बातें भी कही गईं, कि जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

कहा यह जाता है कि धार्मिक स्थानों के पैसे को सरकार इन्कम करना चाहती है, उस पैसे को अपनी प्लानों में लगाना चाहती है, सेवा पूजा धर्म के कामों में सरकार दखल देना चाहती है, आदि आदि। मैं नहीं समझ पाया कि इस तरह की इन्टरफीयरेन्स की कोई बात किसी माननीय सदस्य को इस बिल में कहां मिली हैं? मैं अर्ज करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी की चलनी में छनकर जब यह बिल आया तो आज उसकी शक्ल इतनी लिबरल बन गई है कि अगर सरकार का कोई कन्ट्रोल रह भी गया है तो सिर्फ़ एडवाइज़री बोर्डीज़ पर है जो अमन्डेड फार्म में सेट अप की जावेगी।

वास्तव में इस बिल का मक्सद यह है कि राजस्थान में जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं उनको रेगुलेट करना। उनकी जो प्रोपर्टी है और जो किन्हीं कारणों से, जिन कामों में लगाने के लिये वह है, उनमें नहीं लगाई जा रही है, वह रकम उन्हीं कामों में लगाई जावें, इसकी व्यवस्था इस बिल में है। कोई आदमी उसका मिसयूज़ न कर सके, मिस एप्रोप्रियेशन न कर सके, और उसका बेजा फ़ायदा न उठा सके इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। इन बातों को रोकने के लिये कानून बनाना कोई धर्म में बड़ा इन्टरफीयरेन्स है तो मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं होगा।

क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जिस काम के लिये ट्रस्ट क्रीयेट किया गया है उस ट्रस्ट की रकम आदि उस काम में नहीं इस्तेमाल की जावे और जो गड़बड़ी करते हैं उन्हें न रोका जावे। मैं समझता हूं कि इसको रोकना जरूरी है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। फिर यह भी सही है कि इस तरह के कानून पहले भी छोटी छोटी स्टेटों में थे और वे इससे काफी सख्त थे यह तो उन सबको यूनिफार्म किये जाने का एक प्रयत्न है और यह उन कानूनों से काफी लिबरल है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं जयपुर यूनिट में और और जगहों पर भी ऐसे कानून थे जिनकी सूची शिड्यूल में दी गई है। जैसे दी चेरीटेबिल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट्स एक्ट, १९२०, बीकानेर में दी बीकानेर चेरीटेबिल एण्डाउमेन्ट्स एक्ट, धौलपुर में दी धौलपुर रिलीजियस एण्डाउमेन्ट्स एक्ट, डूंगरपुर में दी डूंगरपुर देवस्थान निधि एक्ट, १९४८, जयपुर स्टेट में दी जयपुर रिलीजियस एण्डाउमेन्ट्स एक्ट, १९४६ और दूसरी स्टेटों में नोटि-फिकेशन्स थे।

तो उस वक्त में ज्यादा इन्टरफियरेन्स था। आज तो हमने काफी उदार इस कानून को बना दिया है। देवस्थान कमिश्नर का कोई इन्टरफियरेन्स नहीं है और न डिप्टी कमिश्नर का कोई इन्डि-पेन्डेन्टली इन्टरफियरेन्स इसमें है। अगर रखा है तो सिर्फ इतना कि ट्रस्ट के रुपयों को प्रोपर्टी को किस तरह से इन्वेस्ट किया जावे, इसके लिये एक मैथड प्रस्क्राइब किया गया है। दूसरी बात है एकाउण्ट्स की इसे रेगुलेट करने की बात है। बजट जो सालाना खर्च का है उसकी एक कापी देवस्थान कमिश्नर के पास केवल सूचना के लिये भजने की बात है और इसके अवाला ट्रस्ट की प्रोपर्टी को उस देवस्थान कमिश्नर की इजाजत के बिना डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा के कार्यों में कोई इन्टरफिय-रेन्स नहीं है। रीजनल हैडक्वार्टर्स पर रीजनल एडवाइजरी कमेटियां बनाई जावेंगी और इन कमेटियों

[श्री दामोदरलाल व्यास]

में वे ही होंगे जो उस धर्म में विश्वास रखने वाले हैं और उनकी राय में असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर एसे किन्हीं मामलों में जो उनके पास आवेंगे फैसला करेंगे। इसके अलावा एक सेन्ट्रल एडवाइजरी बोड बनगा और उसके पास अपीलें जावेंगी और उनमें उसकी राय फाइनल होगी और जो वे राय देंगे उनकी राय पर अमल किया जावेगा। और सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी वही आदमी वही धर्म के लोग होंगे जो उस धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखते होंगे। तो फिर मैं नहीं समझता हूं अब कि सरकार के पास कौनसा पॉवर रह गया है जिससे सरकार का इन्टरफियरेन्स हो जावेगा ? सरकार केवल यह करना चाहती है कि कोई इन ट्रस्टों का रुपया खा न जावे, उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जावे। अब इस सही जगह के इन्वस्टमेन्ट पर देखभाल करने की बात में क्या दिक्कत पैदा हो गई, यह मेरे समझ में नहीं आया।

दूसरी बात धर्मादा पर कही गई कि धर्मादा पर यह नियन्त्रण किया गया तो धर्मादा वसूल होना बन्द हो जावेगा। तो धर्मादा पर हमने कोई नियन्त्रण का प्रोवीजन नहीं रखा है। एक सैक्शन जोड़ा है कि किसी शहर या मण्डी में जो लोग एक अमुक प्रकार का व्यापार करते हैं और धर्मादा के नाम से किसानों से या दूसरे लोगों से जो रकम वसूल करते हैं तो इसके लिये वे ट्रस्टी होंगे। और ट्रस्टी होने की हैसियत में उस व्यापार के करने वालों की एक प्रेसक्राइब्ड मेनर में एक कमेटी होगी। उस कमेटी के अपने यह अधिकार में होगा कि धर्मादा को लेकर वह उसको एक तरीके से खर्च करे रिलीजियस और चेरीटेबल पर्पजेज के लिए और उसको देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर के यहां एक साल में एकदफा अपना एकाउन्ट पास कराने को कहा गया है कि वह हिसाब भेज दे और इसके बाद देवस्थान कमिश्नर और किसी भी मामले में दखल नहीं देगा। अगर जो कमेटी व्यापारियों की बनाई गई है वह शिकायत करती है अमुक व्यापारी के खिलाफ कि वह धर्मादे का दुरुपयोग कर रहा है, वह जो आज खर्च कर रहा है उसमें उन हिदायतों का पालन नहीं कर रहा है तो देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर दखल देगा। मैं नहीं समझ पाता कि यह क्यों कहा जाय कि सरकार का उसमें दखल है ? धर्मादा लोगों से वसूल किया जाय और लोगों से वसूल करके व्यापारी द्वारा उस रुपये को अपने मनमाने ढंग से खर्च कर दिया जाय या अपने खुद के इस्तेमाल में ले लिया जाय या ऐसे काम में ले लिया जाय जो कि चेरीटेबिल नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जिस काम के लिए धर्मादा वसूल किया जाता है उसमें खर्च करने के लिए पूरा या अधूरा खर्च करने के लिए उन्हीं व्यापारियों की एक कमेटी बनाई जाकर उस कमेटी के जरिए से उस धर्मादे को खर्च करने का उसका ताल्लुक रखा जाय, तो सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। सरकार यानी देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर पिक्चर में तभी आते हैं जब कि वह कमेटी इस बात की शिकायत करेगी कि अमुक व्यापारी धर्मादा पूरा नहीं दे रहा है या गलत खर्च कर रहा है then only the Devasthan Commissioner will interfere, otherwise not. और भी देखना चाहिये कि कहीं भी सरकारी दखल किसी काम के अन्दर नहीं है। जहां कहीं कुछ प्वाइन्ट्स ऐसे हैं जिसके अन्दर जैसे कि बजट के लिये, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी मन्दिरों की है उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड को कम्प्लीट ओटोनामी दे दी है कि जिस तरह से वह कहेगा, जिस तरह से उनकी राय होगी वही चलेगी, वही बाइंडिंग

[श्री दामोदरलाल व्यास]

होगी देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर के ऊपर। आप अगर एमेन्डेड सेक्शन ३० बी. आर. ३२ तथा ३३ को देखेंगे तो इसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि"......the difference of opinion between the Assistant Devasthan Commissioner and the Regional Committee will be settled by the Board whose decision will be final." बोर्ड के मेम्बर्स का राइट होगा और बोर्ड के मेम्बर्स भी प्रेस्क्राइब्ड मेनर में होंगे। वे लाजमी तौर से वही व्यक्ति होंगे जो कि उस धर्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म का पालन करने वाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कहां पर आयेगी दखल करने? जितने भी प्वॉइन्टस पर एतराज होंगे उनके लिए यही है कि जो बोर्ड की राय होगी देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर उसकी पाबन्दी करेगा। फिर मैं नहीं समझता कि सरकार का नियन्त्रण किस मामले में होगा? जैसाकि मैंने अर्ज किया कि यह आज कोई नया कानून अपने यहां नहीं बनाया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के अन्दर भी इस प्रकार का कानून है। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र आदि में सब जगह पर यह कानून आज से नहीं परन्तु वर्षों से चला आ रहा है। अपने राजस्थान में भी जितनी रियासतें थीं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उनमें भी इस प्रकार का कानून था और जिसके अन्दर कि इससे ज्यादा नियन्त्रण था जैसा कि आज भी आप देखेंगे कि अलग अलग युनिट्स के अन्दर धार्मिक स्थान गवर्नमेंट के नीचे हैं, गवर्नमेंट का उन पर मेनेजमेंट है। गवर्नमेंट के मेनेजमेंट में लेने के जो इन्टेग्रेटिंग यूनिट्स के लॉज हैं उनके मुताबिक आज इसमें प्रोवीजन नहीं रखा है कि गवर्नमेंट ट्रस्टीज को हटाकर अपने मेनेजमेंट में रख लेगी। ट्रस्टियों के पास ही ट्रस्ट का मेनेजमेंट रहेगा। उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा सिवाय इसके कि वह यह देखे कि जिस काम के लिए ट्रस्ट फ्रेम किया गया है उसी काम में वह रुपया लिया जाय। उसको रेग्यूलेट करने के लिए ही यह लॉ बना रहे हैं। यह कहना कि धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है और सरकार रुपया हजम कर जायगी तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कुछ नहीं है सिवाय इलेक्शन स्टन्ट के। हो सकता है कि कुछ सदस्यों के पास में सिद्धान्त के रूप में कांग्रेस का विरोध करने के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए कोई मसाला नहीं हो तो यह बात ठीक है। लेकिन यह चलने वाली बात नहीं है। अगर उस बिल को जिसको कि आज हम यहां पर पास करने को बैठे हैं, जो बिल आज पेश किया गया है वह इसी उद्देश्य से पेश किया गया है हम उनको रेग्यूलेट करें, रिलीजियस ट्रस्ट जो हैं उनको। इस तरह से जो असलियत को जानते हैं और जो यह चाहते हैं कि पैसे का दुरुपयोग न हो वे यह बिल देखकर कह सकते हैं कि यह अधूरा नहीं है। इसमें किसी प्रकार का धर्म में हस्तक्षेप नहीं है। हम भी समझते हैं और पब्लिक भी इसको पढ़ सकती है और समझ सकती है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या इन्टरफियरेन्स है। जो बातें सदन में कहीं गई हैं वे कहां तक सच हैं या ठीक हो सकती ह। माननीय सदस्य जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं नहीं मानता कि वे नहीं जानते होंगे इस बात को, क्यों कि वे बहुत ही योग्य सदस्य हैं और इस असेम्बली में उन्होंने बहुत ही कन्ट्रीब्यूट किया है कई लेजिस्लेटिव कामों में इसलिए मैं जानता हूं कि वह इस बात को समझते हैं कि इस बिल में इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वे विरोध करते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं सदन में और यह बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार हिन्दू धर्म में बहुत बडा इन्टरफियरेंस

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कर रही है। वह कॉन्स्टीट्यूशन यानी संविधान जो देश का है उसके खिलाफ कानून बना रही है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो बिल यह बनाया जा रहा है वह ऑलरेडी बम्बई, सौराष्ट्र, मद्रास और मध्यप्रदेश में बहुत वर्षों से चला आ रहा है और इसकी सूटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट तक जाचुकी है और वहां पर यह उसके टेस्ट्स को स्टेन्ड कर चुका है। उनके बेसिस पर यह बिल ड्राफ्ट किया गया है। इसलिये कोई संविधान के खिलाफ इसके अन्दर बात नहीं है जिससे कि यह कहा जाय कि वह कॉन्स्टीट्यूशन की फलां धारा का यह उल्लंघन करता है। तो मैं यह मानकर चलूंगा, उपाध्यक्षजी, कि ऐसी अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की आपत्तिजनक धारा बतलायेंगे कि जिसमें किसी भी धर्म के या किसी मन्दिर के या किसी सार्वजनीन प्रन्यास में कोई भी जरा सी दिक्कत पैदा होती होगी तो मैं उनके सुझाव को खुशी के साथ मन्जूर करूंगा। उनको अधिकार है कि वे बहुत ही कन्स्ट्रक्टिव एमेन्डमेंट्स दें जिसको मन्जूर करने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मगर यह कहना कि इस तरह का कानून शाया ही न हो तो मेरा उससे इत्तिफाक नहीं है। उसको मन्जूर करने को मैं तैयार नहीं हूं। गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी को सही तरीके से काम में लाया जाय। उसको रेग्यूलेट करने का कर्तव्य गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी सही तरीके से काम में लाई जाय। उसका बेजा फायदा कोई न उठाये। उसका मिसयूज न हो, उसका मिसएप्रोप्रियेशन न हो। जिस उद्देश्य को लेकर ट्रस्ट बनाया गया है उस उद्देश्य का पालन कर रहे हैं या नहीं ट्रस्टीज, यह देखना प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है और वैसे ही सरकार का फर्ज है, और इसके लिए कानून बनाना वाजिब ही नहीं बल्कि जरूरी है। इस लिए उसको (कानून) पेश किया गया है।

अलबत्ता जैसा मैंने अर्ज किया अगर कोई माननीय सदस्य सदन में कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देगा, किसी धारा में बतायेगा जिससे कि किसी धर्म को, किसी प्रन्यास के ट्रस्टियों को असुविधा न होती होगी तो मैं बहुत खुशी से उसको स्वीकार करूंगा। यही अर्ज करके जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है मैं उसको ओपोज करता हूं और जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसको कन्सिडर करने के लिये लिया जाय और उसको पास किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल को जनमत को प्रसारित करने के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैंने कुछ मुद्दे भी उठाये थे। उन मुद्दों में से कुछ का तो जवाब ही नहीं मिला है और कुछ का जवाब मिला है तो वह ऐसा मालूम होता है जो प्रवर समिति की अन्तिम रिपोर्ट है उसमें जो कुछ व्यवस्था है उसके खिलाफ है। यह कहा कि प्रोपर्टी के ऊपर सरकार का नियन्त्रण कहां होता है। वह तो एडवाइजरी बोर्ड की धारा में दिया हुआ है। धर्म अलग अलग हैं। उसमें जैन हैं, हिन्दू हैं, वष्णव हैं, और दूसरे दूसरे सम्बन्धित व्यक्ति हो सकते हैं। यदि यह बात सही मानी जाती जब कि उसमें अलग अलग धर्मों के बोर्ड होते और माननीय मंत्री महोदय कहते कि अलग अलग धर्मों के बोर्ड हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय ने अमेन्डमेंट स्वीकार करने की दृष्टी से कह दिया तो इसमें कई दिक्कत आती हैं। बिल प्रवर समिति से आया उसमें भी कठिनाई आवे। जो बोर्ड है उसमें अलग अलग धर्मों के बोर्ड नहीं हैं। जहां दूसरे प्रान्तों

[श्री चांदमल मेहता]

में इस तरह की कठिनाई आयी तो वहां अलग अलग धर्मों के बोर्ड हैं। इससे माननीय मंत्री महोदय कि भावना उस तरह हो गई हो और यदि इस तरह की बात करते हैं तो बिल के खिलाफ बात करते हैं। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी जो इस बिल में नहीं है।

दूसरा बडे जोरों से धर्मादे की धारा के बारे में कहा गया। माननीय मंत्री महोदय धर्मादे के मामले में पूरा समझते नहीं हैं। धर्मादे के नाम पर कोई रकम नहीं देना चाहता। जो धर्मादे की रकम है वह ऐसी है कि व्योपारियों की आढ़त में जो माल बिकने को आता है वे कुछ रकम धर्मादे में निकालते हैं। अगर उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया तो कुछ धर्मादे के नाम पर जो रकम निकलती है वह भी बन्द हो जावेगी। माननीय मंत्री महोदय हिमाकत करके इस प्रकार की धारा रखना चहाते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि धर्मादे की रकम से जो महत्वपूर्ण काम चलते हैं वे बन्द होने की स्थिति में आजावेंगे। अगर जैसा इसमें यह धारा रखो है तो वह निश्चित रूप से हाईकोर्ट से इनवेलिड होगी। वह चलने वाली नहीं है। इस धारा पर जब विचार विनियम होगा तो मैं विशेष रूप से अपने विचार रखूंगा।

कुछ मैंने मुद्दे उठाये थे उनका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। मैंने निवेदन किया था कि जहां तक जैन्स का ताल्लुक है इस बात को . . . . . .

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि this is no reply. He can only touch the points what I have given in my reply. ये तो वापिस रिपीट कर रहे हैं। He should not repeat. The Hon'ble Member can only touch the points which I have said during my reply.

श्री चांदमल मेहता—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बातें उन्होंने उत्तर में छोड़ दी हैं उनको रख दूं। इसी आशा से मैं निवेदन कर रहा था। अगर माननीय मंत्री महोदय को एतराज है और उनको दुख होता है तो मैं इसको खतम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री महोदय को दुख हो। इसलिए मैं यही उचित समझता हूं और मैं सदन से अनुमति चाहता हूं कि मैं मेरा प्रस्ताव वापिस लूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने इस बिल के सम्बन्ध में जो आज से कुछ दिनों पूर्व बहस हुई थी उसका आज सुक्षम में, यदि मैं यह कहूं कि निरर्थक उत्तर दिया हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस प्रकार का उत्तर आज सदन में दिया है। उनके उत्तर से स्पष्ट रूप से आभास होता है कि माननीय मंत्री जी को धर्म क्या है, धर्म के मामले क्या हैं और उनमें किसी कदर का हस्तक्षेप, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप की सीमा ही अनुचित है, इस बात का बिलकुल ज्ञान नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—हियर हियर।

श्री भैरू सिंह—उपाध्यक्षजी, यह उनको बहुत ही बुरा लगेगा लेकिन मजबूर होकर मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस आसान भाषा से माननीय मंत्रीजी ने कुछ बातें कहीं वे इस बिल में होतीं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनकी विचार धारा से सहमति रखते हुए इसको पास कराता, बातें कही जाती हैं, बातें की जाती हैं, बातें कहने का ढंग दूसरा होता है और उनको करने की मंशा दूसरी होती है ।

श्री मथुरादास माथुर—यह राजनीति है ।

श्री भैरू सिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—जहां इन बातों का लेशमात्र भी आभास होता हो तो वहां यह सोचना पडेगा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके पीछे क्या रहस्य है ? अगर मैं उनकी बातों को दोहराऊं तो कोई उनको पता चल जावेगा । धर्मादे खाते की बात को लेते हुए उन्होंने यह कहा कि जो काश्तकारों से रुपया लिया जाय, एक २ दो २ पैसा इकट्ठा किया जाय उनका दुरुपयोग न हो । मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य इसको स्वीकार नहीं करता होगा कि धर्म के नाम पर इकट्ठा किया हुआ धन निजी काम में आये । हर आदमी का कर्तव्य है कि जिस काम के लिये दिया हुआ धन है उसी काम में उसका उपयोग हो। यदि वहां ऐसा जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि जिस काम के लिए पैसा लिया गया है वह उसी काम में लाया जाय । यदि वे इसको स्वीकार करते हैं तो इस बिल की जो धारा है उसमें उल्लेख है कि क्या व्यवस्था होगी, जो पूंजी होगी वह किस २ काम में लगेगी, वह धारा मुझे उन्हें पढकर बतानी पडेगी । ताकि धर्म के मामले में उनका क्या दृष्टिकोण है वह मालूम हो जाय । वह धारा है ३५ । "आयुक्त आदि के वेतन, निवृत्ति वेतन आदि की लागत निधि में से सरकार को दिया जायगा" "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास प्रशासन निधि में से, प्रतिवर्ष सरकार को ऐसी लागत दी जायेगी, जो सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसको क्रियान्वित करने के लिये नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और सेवकों के वेतन, निवृत्ति वेतन (पेन्शन), अवकाश तथा अन्य भत्तों के कारण, उनके ऐसे आनुपार्श्वी अंश को अलग करते हुए जिसे सरकार, इस अधिनियम से असंबद्ध प्रकार्यों पर होने वाला प्रमाणित करे, तथा इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अन्य व्ययों के कारण, निश्चित करे" । तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिस धर्म के पैसे को, धर्मादे के पैसों को धर्म के मामलों में खर्चा करना चाहते हैं, मंदिर के पास इकट्ठा किया हुआ पैसा है, ट्रस्ट के नाम पर आयुक्त .....

श्री दामोदरलाल व्यास—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय यह जानबूझ कर गलतफहमी पैदा की जा रही है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खुद इस चीज को महसूस करते हैं फिर भी एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, मैं नहीं समझा क्यों । ओरिजिनल बिल में १२॥ पर्सेन्ट है, उसको डिलीट कर दिया गया है । इसमें रजिस्ट्रेशन वगेरह का होगा ।

श्री भैरू सिंह—मुझे मालूम है ।

Page No 61

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर उनको मालूम है तो जानबूझ कर यह क्यों गलत फहमी पैदा की जा रही है ? शायद समझते नहीं होंगे कानून के मसलों को । मैं समझता हूं कि समझते तो हैं लेकिन जानबूझ कर यह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा। उन्होंने शायद कोई जानकारी देने की कोशिश की लेकिन मैं यह कहूं कि उनकी क्या जानकारी है इसके बारे में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अगर इस क्लॉज को पढें तो उनको अच्छी तरह से मालूम हो जायगा । हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५६ के क्लॉज ३१ में यह दिया है कि कौनसी २ चीजें उसमें होंगी । इस क्लॉज के सब क्लॉज (२) का भाग (क) "इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाये जाने वाले समस्त शुल्क"; आप यह कहते हैं कि मेरी मंशा क्लॉज ३२ से है । मैं जानता हूं कि क्लॉज ३२ को प्रवर समिति ने डिलीट करने की सिफारिश की है । जिस क्लॉज ३२ के द्वारा परसन्टेज के आधार पर ट्रस्ट से पैसा लिया जानेवाला है उस सम्बन्ध में प्रवर समिति ने राय दी है कि वह नहीं ली जाय । लेकिन समस्त शुल्क क्या बला है ? आप कहेंगे कि शुल्क कुछ नहीं है । लेकिन किसी पर जुर्माना किया वह भी शुल्क ही है । किसी ने स्टेटमेन्ट नहीं दिया या बजट पेश नहीं किया तो उस पर जुर्माना होगा, किसी ने समय पर ओडिट नहीं कराया तो उस पर दंड होगा । दंड के बाद जो निधि संग्रह होता है उसमें से कुछ खर्च करना चाहते हैं तो स्वीकार करते हैं । लेकिन यदि शुल्क में से खर्च किया है, रजिस्ट्रेशन का पैसा भी शुल्क ही है । रजिस्ट्रेशन के लिये ५ रु० तक की सिफारिश की है, ५ रु० तक रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है । उसके लिये बोर्ड जो निर्धारित करे वही होगा । रजिस्ट्रेशन का पैसा क्या है ? क्या ट्रस्टी अपनी जेब से रजिस्ट्रेशन का पैसा देंगे ? वे रजिस्ट्रेशन का पैसा भी मंदिर के फंड में से देंगे । इसके अलावा दूसरी तरह से वह पैसा आ नहीं सकता । इस प्रकार की शुल्क भी धार्मिक प्रवृत्ति से ही आयगा । वह पैसा भी वेतन चुकाने में जायगा । धर्म का पैसा धर्म में ही खर्च होता है । यदि इन बातों की ओर थोडा ध्यान दें तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति धर्म कार्यों के लिये दान देता है । उसकी धारणा होती है कि मेरे दान का पैसा ऐसे धार्मिक कार्यों में ही खर्च होगा । लेकिन शुल्क देना कोनसा धार्मिक काम है ? निधि स्थापित करना और वेतन चुकाना कौनसा धार्मिक काम है ? आप चाहें सिख धर्म को ले लेजिये या बौद्ध धर्म को ले लीजिये या जैन और सनातन धर्मों को ले लीजिये, जितने भी धर्म हैं उनके लिये नीति स्पष्ट है । सरकार या ट्रस्ट की एग्जिक्यूटिव सेवाओं के लिये खर्च होने वाला पैसा धार्मिक कार्यों में खर्च हुआ है ऐसा नहीं माना जा सकता । यदि यह पैसा एग्जीक्यूटिव साइड में खर्च होता है तो यह दुर्भाग्य है और धार्मिक पैसे का दुरुपयोग है । इसलिये राजस्व मंत्री जी यदि कहें कि क्लॉज ३२ को निकालने के बाद धर्म का पैसा नहीं लेंगे तो उससे काम नहीं चलनेवाला है । शुल्क नहीं लेंगे यह कह कर धर्म का पैसा छोडने की मनोवृत्ति अपनाना चाहते हैं । केवल शुल्क का ही मामला हो तो मंजूर करें लेकिन इसके अलावा और भी बातें हैं जिन्हें आगे जब बात आयगी तब बताऊंगा ।

एक प्रश्न आया था एडवाइजरी कमेटी के बारे में । राजस्व मंत्री जी ने विश्वास के साथ कहा है कि सरकार जितना नियंत्रण कर रही है वह एक परामर्शदात्री समिति के जरिये करेगी । एक असिस्टेंट कमिश्नर के क्षेत्र के लिये एक स्थानीय परामर्शदात्री समिति बानायेगी । विचार

[श्री भैरूंसिंह]

बहुत सुन्दर है । परामर्शदात्री समिति बने वह अच्छी बात है । लेकिन उसका किस प्रकार से गठन होगा ? किस प्रकार उसका नियमन होगा ? किस प्रकार की उसकी कार्यप्रणाली होगी ? इस संबंध में सरकार नियम निर्धारण करेगी और उसके अनुसार परामर्शदात्री समितियों का गठन होगा । यदि कोई किसी काम के लिये बोर्ड है या समिति है तो सोचना पडेगा कि उसका गठन किस प्रकार से हुआ है । जब तक उसके गठन के बारे में स्पष्ट चित्र सामने नहीं आता तब तक यह पता नहीं चल सकता कि किस प्रकार के व्यक्ति उस बोर्ड के सदस्य होंगे और किस प्रकार के व्यक्ति समितियों के सदस्य होंगे । आज सरकार यह कहदे कि जिस धर्म का बोर्ड होगा उसी धर्म को माननेवाले व्यक्ति उस बोर्ड में नामजद होंगे । लेकिन इसकी गारंटी क्या है ? आज सरकार कहती है लेकिन सरकार तो बदलती रहती है, उसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं । आज से ६ महीने पहले जो धारणा थी वह आज नहीं है । सरकार कह सकती है कि नियमों में संशोधन करने का अधिकार उसको है । पहले जैसा कहा था उस प्रकार का गठन अब नहीं होगा, दूसरे धर्म माननेवाले व्यक्तियों को भी नामजद करेंगे । उन सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा ? समिति के मेम्बर उम्र भर के लिये नहीं होते । समिति के सदस्य कितने समय के लिये रहेंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । उनको कौन हटा सकता है ? यदि वे रद्दी काम करेंगे तो सरकार उनको अलग करेगी या नहीं, यह कुछ नहीं बताया गया है । खाली धोखा देने के लिये यह सब है, इन शब्दों का प्रयोग करूं तो बुरा न मानें । अमुक काम इस प्रकार होगा, यह निर्धारित किया जाना चाहिये । हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट जितने हैं उन पर नियंत्रण किस तरह होगा उसके बारे में बताया गया है कि जिस तरह सरकार निर्धारित करे उस तरह होगा । यदि ऐसा ही है तो मैं समझता हूं विधान सभा में बिल पेश करने की आवश्यकता नहीं थी । राय जानने के लिये आवश्यकता थी तो वहीं पर बैठ कर जान सकते थे । राजस्थान के सारे पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर संचालन करने के लिये गवर्निंग बोडी बना रहे हैं उसके लिये बिल में कोई उल्लेख नहीं है और जब तक उसका उल्लेख इसमें नहीं होता है तब तक संदिग्धता की अवस्था में हम इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं । कहीं ऐसा होता है कि बोर्ड में अलग २ धर्म के व्यक्तियों को लिया जाय । जैन धर्म के व्यक्तियों को लिया जाय, सनातन धर्म के व्यक्तियों को लिया जाय, सिक्ख धर्म के व्यक्ति लिये जांय । लेकिन इससे पहले जितने भी धर्मावलम्बी हैं उनकी राय लेना आवश्यक है । एक बात यह हो सकती है कि अलग २ धर्म के लिये अलग २ बोर्ड बनाया जाय जिसमें उसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हों और दूसरे मत को मानने वाले लोग नहीं हों, जैसे जैन धर्मवालों के लिये जैन धर्म को माननेवाले व्यक्ति और सनातनधर्म के लिये केवल सनातन धर्म को माननेवाले व्यक्ति हों, इसी तरह से दूसरे धर्मों के लिये भी हो तो कोई अडचन नहीं आयगी । लेकिन यदि ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसमें सभी धर्मवाले हों तो बडी गडबडी होगी । यदि उसके सामने जैन धर्म का कोई मामला आया और उसमें सिक्ख और बौद्ध धर्म को माननेवालों ने राय दी और उनमें आपस में कोन्फ्लिक्ट है तो दूर करने का उपाय होगा ? यदि कोई कहदे कि बहुमत से निर्णय हो ओर यदि ऐसे व्यक्तियों की बोर्ड में अधिकता हुई जो किसी भी धर्म को माननेवाले नहीं हैं तो क्या हालत होगी ? जोधपुर से आनेवाले सदस्य कह रहे थे कि धर्म क्या है ? ऐसा कहनेवालों के लिये कठिनाई कभी नहीं रहती । भारतवर्ष से धर्म नामकी वस्तु हट जाय ऐसा माननेवाले व्यक्ति को सरकार परवरिश करके बोर्ड का मेम्बर बनादे

[श्री भैरूंसिंह]

और कहे कि जैन धर्म के बारे में राय दो तो यह निश्चित है कि वे ऐसी राय देंगे जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा भंग हो । यदि आप एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं तो आप पहले जनता की राय लें । यदि जनता की राय नहीं लेते हैं तो यह तय करना होगा कि मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन कि प्रकार की हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास—On a point of information, sir, मैं बताना चाहता हूं कि रूल्स प्रेस्क्राइब करने का तरीका होता है तो जनता की राय ली जाती है, objections are united and then they are finalised.

श्री भैरूंसिंह—वह मुझे मालूम है कि जनता की राय आती है । आप जिस ढंग से प्रकाशित करते हैं वह भी मालूम है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपको मालूम है तो फिर क्यों कह रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह (१६)—मालूम है इसीलिये तो वहम है कि आप कुछ नहीं करेंगे । पंचायतों के बारे में आपने जो कुछ किया है उसके कारण सारे राजस्थान की पंचायतें रो रही हैं । आपको रूल्स बनाने की शक्ति दें ? रूल्स बनाने की शक्ति हम आपको देते यदि आपने विश्वास का निर्माण किया होता । राजस्थान सरकार नियम बहुत बढ़िया बनाती है यह हम जानते हैं । मैं उदाहरण के लिये २ मिनिट में एक बात अर्ज करूंगा । इस राजस्थान सरकार ने सदन को विश्वास दिलाकर पंचायत एक्ट के मातहत नियम बानने के बारे में कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि १५ दिन के भीतर इलेक्शन पिटीशन दायर करने का अधिकार नियमों में देंगे । पंचायतों के गठन गलत हुए । इलेक्शन में भाग लेनेवाले लोग इलेक्शन पिटीशन करना चाहते थे । सरकार ने नियम ऐसे बनाये कि नाम गजट में प्रकाशित होने १५ दिन बाद में इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं । और इसका नतीजा क्या हुआ कि जिन पंचायतों को सरकार अपने पक्ष का समझती थी उनके नाम गजट में प्रकाशित नहीं हुए इसलिये कि इलेक्शन पिटीशन न हो सके । अब उनकी इच्छा के अनुसार पंचायतें बन गई तो अमेन्डमेन्ट पेश कर दिया कि इलेक्शन होने के १५ दिन बाद तक कोई चाहे तो इलेक्शन पिटीशन कर सकता है ।

तो राजस्थान सरकार की यह रीति नीति है कि और जो सरकार की इन रीति नीतियों से जानकार व्यक्ति हैं वे कभी इस बात का विश्वास नहीं कर सकते कि सरकार जो नियम बनायेगी वह न्यायसंगत बनायेगी, नेक मंशा से बनायेगी । सरकार हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि नियमों के आधार पर हम जिस प्रकार की कार्यवाही करना चाहें उसका विधान सभा से अधिकार ले लें । पर मुझे विश्वास है कि अब तो इस विधान सभा के सभी सदस्य सरकार की इस प्रकार की रीति नीति और कार्यवाहियों से परिचित हो गये हैं, और कभी इस प्रकार ब्लैंक पेपर पर दस्तखत नहीं करना चाहेंगे ।

मंत्री महोदय ने कहा कि कोई यह नहीं चाहेगा कि ट्रस्ट के रुपयों का मिसएप्रोप्रियेशन हो, दुरुपयोग हो । मैं उनकी राय से सहमत हूं कोई यह नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के ट्रस्ट के रुपयों का दुरुपयोग हो, यदि कोई यह कहे कि इस प्रकार के रुपये का दुरुपयोग हो तो मैं उसका विरोध करूंगा और यदि कोई यह कहे कि इस प्रकार के रुपये का गबन हो तो मैं उसको गिरफ्तार कराने वालों में से

[श्री भैरूंसिंह]

हूं । जैसा कि मैंने सुबह कहा एक अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता ने (७,०००) सात हजार रुपया का गबन किया था पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । उसके खिलाफ तो कोई कार्यवाही न की जाय और यदि ट्रस्ट की प्रोपर्टी का सवाल आये तो कहा जाता है कि सरकार इस प्रोपर्टी के मिसएप्रोप्रियेशन को रोकने के लिये अपने नियन्त्रण में लेना चाहती है, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है । पर आपकी आज की सारी कार्यवाही और आपके कार्यकाल में आज तक जो कार्य किये गये हैं उनके आधार पर अब सब समझने लग गये हैं कि किस प्रकार इस प्रकार की संपत्तियों को अपने नियन्त्रण में ले कर सरकार उनके मिसएप्रोप्रियेशन को रोकेगी और उनका दुरुपयोग रोकेगी ।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि पहले की स्टेट्स में इस प्रकार के कानून मौजूद थे, बीकानेर में इस प्रकार का कानून मौजूद था, उदयपुर में इस प्रकार का कानून मौजूद था, जयपुर में मौजूद था, धौलपुर में इस प्रकार का कानून मौजूद था और २ जगह इस प्रकार के कानून मौजूद थे । सरकार को इस बात का ज्ञान है कि नहीं, वह जरा उन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर बताये कि मंदिरों में किस २ जगह मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है, कहीं नहीं, नाथद्वारा में अगर मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है तो सरकारी हस्तक्षेप के कारण और केसरियाजी में मिसएप्रोप्रियेशन हुआ तो वह भी सरकारी हस्तक्षेप के कारण मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है । सरकार बताये कि जनता द्वारा जिन सम्पत्तियों का प्रबन्ध किया जाता है उनमें से किसी जगह मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है, जनता ने अपनी इच्छा से जिन अधिकारों का प्रयोग किया है, उनके प्रयोग करने से कहीं मिसएप्रोप्रियेशन हुआ तो सरकार बताये । अगर सरकार यह बताये तो हम निश्चित रूप से मानेंगे कि निश्चित रूप से इनका नियन्त्रण सरकार के हाथों में चला जाना चाहिये । पर हमारे सामने नक्शा इससे बिल्कुल उल्टा है । हमारे सामने नक्शा यह है कि जहां सरकार का प्रबन्ध हुआ है वहीं ज्यादा मिसएप्रोप्रियेशन होता है । राजस्थान सरकार बनने के बाद राजस्थान में डिफॉल्केशन के केसेज ज्यादा हुए हैं और जहां सरकार का प्रबन्ध है वहां हुए हैं ।

पब्लिक के पैसे पर अपना कब्जा करने के लिये, यह कहकर कि उनमें मिसएप्रोप्रियेशन होता है, धन का उपयोग नहीं होता, धन का दुरुपयोग होता है । यह इल्जाम लगाकर उन पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है, यह हमारे धर्म को चुनौती देना है ।

यदि राजस्व मंत्री इस स्थिति में हों तो वे इस बात का स्टेटमेंट दें कि राजस्थान के किस २ मंदिर में मिसमेनेजमेन्ट है, जहां सरकार का नियन्त्रण नहीं होने से धन का दुरुपयोग हो रहा है और उससे हमें कन्विन्स्ड कर दिया जाय कि वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि सरकार का नियन्त्रण इन पर होना चाहिये, कोई इसका विरोध नहीं करेगा । पर आपके पास कोई कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट नहीं, पहले के कानून हैं उनके आधार पर आपको कोई जानकारी नहीं कि कितने मन्दिरों के बारे में मिसएप्रो-प्रियेशन की रिपोर्ट आई, कितने केसेज मिसएप्रोप्रियेशन के हुए, कितने केसेज डिफालकेशन के हुए और कहदें कि बेटर अरेंजमेंट के लिये यह कानून बना रहे हैं, केवल बेटर कह दिया जाता है तो इस बेटर के लिये ही सोचना पड़ेगा कि कौनसी वह डिग्री है, कितना मिसएप्रोप्रियेशन होता है और किस हद तक कम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी अगर ५ परसेंट मिसएप्रोप्रियेशन होता है तो बेटर अरेंजमेन्ट होगा तो

[श्री भैरूंसिंह]

दो परसेन्ट कम कर दिया जायगा। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार के हाथ में नियन्त्रण जाते हैं अगर अभी ५ परसेन्ट मिसएप्रोप्रियेशन होता है तो ५ वर्ष के अन्दर ५० परसेन्ट मिसएप्रोप्रियेशन हो जायगा। सरकार के नियन्त्रण में आने के बाद १० गुना बढ़ जायगा। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में राजस्थान के देवस्थान विभाग के बारे में जो लिखा गया है वह मैं आपको बताऊं, यह लिखा है कि राजस्थान का देवस्थान विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। यदि किसी विभाग पर राजस्थान सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है तो वह विभाग है राजस्थान का देवस्थान विभाग। जिस प्रकार से देवस्थान विभाग मन्दिरों का काम कर रहा है उसको देखें और जो ट्रस्ट मन्दिरों का या इस प्रकार की सम्पत्तियों का प्रबंध करते हैं उनको भी देखा जाय तो पता चलेगा कि यदि इनमें से ज्यादा गड़बड़ी किसी में है तो उनमें है जो देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में हैं, उनमें ज्यादा गड़बड़ियां हैं। तो देवस्थान विभाग के हाथों में इनको देने के माने हैं ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया जाय जहां इनकी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं, जहां कोई नियम नहीं। कहने को नियम जरूर होंगे, रजिस्टर बनेंगे, मूल्यांकन होगा पर उसका तात्पर्य होगा मूल्यांकन होगा वह कागजों में होगा और रुपया लोग ले जायेंगे।

मैंने आज के राष्ट्रदूत में पढा था कि एक मन्दिर में ७०,००० सत्तर हजार रुपयों का गबन हुआ, डूंगरपुर के सेशन कोर्ट में उसे तीन वर्ष की सजा मिली है। इस से क्या हुआ? गबन क्यों हुआ, यदि इसका सारा केस देखें तो पता चलेगा कि केवल सरकारी नियन्त्रण के आधार पर यह गबन हुआ। सरकार चाहती थी अमुक व्यक्ति के पास यह धन रहे और सरकार ने उसे सुपुर्द कर दिया और यह ७०,००० का गबन हुआ कोई लैन्ड रेवेन्यू ट्रस्ट के पास नहीं, कोई सड़क के ठेके देने की आमदनी ट्रस्ट के पास नहीं, उनके पास सालाना आमदनी होती है धर्म की, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों द्वारा पैसा दिया जाता है वह पैसा उन लोगों द्वारा दिया जाता जो धर्म में आस्था बनाये हुए हैं और उस आस्था को पूरी करने के लिये पैसा देते हैं। यदि इस प्रकार का धन गबन हो जाय, ७० हजार रुपया लेने वाले का हिसाब लगायें और तीन वर्ष की सजा मिली है उसका हिसाब लगाया जाय तो, यदि मंत्री महोदय को जो तनखा मिलती है उतनी तनख्वाह उसे मिले तो भी उसके पास ७० हजार रुपये नहीं होंगे, तीन वर्ष की सजा है वह कट कटा कर ढाई वर्ष में घर आजायगा।

तो इन सब बातों को देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के नियन्त्रण से कहीं हमें आघात तो नहीं कर रहे हैं। जो ट्रस्ट में रुपये होते हैं, वे इसीलिये केवल नहीं होते कि जमा ही पड़े रहें। वे इस तरह से होने चाहिये कि उनसे कुछ आमदनी भी होती रहे। वे किसी को दिये जाएं मगर वह रुपया किसी को देने से पहिले इस बात की पूर्ण जमानत ले ली जानी चाहिये कि वह रुपया कहीं गबन तो नहीं हो जावेगा, वह रुपया वापिस तो आना चाहिये। कौन कहता है इस बात के लिये कि रुपयों से आमदनी नहीं होनी चाहिये मगर जमानत अवश्य होनी चाहिये कि वह रुपया वापिस आ जाये। जब कभी हम किसी बच्चे से भी रुपये लेते हैं या एक रुपया लेते हैं या १० रुपया लेते हैं तो वह बच्चा भी हमसे विश्वास प्राप्त करेगा कि यह रुपया जो उससे लिया जा रहा है वह किस रूप से उसको कब मिलेगा। आया वह रुपया

[श्री भैरूसिंह]

केवल मूल में ही मिलेगा या उसको उन रुपयों की वापिसी के साथ साथ कुछ और भी इनाम में मिलने वाला है। यह छोटे बच्चे की भावना रहती है। तो ट्रस्ट को बनाने वाले जो लाखों रुपया देने वाले हैं वे लोग ट्रस्टीज में विश्वास रखते हैं और लाखों रुपया देते हैं तो फिर किसी को उसमें उज्र ही क्या होना चाहिये। उनके बारेमें हम यह विश्वास करें कि उनसे नुकसान हो जावेगा। जब रुपया देने वाले को यह मालूम होगा कि जो रुपया वह दे रहा है उसका दुरुपयोग होगा और सदुपयोग नहीं होगा तो वह रुपया देगा ही नहीं और ट्रस्ट को अपने आप नुकसान हो जावेगा। और जहां नुकसान की बात पैदा होगी वहां पर ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। वह ट्रस्ट अपने आप समाप्त हो जावेगा। मगर जब आमदनी होती है तो वह इस बात का द्योतक है कि लोगों को ट्रस्टीज में विश्वास है। वे लोग यह समझते हैं कि यह धन हमको धार्मिक कामों में खर्च करने के लिये मिला है इसलिये वे इसको अच्छी तरह से खर्च करते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में ऐसे व्यक्तियों से लाखों रुपये ट्रस्ट को मिलते हैं और उसका बहुत अच्छा इन्तजाम होता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा अच्छा प्रबन्ध इन ट्रस्ट का होता है वैसा सरकारी इन्स्टीट्यूट्स का नहीं हो सकता। मैं यह कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री ने इस कानून को बनाने में बम्बई, मद्रास और बंगाल बिहार की नकल भी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ उसकी प्रेरणा की है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की स्थिति में व बंगाल, बिहार, बम्बई और मद्रास की स्थिति में फर्क है। उनकी आमदनी अच्छी है। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त में धार्मिक भावना है तो वह है राजस्थान में। लोगों को धर्म में आस्था है। यहां पर अगर यह सोच कर कि बम्बई में कोई कानून बन रहा है या बना है राजस्थान में भी बनना चाहिये, इस प्रकार के विचार मैं समझता हूं अनुचित हैं।

मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि सरकार धार्मिक मामलों में कानून बना कर हस्तक्षेप न करे क्योंकि राजस्थान में धर्म में विश्वास रखनेवाले कभी भी इस कानून को मंजूर नहीं करेंगे कि हम जिस प्रकार चाहें धर्म के मामलों में धन को खर्च नहीं कर सकते। यह हमारे ऊपर सरकार का अतिरिक्त बोझ है। अगर सरकार ने यह किया तो आगे चल कर धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के डाइरेक्ट क्लैश में आ जावेगी। सरकार को चाहिये कि इसको करने से पहले वह ऐसी चीज तैयार करे कि जिससे हम इस बात पर पहुंचें कि इससे हमको नुकसान होने वाला है। जब लोगों को यह मालूम हो जावेगा कि इससे हमको नुकसान होने वाला है तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इससे इन्कार नहीं करेगा।

अब प्रश्न पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का रहा। इसके लिये मैंने प्रस्ताव रखा था कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि कुछ बातें ये पहले स्पष्ट करते जो मैंने कहीं थीं, मगर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया इसलिये यह समझ कर कि वे इसको स्पष्ट करना नहीं चाहते उन्होंने उन बातों का उत्तर नहीं दिया। वे उन बातों का उत्तर दें या न दें मगर मैं कहूंगा कि अगर उसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जायगा तो पब्लिक विश्वास करेगी और जो बातें इसमें नहीं आनी चाहिये उसके लिये लिखेगी। मैं नहीं समझता

[श्री भैरूंसिंह]

कि सरकार कानून बनाने के लिये इतना तकाजा और ताकीद क्यों कर रही है । एक दो महीनों में ट्रस्ट को कोई हजम नहीं कर जायेगा । इसमें कोई ट्रस्ट को हजम करने की बात नहीं है । एक तारीख से राजस्थान में अजमेर भी शामिल हो रहा है । उनकी भी राय ले ली जावे । आपने छोटे से छोटे बिल, गौशाला, को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्यूलेट किया था और राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से इसका विरोध किया गया । उसमें धर्मादे की व्यवस्था की गई थी उसमें सरकार को परिवर्तन करना पडा और मैं बताऊं कि राजस्थान की गौशाला बिल की सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लॉज ९ पर अपनी राय बताई जिसमें श्री रामनिवास मिर्धा और उनके साथी थे । उन्होंने इस बारे में क्या राय कायम की है वह मैं आपको पढ कर सुनाता हूं :

"The Committee considers that under the provisions of this clause, the Registrar can call for the account books of a trader who realized Dhrmada, punyakhata etc. to ascertain whether the money payable by him to the trustee of the Gaushala has been paid. This would mean that every trader realizing Dharmada etc. should keep un uptodate account of the moneys realized by him and paid to the Gaushala from time to time."

आगे लिखा है :

"The Committee is of the view that maintaining uptodate account of such moneys would entail extra burden up as in the original to a trader besides those kept for purposes of Sales Tax and Incometax; and it is not unlikely in order to save himself of this new burden he might altogether stop realizing Dharmada etc. which in turn might lead to deterioration of Gaushlas and violation of the aim of improving the condition of Gaushalas as contemplted."

तो आप यह कह रहे हैं कि धर्मादे की व्यवस्था कर रहे हैं । पुन्य खाते पर कन्ट्रोल कर रहे हैं । उसके कोन्सीक्वेन्सेज क्या हो सकते हैं, क्या धर्मादा देने वालों की स्प्रीट को यह बढावा देगा ? मैं यह कहूंगा कि इससे जो दान देने वाले हैं उन पर असर होगा दान देने वाले यह चाहेंगे कि दान नहीं देना चाहिये । वे यह सोचेंगे कि दान देने से उनको बही खाते रखने पडेंगे । उनको माहवारी स्टेटमेन्ट बनाना पडेगा और कमेटी को देना पडेगा वैसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष, कोई भी ट्रेडर या दान देनेवाले, एक्स्ट्रा बर्डन हिसाब रखने और स्टेटमेंट पेश करने का नहीं लेगा क्योंकि उनको आगे ही सेल्स टैक्स व इन्कम टैक्स के स्टेटमेन्ट तैयार करने पड़ते हैं । यह फिर एक धर्मादे का नया स्टेटमेन्ट का बर्डन वे नहीं उठावेंगे । कोई भी यह पसन्द नहीं करेगा कि छोटा २ दान जो वह देते हैं धर्मादा में, उसका हिसाब और स्टेटमेन्ट पेश किया जावे और वही रकम कमेटी की राय के अनुसार खर्च की जावे और अगर कोई व्यक्ति इसमें गलती करता है तो उस पर १००) रु० का जुर्माना हो जावेगा । इससे यह स्पष्ट है धर्मादे से पैसा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति काम नहीं करेंगे । माननीय राजस्व मंत्री इस बात पर तुले हुए हैं । उन्होंने तो इस ओरीजनल बिल में अपनी इच्छा से इस धारा को इस ढंग से एग्जिस्ट कराने की कोशिश की है जिससे कि जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को कुचला जा सके जो उनके खिलाफ हों । इस प्रकार ऐसा क्लॉज रख कर ऐसे तबके को सजा देने के बाद अपने तबके को उसका स्थान दिला सकें ।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय मंत्री महोदय कहते जा रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह इलेक्शन स्पीच है, उनका यह कहना कि मैं इलेक्शन के लिये बोल रहा हूं यह उनकी मनोवृत्ति का परिचायक है । उनकी मनोवृत्ति क्या है यह तो इसी से जाहिर होती है। वे यह चाहते हैं कि आज जो लोग इस सत्तारूढ दल का विरोध कर रहे हैं, विधान सभा में जाते हैं उनको कैसे रोका जाये, उनके सारे के सारे साधन हैं उन पर किस तरह से अधिकार किया जाये इसीलिये माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने चुनाव में अपने आदमियों को जमाने के लिये और धर्म में आस्था रखने वालों को दबाने के लिये यह कानून बना रहे हैं । और मैं समझता हूं कि यह सब इलेक्शन के दृष्टिकोण से माननीय राजस्व मंत्री कर रहे हैं । आप मन्दिर के महन्त को और ट्रस्टीज को एक सर्वेन्ट के रूप में बनाना चाहते हैं। आप सारे अधिकार उस ट्रस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार में देना चाहते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष, हमारे धर्म में यह कहते हैं कि मठ के आदमी मामूली श्रेणी के नहीं होते । एक संत होने के कारण वह भी धर्म के अंग हैं । अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो महन्त धीरे २ कुछ नहीं कर सकेगा और एक मामूली नौकर हो जावेगा और बाद में वह गिरते २ मामूली चपरासी या क्लर्क की हैसियत का नहीं रहेगा । यह भी एक प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप होगा । कहने का मतलब यह होगा कि मन्दिरों को और मठों को रेगुलेट करने की जो आवश्यकता है उससे भी आगे बढ गये हैं । हमारी सरकार इससे भी आगे बढ गई है, हमारी लोक सभा में एक कानून बन रहा है, साधु सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन का । इतने दिन तो चोरों का और डाकुओं का रजिस्ट्रेशन होता था, बदमाशों का रजिस्ट्रेशन होता था, अब हमारी सरकार मठ और मठाधीशों के रजिस्ट्रेशन का कानून बना रही है । मठ मठाधिशों से जो धार्मिक प्रचार होता है, स्वामी करपात्री जैसे महात्माओं द्वारा जो धर्म का प्रचार होता है, उससे हमारे कांग्रेसी मित्र सोचते हैं कि उनके प्रचार में इससे बाधा पड़ती है, इसी बाधा को दूर करने के लिये, मन्दिरों पर कब्जा जमाने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है । आज हमारी लोक सभा में साधु सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन के लिये कानून बनने जा रहा है . . .

श्री दामोदरलाल व्यास—वह सरकार की तरफ से पेश नहीं हो रहा है बल्कि आप ही की पार्टी की तरफ से पेश हो रहा है ।

श्री भैरूंसिंह—आपको शायद इसकी जानकारी नहीं, पहले आप जानकारी प्राप्त कर लें उसके बाद में कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किया क्यों जा रहा है ? इसमें भी एक रहस्य है, आज यदि कांग्रेस का मुकाबला करने वाली अगर कोई संस्था है, अगर कोई पार्टी है, तो वह है धार्मिक संस्थाएं । वे देखते हैं कि हमें अगर कोई हरा सकते हैं तो ये धार्मिक मनोवृत्ति वाले ही लोग ही मिल कर हरा सकते हैं, इसीलिये वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इनको कुचला जाय । सरकार का मुकाबला करने वाले वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी धर्म में आस्था रह गई है । जहां आज हमें यह कहा जाता है कि यह तो इलेक्शन स्टंट है । मैं तो यह समझता हूं यह तो हमारे मंत्री महोदय, की दिमाग की उपज का कारण है, इसीलिये वे यह कानून बना रहे हैं । अगर वे चाहते हैं कि इसको

[श्री भैरूंसिंह]

इलेक्शन स्टंट बनाया जाय तो उनको चाहिये कि वे बाहर जाकर माणक चौक की चौपड पर या उनके निर्वाचन क्षेत्र मालपुरा में जाकर इस बात का प्रचार करें, वहां जाकर इस बिल की एडवोकेसी कर अगर वे माला पहन कर आजायें तो मैं उनको सही समझ सकता हूं,अगर वे अपने निजी निर्वाचन क्षेत्र में जाकर इस बिल की पैरवी कर वहां की जनता से माला पहन कर आजायें तो मैं उनको विश्वसनीय व्यक्ति समझ सकता हूं । यह भी मैं चेलेंज करता हूं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जावें और मैं भी उनके साथ चलूं और दोनों में से कोन ज्यादा वोट हांसिल करता है उसी पर इस बिल को छोड दिया जाय । अगर वे ज्यादा मत प्राप्त करते हैं तो मैं इस बिल के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, अगर मैं उनसे ज्यादा वोट प्राप्त करलूं तो वे इस बिल को पाइलेट करना छोड दें । मुझे अगर इस बात का वे वचन दें तो मैं यह भी शर्त मानने के लिये तैयार हूं । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में, उनके खुद के गांव में उनको इस बिल पर मत प्राप्त नहीं हो सकते, वहां की जनता इसका विरोध करेगी । इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि अगर उनके घर वालों से भी इस बिल के बारे में सम्मति ली जाय तो वे मेरा ही साथ देंगे इनका हरगिज नहीं । इतना होते हुए भी मंत्री महोदय की मजबूरी है, उनको घर वालों की परवाह नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों की परवाह नहीं, उन्होंने तो केवल एक नीति बना ली है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना ही है । धर्मादे के पैसे पर अधिकार करना चाहते हैं । गोपीनाथजी के मन्दिर में माननीय मंत्री महोदय की इच्छा के अनुसार नियुक्ति नहीं हो सकी इसीलिये वे चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार कानून बनाया जाय और मन्दिरों पर अधिकार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक धारा है जिसके अनुसार बजट बनाकर सहायक आयुक्त के पास भेजना होगा । बात यह देखने को तो बहुत साधारण दिखती है, उसके बाद यह भी व्यवस्था की गई है कि इस बजट के अलावा अगर सप्लीमेन्ट्री मांग की और भी आवश्यकता हो तो वह भी सहायक आयुक्त के पास भिजवा सकते हैं । लोगों को दिखने में तो यह बहुत ही साधारण बात मालूम होती है, इससे ऐसा मालूम पडता है कि सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं चाहती, जिस तरह से चाहें जिस प्रकार पैसा खर्च करें । जब आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही करना नहीं चाहते तो फिर बजट बनाकर आपके सामने पेश करने की आवश्यकता क्या है, बजट की दिक्कत क्यों करते हैं, जिस तरह से मन्दिर वाले चाहें पैसा खर्च करें । आपने इसमें यह भी रखा है कि अगर बजट के अलावा भी कोई पैसा खर्च करना हो तो सप्लीमेन्ट्री सूचना देने की आवश्यकता है । वह भी क्यों ? यह इसलिये कि आप भी यह चाहते हैं कि आपको भी इसमें दखल करने का अधिकार हो । मान लीजिये किसी व्यक्ति के यहां चोरी होती है अगर उसकी सूचना देने के लिये कहा जाय ऐसे व्यक्ति को जो उसमें किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता उससे फायदा क्या, ऐसे व्यक्ति को सूचना देने से मतलब क्या, जो चोरी होने से रोक नहीं सकता ?

सूचना तो उस व्यक्ति को दी जानी चाहिये जो उसमें सहायता या कुछ हस्तक्षेप कर सके । आपके पास सप्लीमेन्ट्री बजट आयगा तो केवल सूचना के लिये बजट आयगा । तो केवल सूचना के लिये मैं कहता हूं यह सूचना के लिये बजट देने की क्या आवश्यकता है ? यह तो आप भी मानते हैं कि

[श्री भैरूंसिंह]

ट्रस्ट जो होगा वे १००) रुपये का भी हो सकता है, १००० रुपये का भी हो सकता है, ५००) रुपये का भी हो सकता है और पांच लाख रुपये का भी हो सकता है । इस प्रकार १००) रुपये का जो ट्रस्ट होगा उसको भी बजट बनाना पड़ेगा । और वह बजट कौन बनायेगा उस ट्रस्ट का पंडित, मठ मठाधीश जिन्होंने कभी बजट बनाया नहीं, जिनको बजट बनाना पसन्द नहीं वे कैसे बजट बनायेंगे । जिनके ट्रस्ट की केवल १००) रुपया आमदनी है बजट तो उसका बन सकता है । मान लीजिये कोई दानकर्त्ता किसी मन्दिर में पहुंच गया और उसने एक साथ १० लाख रुपया मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये दे दिया कि इस रुपये से इस मन्दिर की मरम्मत करायी जाय तो ऐसी रकम का तो बजट बन सकता है, इसमें बजट बनाने का सवाल पैदा हो सकता है । लेकिन जिस ट्रस्ट की कोई निश्चित आमदनी नहीं उसके लिये केवल यह कह देना कि वह भी बजट बनाकर भेजे, सप्लीमेन्टरी बजट बनाकर भेजे । जब सरकार यह कहती है हमें उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं तो फिर उसकी सूचना देने का मकसद क्या है ? इससे साफ़ यह जाहिर होता है कि सरकार चाहती है कि पहले किसी न किसी प्रकार उसमें घुसने की चेष्टा की जाय । उसके बाद तो वे सब ठीक कर लेंगे । बजट बनाने के लिये एक हजार और १०० वाले ट्रस्ट को भी हिसाब किताब रखने के लिये क्लर्क रखना पड़ेगा, अच्छा व्यक्ति रखना पड़ेगा, निर्धारित तरीके से स्टेटमेंट बनाने के लिये योग्य व्यक्ति को रखना पड़ेगा । निर्धारित तरीके से हिसाब रखना पड़ेगा; सरकार में बजट बनाने के जितने भी नियम हैं उन नियमों के अनुसार बजट बनाना होगा और उसके बाद सहायक आयुक्त के पास भेजना होगा । अगर ट्रस्ट की आमदनी कम भी है तो भी इस बात के लिये भी क्लर्क रखना पड़ेगा । नहीं तो एक पुजारी जिसने केवल भगवान की पूजा करना ही सीखा है वह कैसे बजट बनायेगा । उसमें यह भी कानून है कि अगर कोई उचित तरीके से बजट बनाकर नहीं भेजेगा तो उस पर २०० रुपये तक जुर्माना करने का भी अधिकार होगा । और वह रुपया किसमें काम आयेगा, सहायक आयुक्त को भत्ता देने के लिये उनके कृपा पात्रों को पेन्शन देने के लिये काम आयगा । इस तरह से मन्दिर के पुजारी बेचारे तंग होंगे चलो इससे किसी न किसी प्रकार पिन्ड छुड़ाया जाय और वैसी सूरत में वह मन्दिर सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और जो कुछ भी ट्रस्ट का पैसा होगा सरकार अपने खजाने में ले लेगी । इस तरह से सरकार का दृष्टिकोण होगा ट्रस्टीज को परेशान करने का ताकि ट्रस्टीज जल्दी से जल्दी उनके हाथ में सारा मन्दिर का इन्तजाम सौंपदें और मन चाहे ढंग से वे पैसा खर्च कर सकें । उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य ने बडे जोर से कहा था इस बिल के बारे में मैं उनके भाषण को समझ नहीं सका । बडे जोर जोर से चिल्ला रहे थे इतना जरूर समझ पाया था कि वे कहते थे इस बिल को एक सेकन्ड में पास कर दिया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास—वे सदस्य हैं भी नहीं और उनकी बातों का जिक्र करके करेंगे क्या ?

श्री भैरूंसिंह—(जारी रखते हुए) वैसी सूरत में जब कि माननीय सदस्य नहीं हैं मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा । बजट बनाने की बात और उसके बाद जुर्माने की बात कही गई । इसके अलावा एक और बात है, वह यह है कि इसमें नियम बनाने की भी धारा है । सरकार को यह अधिकार है कि वह जाहे जैसे नियम बना सकती है । नियमों के अन्दर भी अजीब व्यवस्था की है । सरकार चाहेगी

[श्री भैरूंसिह]

जितने नियम बना सकती है, उसमें कानून का कोई मतलब नहीं रहता। उसमें कानून की कोई मन्शा नहीं। आगे चल कर उस मन्शा को स्पष्ट किया है। अगर कुछ धाराओं में जो सरकार चाहती है वह मन्शा पूरी नहीं होती है यह व्यवस्था करदी है कि सरकार जिस तरह से चाहे इसकी व्यवस्था कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत ही अजीबो गरीब बात है। वह बात है धारा ४४ की जिसमें मुक्ति का उल्लेख है। किसको मुक्ति मिलेगी या नहीं यह बात तो दूसरी है। सरकार यदि किसी को मुक्त करना चाहेगी इस बिल की परिधि से तो वह किसको किया जायगा? वह इस धारा में वर्णित है, एक तो ऐसे मंदिर मुक्त रहेंगे जो सरकार के आधीन हों और दूसरे जो स्थानीय सत्ता के कन्ट्रोल में हों। मैं यह पूछना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग का कन्ट्रोल, स्थानीय सत्ता का कन्ट्रोल इसमें और हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल में क्यों अन्तर रखा जाता है? अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि देवस्थान विभाग से डाइरेक्ट जिन पर कन्ट्रोल हो या स्थानीय सत्ता का जिन पर कन्ट्रोल हो, वह अच्छा है तो जो अच्छा काम हो हमें करना चाहिये, मगर देवस्थान विभाग का कन्ट्रोल अच्छा नहीं जैसा कि जनलेखा समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है। किसी स्थानीय सत्ता का अधिकार अच्छा नहीं तो यह मंजूर कर लेना चाहिये सरकार के कब्जे में जितने मन्दिर हैं, सरकार ने जिन ट्रस्टस पर अधिकार कर रखा है वे सारे प्रन्यास भी इस हिन्दू ट्रस्ट बिल के अन्तर्गत उन ट्रस्टस के अधिकार में आजाने चाहिये और उन्हीं के निर्देश के अनुसार उसमें काम होना चाहिये। आपने उनको तो इस बिल की परिधि से निकाल दिया है। इससे आप यह साबित करना चाहते हैं कि हमने बहुत लिबरल कानून बना दिया।

एक बार मन्दिरों में घुसे तो मन्दिरों पर कब्जा होते होते बाकी की सारी चीजों पर भी धीरे धीरे अमेन्डमेन्टस के द्वारा कब्जा आप कर लेंगे। ऐसी सूरत में केवल यह कह देना कि लेखे जोखे की जरूरत नहीं, साढ़े बारह परसेन्ट भी हम नहीं ले रहे हैं, तो इन बातों से काम नहीं चलेगा। अभी तो धर्मादा खाता का रुपया खर्च करने की चीज है, अगर इस पर जोर देंगे तो लोग विरोध करेंगे और इसलिये मूल कानून ही खड्डे में नहीं गिर जावे यह सोच कर इस चीज को मान लिया। और इसमें भी क्या है? यह तो मामूली बात है। वे तो उस दिन की कल्पना करते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर जब सारी आमदनी पर ही अधिकार होने वाला है। साढ़े बारह परसेन्ट की बात से वकालत होने वाली नहीं है। अगर यह साढ़े बारह परसेन्ट आज नहीं मिल रहा है तो इसका त्याग वे आज कर सकते हैं। इतने त्याग से वे आज त्यागी बन सकते हैं, पर बाद में सौ त्याग के बदले में वे जानते हैं लाखों रुपये की सम्पत्ति आवेगी। तो यह त्याग तो वे समझते हैं कि हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेन्ट है और यह इन्वेस्टमेन्ट लाभदायक होने वाला है तो इस इन्वेस्टमेन्ट की खातिर यह साढ़े बारह परसेन्ट भी अगर आपने छोड दिया तो क्या हुआ। आपकी वह भावना तो शुद्ध नहीं, वह त्याग शुद्ध भावना से नहीं किया गया है। आपकी तो इसके पीछे भी यही भावना है अभी ठहरो, मन्दिरों पर पहले अधिकार कर लो, फिर यह भी वहां जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो एक स्वतन्त्र भाषण सा हो गया है।

श्री भैरूंसिंह--यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है, उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान का इससे कोई हित नहीं होने वाला है।

Page No 72

श्री कंवरलाल जेलिया—यह चुनाव प्रचार है ।

श्री भैरू सिंह—चुनाव प्रचार में भी जोर आता है । आप भी बोल कर देखें, आप भी करें चुनाव प्रचार और जीत कर आ जावो तो हम जानें ।

श्री दामोदरलाल व्यास—सुनाई नहीं दिया, आपने क्या फरमाया ?

श्री भैरू सिंह—चेयरमेन साहब, से मैंने अर्ज किया है । बार बार जो बीच में चुनाव की बातें की जाती हैं तो मैं समझता हूं कि जो चुनाव की बातें करने वाले हैं वे निश्चित रूप से चुनाव में हारने वाले हैं । पहले तो उनको टिकिट भी नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो जीतने की उनकी उम्मीद नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपको घबराहट क्यों है ?

श्री भैरू सिंह—घबराहट तो आपको है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपका मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है ।

श्री भैरू सिंह—करूंगा भी नहीं आपका मैं मुकाबला । मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे आदमी का मुकाबला करना ।

मैं कह रहा था कि केवल यह कह देना कि हम किसी तरह से भी मंदिरों के कामों में इन्टरफियरेंस नहीं करेंगे; केवल इस तरह से कह कर लोगों को अपनी तरफ करना या लोगों को मुगालते में डालना किसी तरह अच्छा नहीं होगा ।

इसम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि डिबेट को हमें रेगुलेट करना है । राइट ऑफ रिप्लाई में वे वही बातें कहें जो मेरे कहे गये पोइन्ट्स पर जरूरी कहनी हों । उन्हीं पोइन्ट्स पर वे जवाब देंगे, न कि सारा भाषण जो पहले दे चुके हैं उसी को दुबारा रिपीट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अब संक्षेप में जो उत्तर देना आवश्यक हो वही दें ।

श्री मानसिंह महार—जो बीस दिन पहले बातें कहीं उन पर अगर आपने मौन ही धारण कर लिया तो हमें तो दुबारा कहना ही पड़ेगा मजबूरन ।

श्री भैरू सिंह—राजस्व मंत्रीजी को यह आवश्यक हुआ । यह बात कहना कि मैं रजिस्ट्रेशन की बात न कहूं और चूंकि मैंने रजिस्ट्रेशन की बात का जिक्र किया तो उन्हें यह लगा कि मैं इस पर न बोलूं और मौन रहूं, यह उनका सोचना उचित नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं सारे भाषण के लिये कह रहा हूं । रिप्लाई में आपको राइट नहीं है कि आप उन सभी बातों को दोहरावें जो आप पहले कह चुके हैं । आप उन्हीं पोइन्ट्स पर जवाब दें जो बातें मैंने अपने रिप्लाई में कही हैं ।

Page No 73

श्री भैरूं सिंह—वही पोइन्ट में कवर कर रहा हूं। आपने एक बात जरूर कही कि मन्दिर में सरकार का कोई इन्टरफियरेन्स नहीं है। मुझे इस इन्टरफियरेन्स का जवाब देना है। मन्दिरों में सरकार का इन्टर्फियरेन्स है। इसलिये रजिस्ट्रेशन की बात का जिक्र कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय।

रजिस्ट्रेशन की बात का रजिस्ट्रेशन के नाम से उत्तर नहीं दिया गया पर उन्होंने इन सारी बातों का समावेश एक ही बात में कर दिया कि सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है।

अब यह रजिस्ट्रेशन क्या बला है यह मैं बताऊं। जो लोग इसे जान चुके हैं उनको यह मालूम होगा कि जिस समय यह कानून लागू होगा सारे के सारे मंदिर लोग रजिस्टर करावेंगे, रजिस्ट्रेशन शुल्क उनको देना पड़ेगा, प्रोपर्टी की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस समय हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा इस बात कि वह शिकायत कर सके कि अमुक प्रोपर्टी ट्रस्ट की है वह इसमें होनी चाहिये लिस्ट ठीक नहीं बनी है यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इतनी सी बात का सम्बन्ध है वहां तक मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर वे इस नीयत से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि राजस्थान भर में कितने मन्दिर और ट्रस्ट हैं उनकी जानकारी हो जावे तो आदमियों की भी गिनती होती है, जानवरों की भी गिनती होती है, स्कूलों की भी गिनती होती है, अस्पतालों की भी गिनती होती है तो उसी तरह से इनको गिनने की भी एक व्यवस्था कर सकते हैं और एक आदेश निकाल सकते हैं कि अमुक तारीख तक इस प्रकार की सूचना वे दे दें। यदि इसके बाद सूचना नहीं दें तो इतना इतना दंड हो सकेगा। तो इस प्रकार से सारा नक्शा मालूम हो सकता है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन की कोई कार्यवाही नहीं। पर बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। यह मन्दिरों में हस्तक्षेप करने का पहली सीढ़ी वाला काम है। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब सरकारी हस्तक्षेप को न्योता देना है। मन्दिरों में अब किस तरह से हस्तक्षेप होगा? रजिस्ट्रेशन होते ही कहा जावेगा लोगों को .....

(श्री दामोदर लाल व्यास, राजस्व मंत्री के अपनी सीट से उठकर लॉबी की ओर जाने पर)।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह इम्पोर्टेन्ट बात है। राजस्व मन्त्रीजी को इसे सुनाना चाहिये, पर वे जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनको वापिस बुला कर बिठाया जावे। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है और मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर इन्चार्ज उसे गौर से सुनें। और कोई मिनिस्टर महोदय भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—सम्पतरामजी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वे उप-मन्त्री हैं।

श्री भैरूं सिंह—मैं निवेदन करूंगा कि बिल को मूव करने वाले मंत्रीजी को यहां रहना चाहिये। इस पर मैं आपका रूलिंग चाहूंगा। आप धर्म को मानने वाले हैं और यह धर्म से सम्बन्धित विषय है और बड़ा महत्व का विषय है। अगर आप राजस्व मंत्रीजी को बुलाने को मजबूर करेंगे तो मैं समझूंगा कि यह धार्मिक प्रवृत्ति का काम होगा।

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में आप अपना उत्तर दे दें।

श्री भैरूंसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टरों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिये उनको यह कहना चाहिये कि वे स्वयं यहां रहें।

श्री उपाध्यक्ष—आते हैं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसी सूरत में फिर अपना कथन शुरू करता हूं, तो जहां मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वहां पर मन्दिरों के मामलों में वह हस्तक्षेप करने की पहली सीढ़ी शुरू हुई। अब पहली सीढ़ी किस तरह से हुई यह मैं बताता हूं। सेंसस (जनगणना) की दृष्टि से हुई है, इसकी बात नहीं। पर उसमें एक बात है कि ट्रस्ट के जितने भी फाइनेन्सियर हैं उनको पाबन्द कर दिया जावे कि मंदिर का जो भी प्रबन्ध हो, जिस प्रकार से भी जितना भी धन जिस प्रकार से खर्च किया जावे उसकी सूचना वे सरकार को दें और यदि सहायक आयुक्त और आयुक्त चाहें चल और अचल सम्पत्ति के नाम पर इस प्रकार खर्च करना या किसी चीज को इन्वेस्ट करना या किसी के यहां पुराने या किसी जमाने से चले आ रहे खातों में रखना यदि सहायक आयुक्त या आयुक्त स्वीकार न करे तो वह नहीं रह सकता। यह ट्रस्ट का काम है कि वह यह सब देखे पैसा इन्वेस्ट करे, जिस किसी भी आदमी के यहां चाहे रक्खे पर आयुक्त नहीं चाहे तो वह नहीं कर सकते। इसके विपरीत अगर सरकार यह चाहे कि अमुक व्यक्ति को यह धन दिया जावे, वहां इसका इन्वेस्टमेन्ट हो, तो फिर सरकार क्या करेगी? उसके किसी कृपा पात्र व्यक्ति को सात हजार की आवश्यकता है तो कहेगी इसे सात हजार कैश केसरियाजी के मन्दिर से दिलवा दिया जावे। आज से पांच साल पहले केसरियाजी के यहां से एक आदमी को रुपया उधार दे दिया गया। वह आज तक वसूल नहीं हुआ। कहीं आर्य समाज को कुछ उधार दिलवा दिया गया। वह आज तक वापिस आने का नाम नहीं लेता। कोई सेठ है रामगोपालजी मेहता। जो उधार लेकर यह विश्वास दिला दे कि पांच लाख रुपया हमें उधार दिला दो, वापिस लेने का नाम न लो तो आपको इलेक्शन के लिये जीप मिल जावेगी, रुपया मिल जावेगा और फलां मन्दिर में इतनी प्रोपर्टी है वह मुझे मिल जावे तो आपको इतनी मदद इलेक्शन में हम दिलवा देंगे। यदि इस प्रकार की कार्यवाही करके आप फिर भी यह कहें कि सरकार मन्दिर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कहने के लिये बाध्य होऊंगा कि जनता को केवल इससे एक गहरे धोखे में डालने की चेष्टा की जा रही है। मन्दिरों में उसकी प्रोपर्टी में उसके रुपये पैसे में सीधा हस्तक्षेप और फिर कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं। धर्म के क्षेत्र में व दान देनेवाले व्यक्ति ऐसा भी सोचकर देते हैं कि पैसा मन्दिर के बनाने में खर्च नहीं किया जावे, दूसरे किसी काम में नहीं खर्च किया जावे पर गरीबों को कम व्याज पर रकम देने के काम में यह रकम काम में ली जावे। और किसी ने इसमें पांच लाख का दान दिया है। सीकर में इस प्रकार का ट्रस्ट है। पर इस पर हमारी सरकार कहेगी कि नहीं, यह कहां इन्वेस्ट किया जावे यह हम देखेंगे।

लेकिन सरकार तो कहेगी कि पहले जमानत लो, सिक्योरिटीज लो, और सिक्योरिटीज नहीं आती है तो वह रुपये उसको नहीं दिये जांय। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रस्ट का जो मेन आब्जेक्ट है, ट्रस्ट का जिस कारण को लेकर निर्माण हुआ है वह काम भी नहीं हुआ। यदि वह काम नहीं हुआ तो फिर हस्तक्षेप किस तरह से नहीं हुआ। यह पूरे का पूरा हस्तक्षेप है। ट्रस्ट

[श्री भैरूंसिंह]

का काम बच्चों के पढ़ाने का काम है। केवल स्कूल के भवन निर्माण करने या पुस्तकें दिलवाने का ही नहीं है, बल्कि कई व्यक्तियों को स्कालरशिप दी जाती है और यदि स्कालरशिप करने में यह व्यवस्था कर दी जाय कि अमुक श्रेणी के व्यक्तियों को स्कालरशिप दी जायगी या जिनको सरकार पसन्द करेगी उनको दी जायगी। जो जाति के आधार पर बने हुए हैं उनको इस प्रकार से कहे, यदि सरकार ऐसे नियम बनाती है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ट्रस्ट से स्कालरशिप नहीं मिल सकेगी तो जो मेन आब्जेक्ट है ट्रस्ट का उस के खिलाफ ट्रस्ट को निर्देशन करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हस्तक्षेप ही होगा। वैसी सूरत में, माननीय उपाध्यक्ष, यह सोचना पड़ेगा कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं या नहीं ? यदि यह सरकार यह सोचे कि कानून बनाने की आवश्यकता है, यदि सरकार यह सोचे कि कानून के बिना मन्दिरों का अच्छा प्रबन्ध नहीं होता होगा तो एक दफा पब्लिक से पूछे हम यह कह सकते हैं कि सारे के सारे निर्वाचित सदस्य हैं। हम पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु फिर भी कई चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें जनता पसन्द नहीं करती है और हम मुगालते में रहते हैं कि जनता पसन्द करती है। जो माननीय सदस्य आज इस बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं वे माननीय अध्यक्ष के पास जाएं और पूछें कि कितने टेलीग्राम आते हैं, कितने रजिस्टर्ड लेटर्स आते हैं, कितने पोस्टकार्ड आते हैं इस बिल के खिलाफ, माननीय उपाध्यक्ष, मेरे स्वयं के पास निजी रूप से जितने टेलीग्राम्स आये हैं, उन टेलीग्राम्स की कीमत कम से कम २ हजार होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या पता आपकी ओर से ही व्यवस्था हो।

श्री भैरूंसिंह--जहां दो दो हजार रुपये के टेलीग्राम्स, जहां हजार हजार रुपये के रजिस्टर्ड लेटर्स, जहां हजारों रुपयों के पोस्टकार्ड्स राजस्थान के प्रत्येक कोने से आते हैं, प्रत्येक कोने के धर्मावलम्बी व्यक्ति उसका विरोध करते हैं, प्रत्येक धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इसको धर्म में हस्तक्षेप करने वाला कानून समझता है वहां राजस्थान के कुछ व्यक्ति, राजस्थान के कुछ सदस्य, जो कि धर्म को नहीं समझते हैं कि धर्म क्या है ? इसके बारे में उनका ज्ञान नहीं है। केवल मामूली सा काम किया और उस काम के आधार पर यह कहते हैं.....

श्री हरिराम निनामा--ज्ञान जरूर है। हमको धर्म का ज्ञान है (घंटी) धर्म का ज्ञान एक एक नागरिक को है (घंटी) ऐसा कौन कह सकता है कि धर्म का ज्ञान नहीं है।

श्री भैरूंसिंह--कम से कम यह तो पता चला कि ऐसे ऐसे धर्म के पुतले हमारे यहां हैं।

श्री उपाध्यक्ष--वह उकता गये हैं, आपके लम्बे भाषण से।

श्री भैरूंसिंह--वह उकता गये हैं तो उनको जरा कुर्सी पर खड़ा कर दीजिये।

(घंटी)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें जनता की भावना की कद्र करनी चाहिये।

Page No 76

श्री उपाध्यक्ष--दोहराई न जावें जो आर्ग्युमेन्ट और मेन बातें आ चुकी हैं उनको। वही बातें फिर फिर कर दुबारा नहीं आनी चाहियें । आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

श्री भैरूं सिंह--माननीय उपाध्यक्ष, दोहराने की इसमें कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति नहीं समझता है उसको दोहराकर समझाया जाय तो में समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। कई व्यक्तियों को दोहराने पर ही समझ में आता है। जिन व्यक्तियों ने इस बिल को प्रस्तुत किया है वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने बार बार दोहरायें तो निश्चित रूप से मान लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे उनकी यह जानकारी है कि वे दोहराने को पसन्द करते हैं। उसके लिये मुझे यह निवेदन करना था कि आपके खुद के पास, और राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के पास माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जो कुछ भी रिप्रेजेन्टेशन आये हैं उनसे वे थोडी सी नसीहत हासिल करें। उनसे जनता की नब्ज पहचानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा यह कहेगी यह धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा वह मामला है। जनता की राय ली जाकर यदि आवश्यकता हो तो ऐसे कानून बनाये जांय। जनता की राय यदि प्रतिकूल होती है, पक्ष में नहीं होती है तो ऐसे कानूनों के बनाने की आवश्यकता नहीं। यह देखकर कि बहुमत में होते हुए ऐसे कानून को यदि वापिस लेते हैं तो तौहीन होती है और ऐसे व्यक्तियों की जो इसके विरोध में हैं उनकी जीत होती है तो धर्म के मामले में हार और जीत का प्रश्न करेंगे तो वह भौतिक रूप में वह विजय नहीं होगी निश्चित रूप से हार होगी। आज चाहे बहुमत के आधार पर कानून को आप बना लें, लकिन बहुमत के आधार पर बने हुए कानून भी रद्दोबदल हो सकते हैं लेकिन आज उस कानून से अशान्ति फैल सकती है जनता में। उस अशान्ति के कारण से जिन क्षेत्रों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं वह सुधरेगी नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री से कम से कम वे अपने घरवालों की राय तो मालूम कर लें, मालपुरे वालों की राय ले लें। मालपुरे से कितने टेलीग्राम आये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास--एक भी नहीं आया है।

श्री भैरूं सिंह--वे बाहर ही बैठे हैं। बाहर आपसे निवेदन करेंगे।

में समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने घर वालों का ही समर्थन लेलें इस पर। इसलिये में दुबारा निवेदन करूंगा कि वे इस कानून को जनता की राय के लिये प्रसारित करने के मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे और जनता की राय के लिए प्रसारित करने वाले संशोधन को स्वीकार करके जनता की राय के लिए भेज दें।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री दामोदरलाल व्यास--इनका भी है क्या ?

श्री मानसिंह महार--मैंने इस कानून को दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। में बोलने के लिये खड़ा हुआ; उपाध्यक्षजी, तो मंत्रीजी की घबराहट देखकर दुख हुआ। में कोई ऐसी बात कहने नहीं जा रहा हूं कि जिसके अन्दर मंत्रीजी का कोई अहित होता हो,

Page No 77

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक धर्म के मामले में चन्द ऐसी बातें निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है तो इस मामले को मैंने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की जो बात की थी उस बात के लिये जो मैंने दलीलें दी थी उसमें कम से कम डेढ़, पौने दो घन्टे लिये थे, उसके जवाब में हालांकि मंत्रीजी ने सब बातों को अवाइड करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी मुझे फिर काफी समय लगेगा। यह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--दोहराना मत उन्हीं बातों को।

श्री मानसिंह महार--उपाध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं; इसके बारे में भी आप फर्मा दें तो ठीक हो।

एक माननीय सदस्य--इन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्री मानसिंह महार--अगर स्वीकार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम उनको फूल मालाएं पहनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--संक्षेप में।

श्री मानसिंह महार--दूसरा निवेदन यह था, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं यह समझता हूं इस मामले में हमारी जो कुछ विचार धारा है उसको मंत्री जी खुद ही सुनें तो वह ऐसी बात होगी कि जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात नहीं पहुंचेगा। अगर वे अपने डिप्टी साहब को छोड कर चले जावेंगे तो हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात पहुंचेगा। मेरे पूर्व वक्ता ने तो अपना भाषण जारी रखा था लेकिन मैं तो नहीं रखूंगा प्रोटेस्ट में दलीलें पेश करूंगा और उसी वक्त रखूंगा। यह तो मैं चेतावनी दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो तरीका बता रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला प्रस्तुत है। इस मसले के बारे में जितना भी विचार-विमर्श किया जाय......

श्री अध्यक्ष—उत्तर।

श्री मानसिंह महार–बिल्कुल, उपाध्यक्षजी उत्तर ही दे रहा हूं। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी की इस राय से असहमत नहीं हूं कि आज हमको धार्मिक मामलों में जो रुपये पैसे खर्च करने वगैरह का मसला है उस पर कुछ करना चाहिये। यह बात शायद मैं उनसे अधिक महसूस करता हूं और बडी खुशी की बात है कि वे भी इस बात को महसूस करते हैं। वे ही नहीं, हमारी सरकार भी इस बात को महसूस करती है। केवल, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे अन्दर आपस में मतभेद है वह तरीके का है। हमारे मतभेद हैं वे केवल तरीके मात्र के हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की नीयत यह है कि शायद (घंटी) हमारी सरकार की नीयत यह है शायद जो साफ जाहिर नहीं हो सकी क्योंकि

Page No 78

[श्री मानसिंह महार]

मन्त्रीजी ने कुछ चीजों को ऐसी तोड मरोड कर सदन में प्रस्तुत किया जो समझ में आना भी मुश्किल है उपाध्यक्ष महोदय। केवल सरकार धार्मिक स्थानों में जो रुपया पैसा की आमदनी होती है उसकी ठीक व्यवस्था करना चाहती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इससे असहमत हो सके। फर्क केवल तरीके का है। हमारा कहना यह है कि इन धार्मिक स्थानों की व्यवस्था है वह सरकार न करके जनता ही करे और इनका ऐसा विचार है कि सरकार को करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार की इस मसले पर सबसे बडी जो बात दिखती है वह यह है कि जो धार्मिक सम्पत्ति है, जो धर्म के मामले में दान दी हुई रकम है उसका सही तरीके से इन्वेस्टमेन्ट सरकार करना चाहती है। सरकार शायद यह नहीं चाहती कि इन रकमों को पडा रखा जाय, उनसे सूद न आय और वह इन्वेस्टमेन्ट किसी अच्छे बैंक में या गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज में न हो तो देश के डेवलपमेन्ट में बाधा पहुंचती है। मैं आज तक इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की बात सोची। लेकिन उपाध्यक्षजी, हमको देखना है यह कि सरकार के नियन्त्रण में आने से वह रकम है वह वास्तव में सुरक्षित रहेगी या आज जिस हालत में वह है वह अधिक सुरक्षित है। सबसे बडा मुद्दा यह है कि यह मुद्दा ऐसा है उपाध्यक्ष जी, जिससे सरकार भी सहमत है। सरकार भी इन रकमों को सुरक्षित रखना चाहती है लेकिन पिछले छः वर्षों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो हम यह देखेंगे कि इन धार्मिक स्थानों का जो इन्तजाम आज तक हुआ है वह प्राइवेट पार्टीज ने कहीं अधिक अच्छा किया है बमुकाबले हमारी सरकार के जिसने कि सरकारी सम्पत्ति का जिस बुरी तरह से दुरुपयोग किया वो एक विचारणीय बात है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बनने के बाद, रियासतों के एकीकरण के बाद कम से कम जयपुर के तो बहुत धार्मिक स्थानों पर बने हुए मन्दिर वगैरा हमारी सरकार के हाथ में आये। वृन्दावन में जयपुर रियासत के मन्दिर हैं और इसी प्रकार बनारस वगैरा में कई मंदिर हैं वो हमारी सरकार के हाथ में आये। तो हमको देखना यह है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उनमें क्य क्या तरक्कियां की, व क्या क्या नये ढंग के तरीके अपनाये ? लेकिन मैं बड़े अदब से निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि वो संपत्तियां सरकार के हाथ में आने के बाद नष्ट भ्रष्ट ही हुई हैं बमुकाबले इसके कि उनकी हालत रियासतों के हाथ में वे थे तो कहीं अच्छी थीं। यही नहीं उनमें से बहुत अधिक संपत्ति तो ऐसी है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिनको निलाम करके खत्म ही कर दिया। आज की हमारी सरकार की नीति यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि धार्मिक संस्थाओं में पैसे वगैरा खर्च होते हैं उनको वे फिजूल खर्ची सा मानते हैं। अगर सरकार हमको इस बात का विश्वास दिलाती है, सरकार इस बात को मानती है, या स्वीकार करती है कि धार्मिक स्थानों पर पैसा लगाते हैं वह वाकई अच्छी चीज है फिर भी हम महसूस करते हैं यह बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसको फिजूल खर्च माना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बडे बडे धार्मिक स्थानों पर अच्छे अच्छे मन्दिर बनाये गये वो इसलिये बनाये गये थे कि राजस्थान के लोग उन स्थानों में जब जायें तो वहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था हो सके। इन मन्दिरों में कुछ अपने देश का अपनत्व मिले। वे वहां पर रहें और उनको सुविधायें मिलें लेकिन कौनसी बात है......

श्री उपाध्यक्ष—रिकमिटमेन्ट के लिए प्रस्ताव है।

श्री मानसिंह महार—यही बात निवेदन कर रहा हूं। मैं तो भूमिका बांध रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर में बोलिये, भूमिका नहीं।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना जवाब एक घंटे में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—वे ही पोइन्ट फिर दोहराये जावेंगे ?

श्री मानसिंह महार—दोहराने का सवाल ही नहीं। जिनका जवाब ही नहीं है उसके लिए आप ने मन्त्रीजी से फरमाया ही नहीं कि कम से कम जवाब तो दें। उन्होंने उठा कर तीन छोटी सी बातें कह दीं और हमारी जवाब बन्दी कर दी। न कहें तो कहें किससे ?

तो निवेदन यह करना था, उपाध्यक्षजी, धार्मिक स्थानों के बारे में निवेदन कर रहा था कि कई खास बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करदूं कि मेरी बडी बीमारी की हालत है, रातभर नींद नहीं आई है, डाढ़ी भी नहीं बनायी, खाना भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी मुझे इस के बारे में निवेदन करना है चाहे मेरा हार्ट फेल ही हो जावे। इसलिये अर्ज है उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां आज तक हमारी सरकार का मन्दिर वगैरा की तरफ जो रुख रहा है, मन्दिरों के इन्तजाम की तरफ जो उसका रुख रहा है उसके प्रति हमारा तजुर्बा बहुत ही कटु रहा है। मैं यह महसूस करता हूं कि यदि यह कानून पास कर दिया गया तो जहां पर भी सरकार की अनुमति से ट्रस्ट वगैरा कायम होंगे, वे मन्दिर, वे धार्मिक स्थानों उन्नति करने के बजाय अवनति की ओर जायेंगे। यह मेरी निश्चित धारणा है। मैं यह मानता हूं कि यदि इन मन्दिरों में और धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप हो गया और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को हटा दिया जायगा तो इन स्थानों की उन्नति न होकर अवनति होगी। मैं यह जानता हूं उपाध्यक्षजी, कि जयपुर में गलताजी के मन्दिर में कम के कम १०० साधु रोज भोजन करते थे, जयपुर रियासत के समय। लेकिन वर्तमान सरकार का उन महन्तजी की ओर आंख लगी है या कुछ भी कहिये वे सब साधु वहां से निकाल दिये गये और वहां जो रामध्वनि होती थी वह भी सब बातें खत्म हो गई हैं। यही नहीं अब तक महन्तजी ने उनके पास जो पैसा है उसको ऐसे तरीके से लगाना शुरू किया है कि सरकार उनको कुछ नहीं कह रही है। यही नहीं उन महन्तजी के बारे में यह रोक थी कि वे शादी करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी और कार्यवाही करेगी। लेकिन इस बारे में भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शादी करली। लोग यह भी कहते हैं कि शादी करने में उनका कुछ पैसा भी खर्च हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने शादी तक करली और सरकार ने कुछ नहीं किया।.....

श्री मानसिंह—Is marriage a religious purpose?

श्री मानसिंह महार—माननीय सदस्य ने सवाल पूछा उसके बारे में निवेदन करूंगा कि यहां वर्तमान सरकार और धार्मिक लोगों के बीच में एका कहां है ? इसी की वजह से हम लोग इस हालत में गुजरते हैं। मैं मानता हूं कि भरतपुर की तरफ से आये हुए शिक्षित मित्र इस बात को बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन मुझ जैसा धर्म में विश्वास रखनेवाला आदमी आज भी ऐसी बातों को गलत मानता हूं। यह नहीं हो सकता कि आज हम यह कहकर टाल दें कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुमकिन है मन्त्रीजी कह सकते हैं और कहेंगे कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मैं उनकी सराहना नहीं कर सकता। मैं यह

[श्री मानसिंह महार]

मानता हूं कि उनके कार्य से मन्दिर की व्यवस्था को बडी भारी क्षति पहुंचती है। मन्दिर की प्रतिष्ठा को बडा भारी नुकसान हुआ है और गलत बात हुई है। सरकार से भी हमें सजग रहना पडेगा ऐसी बात के बाद क्योंकि सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उपाध्यक्षजी, सरकार यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करती या उनसे पूछताछ करती तो हम मानते कि सरकार हमारे धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात नहीं करना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा कि लोग ज्यादातर यह कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। पढ़ेलिखे लोगों से मेरा मतलब नहीं है क्योंकि वे कहेंगे अच्छा किया।

आज आप हिन्दू ट्रस्ट बिल पास करके ट्रस्ट बनायेंगे तो मैं कहूंगा कि आपकी धारणा हिन्दू धर्म के अनुकूल नहीं है लेकिन पैसा हड़पने के लिये है। यदि आप हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म उन सब के लिये.....

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपका प्रपोजल है बिलको रिकमिट करने के लिये; that this should be recommitted to the same Select Committee. He should confine himself to certain suggestions or omissions which the Select Committee has made.

मेरे ख्याल से कहां तो गलता का मन्दिर और कहां दूसरी बातें I don't know how far he is confining to that. If he wants me and my collagues to sit here all the time, he must also be very relevant. After all if he expects others to be respectful, he should himself be also respectful.

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, मन्त्रीजी ने जिस प्रेम के साथ बात कही, उसका मैं स्वागत करता हूं और यह मानता हूं कि हमें उनकी धार्मिक भावनाओं में रुपये में से एक पैसे भर अंश है इसलिये उन्होंने यह बात कही। मैं समझता हूं कि एक संपन्न ब्राह्मण कुल में पैदा हुए मैं मन्त्रीजी और धार्मिक मामलों में २ घंटों से......

श्री उपाध्यक्ष—पर्सनल बात न कहें।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्षजी, मैं तो उनकी बड़ाई कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि हिन्दू धर्म......

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने उसी पोइन्ट को प्रेस करें।

श्री मानसिंह महार—आपकी आज्ञा सिरोधार्य है लेकिन निवेदन करूंगा कि मुझे थोडा समय अवश्य लगेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा पोइन्ट यह है स्पष्ट लफजों में इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट क्यों किया जाय और मैं उसी ओर अग्रसर हो रहा था और सब सदस्यों से

[श्री मानसिंह महार]

करबद्ध प्रार्थना कर रहा था आप के जरिये कि यह बात क्यों होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, बात यह है जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मतलब यह है कि मैं अपने पोइन्ट पर आया तो फौरन डिस्टरबेन्स हो गया। हमको यह देखना है कि हमारे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धार्मिक स्थानों ने ही ऐसा क्या अन्याय किया है और यह कहने के पहले उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करूं कि यह कहा गया कि ऐसी क्या बात है जो इसे रिकमिट किया जाय।

सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्ट कमेटी के ४ सदस्यों ने कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध नोट ओफ डिसेन्ट दिये हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान विधान सभा के ५ वर्ष के इतिहास में शायद ही उपाध्यक्षजी, और कोई ऐसा बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया होगा जिसमें इतना भारी विरोध प्रदर्शित किया गया हो। इसलिये मेरा नम्र निवेदन था और थोड़ी प्रार्थना थी कि मुझे ध्यान से सुना जाता तो शिकायत नहीं होती। लेकिन मैं बातों को फिर दोहरा रहा हूं। जो कुछ मन्त्रीजी ने फरमाया वह मैंने नोट कर रखा है। अगर वे उस कॉपी को देखना चाहें तो उपस्थित कर सकता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे हिन्दू धार्मिक स्थान हैं जो जैनियों के धार्मिक स्थान है यदि उन पर सरकार को कोई अपना नियन्त्रण करना है तो कर सकती है, इस कानून में सबसे बड़ी जो कमी है वह यह है कि इस बिल में क्रिश्चियन्स के लिये किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं किया गया है, उसमें पारसियों के लिये कोई प्रोविजन नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मुसलमानों के लिये हमने कहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया तो यह कहकर टाल दिया कि उनके लिये मुसलिम वक्फ एक्ट मौजूद है। हो सकता है या होगा मुसलमानों के लिये ऑल इन्डिया कानून, मैं यह नहीं कहता कि नहीं है लेकिन फिर भी मेरी यह निश्चित धारणा है कि मुसलिम वक्फ एक्ट के होते हुए भी यदि हम मुसलमानों और ईसाइयों को टालें तो ठीक नहीं है। हम यह क्यों कहें कि यह हिन्दू ट्रस्ट बिल है। इस बिल में सबसे बड़ी कमी जो है वह यह है कि इसका जो नाम है उसमें "हिन्दू" शब्द बढ़ा दिया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं। सबसे बड़ी बात जो इसमें महसूस करता हूं वह यह है कि जो इस.....

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. Dy. Speaker, again I want to draw your attention that he should confine himself only to those points which were referred to by me. He is exercising his right of reply, he is not making an original speech. I have repeatedly requested you to regulate this debate otherwise if we go on making speeches like this we don't know where it will lead to.

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने पॉइन्ट से बाहर न जावें।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाय। मैं ज्यों ही पॉइन्ट पर आता हूं कि मुझे डिस्टर्ब कर दिया जाता है। मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे नहीं सुनना चाहें तो यहां से पधार जावें मैं तो सुनाना चाहूंगा तो १६ सदस्यों को ही सुना दूंगा। मन्त्रीजी को सुनाकर मुझे जीमना नहीं है। मुझे यह परवाह नहीं है कि वे २००,४०० रु० की मेरी तनख्वाह कर देंगे। यह उनका फर्ज है कि वे सुनें। मैं उचित नहीं समझता हूं कि एक

[श्री मानसिंह महार]

सदस्य को यह कहा जाय। मैं इस तरह की बात नहीं सुनना चाहता। यह हमारे अधिकारों पर आक्षेप है। इस प्रकार की बात के लिये मैं तैयार नहीं हूं। यदि कुर्सियों पर बैठना है तो उनको सुनना पड़ेगा, इससे भी बढ़कर बातें सुननी पड़ेंगी। यह क्या हम पर अहसान किया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा न कहें।

आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम पर लांछन लगाया गया है और चाहते हैं अगर हम जवाब न दें यह कहां का न्याय है ?

श्री उपाध्यक्ष—लांछन कोई नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस पर मेरा सबसे बडा एतराज है वह यह है कि जो इसका नाम रखा गया है "राजस्थान हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास विधेयक, सन् १९५६," यह नाम नहीं होना चाहिये। इसका नाम यह होना चाहिये था "राजस्थान सार्वजनिक धार्मिक या रिलीजियस विधेयक।" यह नाम रखा जाता तो सरकार सब धर्मों में हस्तक्षेप कर सकती थी, सारे धार्मिक मामलों की आजादी छीन सकती थी।

आज एक हिन्दू व्यापारी धर्मादे के नाम पर एक लाख रुपया इकट्ठा करता है, जैन भाई धर्मादे के नाम पर दो लाख रुपया इकट्ठा करता है तो इस पर सरकार का नियन्त्रण होगा तो सरकार उसको बाध्य करेगी कि इस पैसे का इस प्रकार से सदुपयोग करे। पर यह हमारे दुर्भाग्य की बात है, मुझे कहने के लिये बाध्य किया जाता है कि आज जिस मस्जिद में लाखों रुपया इकट्ठा किया जाता है और वह रुपया चुपके चुपके पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो उन रुपयों पर नियन्त्रण करना आवश्यक है या हमारे हिन्दू भाइयों का रुपया, हमारे जैन भाइयों का रुपया है उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक है जब कि वह पैसा हिन्दुस्तान में तो कम से कम खर्च होता है, इससे अधिक दुख की बात और हो नहीं सकती। हिन्दुओं, जैनियों, और बौद्धों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों होता है ? हमारी सरकार जो कि सबकी सरकार होने की डींग हांकती है कहती है कि हम तो कोई धर्म कर्म नहीं मानते, जाति पांति को नहीं मानते तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों और ईसाइयों को इस बिल से क्यों छोड रहे हैं ? आज कई ईसाई बडे बडे दुकानदार हैं जिनके दो दो लाख चार चार लाख रुपयों की आमदनी होती है और लाखों रुपया धर्मादा निकालते हैं, उस धर्मादे पर तो कोई नियन्त्रण नहीं और हम लोगों धर्मादे की रकम देंगे उस पर यह कानून लागू होगा, यह कहां का न्याय है ? यह बात बता दी जायगी और मुझे कन्विन्स्ड कर दिया जायगा तो मैं मान जाऊंगा। व्यापार में पारसी बन्धुओं का काफी महत्व हैं और उनमें बड़े बड़े व्यापारी हैं। हो सकता है कि राजस्थान में अधिक मात्रा में पारसी भाई नहीं हैं पर मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आज के युग में एक जैन भाई दो लाख रुपया धर्मादे का इकट्ठा करता है उस पर ट्रस्ट मुकर्रर किया जाता है, वह पारसियों पर लागू नहीं किया जाता, मुसलमानों पर वह लागू नहीं किया जाता, मुसलमान तो बड़े बड़े मालदार हैं, आपके जंगलात के बड़े बड़े ठेकेदार हैं और उस आमदनी में से खूब रुपया अपनी धार्मिक संस्थाओं को दान के रूप में देते हैं और वह धन किस तरह से काम में लिया जाता है इसकी आज के जमाने में कहने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं दानों की वजह से आज हमें देश के टुकड़े टुकड़े देखने को मिले हैं, उन्हीं दानों की वजह से देहली की जामा मस्जिद

[श्री मानसिंह महार]

के आगे बम विस्फोट हुए हैं, इन दानों के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग हुआ है और इधर देखिये हमारे पैसे का किस तरह से उपयोग होता है हमने हमारे यहां धर्म प्रार्थनाओं का इन्तजाम कर रखा है, राम लीलाओं और रामधुनियों का इन्तजाम कर रखा है जयपुर की बड़ी चौपड़ पर देखिये प्रार्थना हो रही है, जहां अकाल की स्थिति की पूरी संभावना हो गई थी पर जिस दिन से धर्मावलम्बियों ने राम ध्वनि की उसी दिन बड़े जोरों की बरसात हो गई थी, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट करने की जो बात कह, हूं उसके लिये सबसे बडी दलील यह है कि मुझे इस बिल का जो नाम रखा गया है उससे बडा भारी एतराज है इसका नाम राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक के स्थान पर राजस्थान सार्वजनीन धार्मिक प्रन्यास विधेयक, १९५६ रख दिया जाय तो हमारा आधा एतराज कम हो जायगा।

दूसरी बात जो धर्मादे के बारे में मन्त्रीजी ने फरमाई वह यह थी कि धर्मादे के मामलों में केवल देवस्थान कमिश्नर महोदय किसी की शिकायत करेंगे तब ही कार्यवाही की जायगी। जो उन्होंने कहा उसका मतलब मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ सका वह यही समझ सका। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे आज पहले के अनुभव ऐसे रहे हैं और सभी को विदित है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार कम्प्लेन्ट्स के ऊपर किस प्रकार एक्ट करती है यह बात भी विचारणीय है। हमारी सरकार के एक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो अपनी चीज के साथ एक्ट करने का तरीका और दूसरा उन चीजों के साथ एक्ट करने का तरीका जिनको सरकार अपनी नहीं समझ कर दूसरों कि मानती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भी बिल्कुल रिलेवेन्ट बात निवेदन कर रहा हूं कि सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार सरकार द्वारा किया जाता है और एक्ट करने में किस प्रकार ढिलमिल नीति अपनाई जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कुछ गोलमाल हुई, हमारी सरकार ने बहुत जोरदार एक्शन लिया, रात दिन एक कर दिये और ज्यों ही चेयरमेन महोदय ने सरकार के चरण चूम लिये और आपस में समझौता हो गया तो वह मामला जहां का तहां दबा दिया गया और अब वह मामला जयपुर के सेक्रेटेरियेट में पड़ा हुआ है, नहीं तो उन दिनों में तो ऐसी अफवाह हो गई थी कि वे अभी एरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत ही ऐसी है, दो चार बातें तो उनकी मुझे मालूम हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष, सार्वजनिक संपत्ति के रक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि इनका जिन्होंने दुरुपयोग किया है उन्हें तो पहले कुछ न कुछ सजा दीजिये।

हम यह चाहते हैं कि हमारी सरकार इस दल दल से ऊंची उठे। आज एक्शन के लिये सरकार दिन रात एक करदे और जब कुछ सौदे बाजी तय हो जाए फिर मौन हो जावे। उसी प्रकार का एक्शन धर्म के मामले में होने वाला है और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि क्या होने वाला है ? सरकार उन लोगों को जो धर्मादा इकट्ठा करेंगे उनको जोर शोर से दबावेगी और कहेगी कि एकाउन्ट दो, इसमें तुम्हारा यह काम ठीक नहीं है, वह काम ठीक नहीं है, तुमने यह ठीक नहीं किया है। फिर

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर और सौदेबाजी हो जाने पर, सौदेबाजी किस बात की होगी ? यह प्रश्न हम को देखना है। सौदेबाजी होगी माननीय उपाध्यक्ष, कि ट्रस्टी किन किन को मुकर्रर किये जावें ? फिर, मैं यहां पर कुछ कहना तो नहीं चाहता क्योंकि शायद इससे माननीय मंत्री महोदय सरकार को बुरा लगेगा फिर भी कहना ही पड़ेगा कि अपने अपने कृपा पात्रों की भरमार हो जावेगी। यदि कोई ट्रस्टवाला स्वतन्त्र विचार वालों को रख लेगा तो फिर उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाहियें की जावेंगी जिससे वह परेशान हो जावेगा और उसका नतीजा यह होगा कि वह धर्मादे में रकम देना छोड़ देगा और वह यह कहेगा कि हमको आज इस प्रकार की बीमारी से बचना ही अच्छा होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—On a point of information, Sir, the amended clause is that the committee or the members thereof shall be elected from amongst those who are engaged in that particular trade or business. There is no question of nominating any member.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बड़ी खुशी इस बात को जान कर हुई कि माननीय मंत्रीजी ने इसको ध्यान से सुन कर इसका क्लेरीफिकेशन तो दिया। मैं इतनी देर समझ रहा था कि माननीय मंत्री महोदय जो मैं कह रहा हूं इससे नाराज होकर कोई फाइल देख रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो हम भी जानते हैं कि कमेटी होगी, वह इलेक्टेड होगी। (श्री दामोदर लाल जी के उठकर चले जाने एवं श्री बृजसुन्दर जी के बैठने पर) अब तो एक दूसरे धर्म परायण आदमी आ बैठे और भी अच्छा हुआ। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि धर्मादे की रकम के बारे में जो बात है उसके लिये मंत्रीजी ने फरमाया कि कमेटी बनाई जावेगी वह सिलेक्टेड होगी। मैंने भी वह बात कही थी। मैंने तोड़ मरोड़ उसमें नहीं किया था। मैंने कहा है कि उन आदमियों को बाध्य किया जावेगा और यह कहा जावेगा कि अमुक आदमियों को ट्रस्ट में रखो तो यह ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आप उनको नहीं रखोगे तो उनके साथ चालबाजियें की जावेंगी। उनके एकाउन्टस बुकों में गलतियें निकाली जावेंगी। आज हम भी देखते हैं कि टी. ए. और डी. ए. के लिये जब बिल बना कर एसेम्बली में भेजते हैं तो उसमें ५० मीन-मेख निकालते हैं। मुझ जैसे कोई हैडक्वार्टर जयपुर में बनाते हैं उनकी तनख्वाह भी तीन तीन महीनों से नहीं मिली है। तो सरकार का हाथ तो बहुत बड़ा है, सरकार के हाथ की बात है। सरकार चाहे तो हजारों मीन-मेख निकाल कर रख सकती है। सरकार उनका बिल पास नहीं करे तो उनके नौकरों को तनख्वाह नहीं मिल सकेगी। यदि कोई उसमें किसी प्रकार का सुधार का काम करना चाहेगा तो वह रुपया नहीं मिलने से नहीं कर सकेगा। हमारे जैन मंदिरों में हजारों रुपयों की केशर वगैरा पूजा पाठ के लिये चढ़ाते हैं, अगर सरकार नाराज हो जावेगी तो सरकार क्या करेगी कि उनकी पूजा के लिए पैसा सैंक्शन नहीं करेगी और उसका नतीजा यह होगा कि पूजा करना मुश्किल होगा। इसी तरह से हिन्दुओं के मन्दिरों में भोग पूजा के लिये मंजूरी है उसको सरकार रोकना चाहे तो रोक सकती है। इससे मन्दिर वालों को बाध्य होना पड़ेगा और जैसा सरकार कहेगी वैसा करना होगा। आज तो इस प्रकार की बातें हम रोज देखते हैं अभी कुछ समय पहले कुछ व्यक्ति बॉल बियरिंग से निकाल दिये गये थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वे दूसरे दल के थे। अब

[श्री मानसिंह महार]

जब दूसरे मंत्रीजी आ गये हैं और यह उनका मामला है तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को कहा गया कि आप आई. एन. टी. यू. पी. जोइन करलो तो तुम्हारा कुछ कर दिया जावेगा अब उम्मीद है कि उनका कुछ कर दिया जावेगा क्योंकि उन्होंने आइ. एन. टी. यू. पी. जोइन कर लिया। मैं कैसे जानता हूं कि उनमें से एक व्यक्ति जो नेतागीरी करता था वह हमारे गांव का है। मैंने उसको पूछा।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, बहुत अन्याय होता है। मैंने अर्ज किया की एक घन्टे में समाप्त कर दूंगा और एक मिनिट भी अधिक नहीं लूंगा।

मैंने उस व्यक्ति से कहा भाई कभी कम्युनिस्ट, कभी सोशिलिस्ट और कभी जनसंघ जोइन करते हो और अब तो तुमने आइ. एन. टी. यू. पी. जोइन कर लिया है। उस समय उसने कहा कि हमारे मंत्रीजी ने हमको आश्वासन दिया है कि अगर तुम आइ. एन. टी. यू. पी. में आ जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ किया जावेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यही की यही हालत वहां मन्दिरों के ट्रस्ट में होने वाली है। हम देख नहीं सकते कि हमारे धार्मिक मामलों में भी ऐसी बात हो।

दूसरी बात जो परबतसर से आये हुए माननीय मित्र ने कही कि जैन धर्म के लिये अलग और हिन्दू धर्म के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिये। यह भी एक उचित बात है मैं मानता हूं कि इस पर विचार किया जावे लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि आज हम देश को ऊंचा उठाने की तरफ कदम उठा रहे हैं। देश के उत्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज हम भेद भाव को मिटा रहे हैं। लेकिन फिर भी कम से कम हिन्दू धर्मावलंबियों के लिये जिनको मैं कट्टर पंथी कहूंगा, जो दान वगैरह देते हैं। आज भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति मन्दिर में जावेगा तो कहेंगे। अगर माननीय उपाध्यक्ष, मानलें कि देवस्थान विभाग का कमिश्नर मुसलमान को बना दिया जाता है और वह मंदिरों में प्रवेश करेगा तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था सिलेक्ट न की होती तो मान लेते। आज हम मानते हैं कि हरिजन बंधु हमारे भाई हैं। लेकिन बम्बई में जहां हरिजनों को मन्दिर प्रवेश किया है वहां की हालत देखिये। आज, द्वारकाजी के मन्दिर में जाकर देखिये तो आपको मालूम होगा कि पहले प्रत्येक व्यक्ति चरण स्पर्श करता था। लेकिन जब से वह मन्दिर हरिजनों आदि सब के लिये खुला है तब से चरण स्पर्श बन्द हो गया है। अब कोई भी जाकर उनके दर्शन कर सकता है। चाहे वह हरिजन भाई हो या कोई दूसरा व्यक्ति। लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार की हमारे देश की भावना है। मैं यह कहूंगा कि बोर्ड मुकर्रर किया जावेगा और उसमें कुछ ऐसे आदमियों को मुकर्रर कर दिया जावेगा जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं पर आघात हो, तो ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो अपनी अपनी विचार धारा की बात है। यह कोई बात नहीं, मैं मांस खाता हूं। गवर्नमेन्ट होस्टल में एक तरफ वेजिटेरियन और दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं; कल मुझ जैसा हेकड कहेगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं ? हम सब साथ बैठ कर खाना खाएंगे। सुधारवादी लोग कह सकते हैं कि हरिजन और नॉन हरिजन में क्या भेद भाव ? आज आप जैन मन्दिरों में, मध्य भारत में हरिजनों को घुसाना चाहते हैं वहां की हालत देखिये वहां पर क्या नोबत आई ? आप उस पर ध्यान दें। यह बिल एक छोटी सी चीज नजर

Page No 86

[श्री मानसिंह महार]

आता है लेकिन दिखने में तो छोटा सा है, मगर बड़ा खोटा है। अगर आप इसके इम्पलीमेन्ट की तरफ जावेंगे तो आपको पता लगेगा ।

अगर हमारे मन्दिरों के ऊपर मुसलमान देवस्थान कमिश्नर है तो वह सूट बूट पहनकर जायगा मन्दिरों में, उपाध्यक्ष महोदय, तो यह बड़े अन्याय की बात होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उपाध्यक्ष महोदय, मध्यभारत के अन्दर भटहरि की गुफायें हैं। उनको देखने के लिये हम गये, उस समय मैं एक स्टूडेन्ट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जूते उतार कर अन्दर जाइये, हमारे प्रिन्सीपल एक अंग्रेज थे जो भी हमारे साथ थे उन्होंने क्या किया ? फौरन अपने जूते और मौजे उतारे और हम छात्रों को कहा आप मुझे साफा दे दीजिये तो वे अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने उस बात को माना और साफा पहनकर, जूते उतार कर उस गुफा में गये। जिस समय अंग्रेजों का राज्य था उस समय अंग्रेज भी इस बात को मानते थे। इससे यह साफ साबित होता है कि एक दूसरे धर्म के मानने वाले भी हिन्दू धर्म की कितनी कद्र करते हैं, लेकिन आज हमारे धर्म के भाई जिनमें आज बहुमत ब्राह्मणों का है, उनके लिये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है। जो हिन्दू धर्म की जड़ मानी जाती है आज उन्हीं के हाथों हम इस प्रकार का कानून आते देख रहे हैं, आज हिन्दू धर्म के रक्षक ब्राह्मण ही भक्षक बन रहे हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। उन बैन्चों पर अगर मुसलमान होते या उनकी मेजोरिटी होती तो मैं इतना जोर देकर निवेदन नहीं कर सकता था। आज एक ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार की बात होती देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है, उपाध्यक्ष महोदय ? मैं तो यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है ? आज जब उनसे बातचीत करते हैं तो यहां तक पता चलता है कि वे कहते हैं कि मेरी माताजी इतनी कट्टरपन्थी हैं कि मेरे साथ रोटी तक नहीं खाती। खुल गये हमारे कर्म। माता भी अपने बेटे के साथ रोटी नहीं खाती तो फिर ऐसी मिनिस्ट्री से क्या फायदा, बदनामी हो रही है सो तो अलग, किन्तु उनकी खुद की माताजी तक उनके साथ रोटी खाना पसन्द नहीं करतीं इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है ? आज वे बड़े गर्व से कहते हैं, हम तो सब के साथ खाते पीते हैं, हमारे यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन उनसे जाकर पूछिये आज उनकी मातायें उनको चौके में जाने देती हैं या नहीं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कई आदमियों की धर्मपत्नियां अपने पतिदेव को चौके में प्रवेश करने नहीं देतीं इसके अलावा क्या मालूम उनको और काम भी करने देती होंगी या नहीं।

मैं बड़े दुःख के साथ अर्ज करता हूं। आज हमें बड़ा दुःख होता है, जब हम देखते हैं हमारे देश के अन्दर आज राजपूतों पर यह लान्छन लगाया जाता है कि राजपूत लोगों ने शराब पान में लगकर देश को बरबाद कर दिया, इन्हीं के कारण धर्म नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं मैं भी एक राजपूत हूं मैं शराब के नजदीक तक नहीं जाता, धर्म में आस्था रखता हूं, दोनों समय ईश्वर की वन्दना करता हूं। इस प्रकार के लांछन जो ब्राह्मण लोग हमारे पर लगाते थे आज वे ही लोग मन्दिरों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। यह लान्छन उनकी पीढ़ियों पर भी लगेगा हम पर नहीं, हमारे पीढी के लोग हमको इतना तो याद करेंगे ही कि हमने इस बिल का विरोध किया

[श्री मानसिंह महार]

हमने धार्मिक स्थानों के लिये विरोध किया। यह मेरी सेन्टीमेन्टल अपील है माननीय मंत्रीजी से, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ब्राह्मण होने के नाते भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप भगवान के सामने खडे हो कर उनका चरणामृत लेकर इतना कह दीजिये हे भगवान हम तो वाकई यह चाहते हैं कि जितने भी मन्दिर हों उन पर सरकार का कब्जा हो तो हम यह मान लेंगे चलो आपने भगवान के सामने स्वीकार कर लिया चाहे फिर धर्म नष्ट भ्रष्ट ही क्यों न हो। यह मैं नहीं मानता, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय मन्दिर में जाकर कनक दडवत कर इस प्रकार की बात कह सकें।

आज न मालूम उपाध्यक्ष महोदय, हमारा हिन्दू धर्म जा कहां रहा है ? कम से कम मैं इस बात के लिये अपने भाइयों को बधाई दे सकता हूं कि उन्होंने इस बिल के खिलाफ आवाज तो उठाई। इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा जितने भी जैन भाई उस तरफ बैठे हुये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज मैं उनके चेहरे को देखकर यह कह सकता हूं कि उनको इससे बडी ठेस लग रही है। आज जो दुर्दशा हमारे हिन्दू धर्म की करने जा रहे हैं वैसी दुर्दशा मुसलमान राजा औरंगजेब के समय में भी नहीं हुई थी। मुसलमानों ने इतना अन्याय नहीं किया, वे चाहते तो हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करवा सकते थे, किन्तु उस समय भी हिन्दू अपने धर्म पर अडिग रहे। मैं नहीं जानता आज हमारे हिन्दुओं को क्या हो गया, आज उनका डिमोरेलाइजेशन इतना क्यों हो गया ? आज मंत्री जी के घर में जाकर पूछा जाय कि वे इस बिल को चाहते हैं या नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ९० प्रतिशत मत मेरे फेवर में आयेंगे। उनके घर वाले भी मेरा साथ देने को तैयार हैं। जो अपने घर वालों को अपने पक्ष में नही करवा सकते। आज उनके भाई से मैं लिखवाकर ला सकता हूं, जो मेरे क्लासफेलो रह चुके हैं वे आज भी यह लिखने के लिये तैयार हैं कि मैं हिन्दू धर्म में आस्था रखता हूं। हिन्दूधर्म को किसी प्रकार का नुकसान हो वह बरदाश्त नहीं कर सकते। आज हम क्या देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में हिन्दू धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाती सन्ध्या, गायत्री मंत्र आदि का पाठ नहीं होता जब कि हम सेन्टजेवीयर स्कूल में देखते हैं बाईबिल पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके लिये कोई एतराज नहीं। आज हमारी हिन्दूओं की स्कूलों के अन्दर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, धार्मिक शिक्षा का कोई इन्तजाम नहीं

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसी कानून पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो दूसरी बातें कह रहे ह, जिनका ताल्लुक इस बिल से कतई नहीं है।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, अब तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के इलेक्शन के प्रधान कार्यकर्त्ता पधार गये हैं, जो सारी स्टेट को डाइरेक्ट करते हैं, कल ही जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, वे बधाई के पात्र हैं। मैं उनसे भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आयन्दा चुनाव पर जिनकी निगाह है, मैं उनसे भी निवेदन कर दू कि वे इस कानून को जल्दी में पास न करें हम लोगों के लिये कहा यह जाता है कि हम तो चुनाव स्टंट कर रहे हैं। भगवान आपको सदबुद्धि दे। आप इसको इलेक्शन स्टंट मानकर ही, अगर आप इसे छः महीने, १२ महीने के लिये रोक देते हैं तो आपका

[श्री मानसिंह महार]

क्या बिगडने वाला है ? १२ महीने रोक देने से कोई अनर्थ तो नहीं हो जायगा। अभी आपने देखा करीब १० रोज पहले हमारे यहां भी भूकम्प का धक्का आया था, उस समय मैंने भी यह सोचा था, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो प्रलय होने वाला है। तो मैं भागकर अपने खेत में चला गया। इसी प्रकार की बात हम और देख रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जमुनाजी में बाढ़ आ गई, कहीं अति वृष्टि हो रही है तो कहीं अनावृष्टि से दुष्काल पड़ रहा है, तो यह सब है क्या ? जब आप लोग धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो ऐसी बातें होती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सचेतक महोदय से जो कि मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आपको डोड़वाना से चुनाव लडना है, लाड़नू से चुनाव लडना है या जोधपुर से चुनाव लडना है और आपको धार्मिक व्यक्तियों के वोट लेना है तो आप इस कानून को दूर रखिये।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब राष्ट्रपति चितौड पधारे उस समय भी उनके सामने प्रदर्शन किया गया। इस बिल के विरोध में आपके मीरां मन्दिर में भी प्रार्थना की गई मीरां मन्दिर में स्पीचें भी हुई और उनसे निवेदन किया गया कि इस प्रकार धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

जो इलेक्शन स्टंट इसको कहते हैं, उस बारे में भी मैं निवेदन करदूं उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की तरफ से, हम उन लोगों को विश्वास दिला देना चाहते हैं जैसा कि मत्रीजी ने कहा उनके पास कोई जवाब है, उनके पोइन्ट का मैं उनके पोइन्ट का जवाब दूं, विरोधी पक्ष वालों के लिये यह कहा जाता है कि वे तो इसको इलेक्शन स्टंट बना रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तो केवल यह कहते हैं कि इस कानून को जल्दबाजी में पास न किया जाय। आप चाहे इसे इलेक्शन स्टंट मानिये, मैं तो यह मानता हूं कि आपभी इसे इलेक्शन स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस बिल को पास करके मुसलमानों को यह कहना चाहते हैं कि देखो हमने मस्जिदों के लिये कोई कानून नहीं बनाया इसलिये आप कांग्रेस को ही वोट दें। और आप हरिजनों के मत हासिल करने के लिये उनको यह कह सकते हैं कि हम एक एक हरिजन मेम्बर को हरेक ट्रस्ट में रखेंगे। आप यदि अपने आपको सच्चे सुधारवादी मानते हैं तो आप यह करके देखिये ना किसी नुक्ते में जहां आप अपने पांच सौ आदमियों को निमन्त्रण देते है भोजन के लिये, वहां पचास हरिजन भाइयों को भी बुलाइये और उनके साथ भोजन करिये तभी मैं मान सकता हूं आप सुधारवादी हैं। आप सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

लेकिन गवर्नमेन्ट होस्टल में या इस असेम्बली के केन्टीन के अन्दर बैठ कर किसी के साथ खा लिया जाता है, चुपके चुपके तो वह कोई महत्व नहीं रखता है। वह तो मैं भी खा लेता हूं। पर ५०० राजपूत इकट्ठे हों जहां और वहां हरिजनों के साथ बैठकर खाने में मुझे भी भय लगेगा और इस तरह से आप भी अपने गांव में, बिरादरी में बैठकर इस तरह से कर सकें तो ठीक है, पर आपको इसमें भय लगता है। मैं कहता हूं इन बातों की ओर ध्यान रखना होगा। मैं मानता हूं कि जनता के साथ कहीं दिखावा भी करना पडता है। दिखावा करिये पर धार्मिक मामलों को आप नष्ट भ्रष्ट न करिये। धार्मिक मामलों को कोई आघात न पहुंचावे,

[श्री मानसिंह महार]

कोई नुकसान न पहुंचावें । मैं तो आपकी भावना को बहुत अच्छा मानता हूं पर आपकी मशीनरी जो है, वह गलत है । इसलिये आप इसे किसी तरह से टाल दें । इस समय दो चार पांच वर्षों तक आप चुप रहें, इस मशीनरी को देख लें । और सिलेक्ट कमेटी को भेजकर या पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्यूलेट करके या किसी तरह से जो आपको तरीका उपयुक्त लगता हो, यह मैं आप पर छोड देता हूं, आप इस बिल को टाल दें । हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते । आप इसका क्रेडिट हमें मत दीजिये कि हमारे विरोध के कारण आप इसे वापिस ले रहे हैं। हमें यह क्रेडिट नहीं चाहिये । हम तो कहते हैं कहिये जनता कि इसे हम दो वर्षों के लिये टालते हैं । इस बीच धर्म की रक्षा के खातिर आप कमेटियां बनाइये, उनसे राय लीजिये कि किस तरह का इन्तजाम हो । तो यह तो कोई बात भी हुई ।

(घंटी)

मैं तो कहूंगा कि आज के समय में धार्मिक मामलों...

श्री उपाध्यक्ष—बहुत टाइम हो गया ।

श्री मानसिंह महार—मैंने एक घंटे की प्रार्थना की है । मैं घडी देखकर चल रहा हूं । यह आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे अपने समय तक बोलने दें ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको कहा यह जाता है

श्री उपाध्यक्ष—अभी भी कोई कहने की बात रह गई है क्या ?

श्री मानसिंह महार--अभी तो ये सारे पॉइन्ट कहने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप सबको दोहरा चुके हैं ।

श्री मानसिंह-बिल्कुल नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में जैसा कि हमने देखा है चौकीदार मीणों की हाजरी माफ की गई । आज तो जमाना आजादी का आया है चौकीदार मीणों की हाजरी माफ हो गई है। कितना अच्छा कदम हमारी सरकार का यह है । पर आज एक कानून बनाया जा कर हमारे साधुओं की हाजरी चालू होने वाली है । कोई यह बतावे, उपाध्यक्ष महोदय, ..

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—रिलेवेण्ट नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल इससे रिलेवेन्ट है। यह वैसी ही बात हुई, जैसी साधुओं की हाजिरी होना । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज हिन्दू ट्रस्ट बिल जो बन रहा है वह उसी प्रकार की चीज होगी जैसा कि साधुओं पर नियन्त्रण की बात हो रही है । हम चाहते हैं कि हमारा साधु समाज जो है वह देश के उत्थान की और अग्रसर हो और हम जो धार्मिक प्रवृति वाले आदमी हैं वे तो आज भी इस बात को मानते हैं कि हमारे सन्त, महन्त, साधुगण जो हैं वे सब कुछ अपने देश के उत्थान के लिये कर रहे हैं । यह हम कैसे कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं । आज वे

[श्री मानसिंह महार]

हममें धार्मिक भावना जो है पैदा कर रहे हैं । वे आज हमें ईसाई, मुसलमान होने से बचा रहे हैं, हमें हमारे धर्म के तत्व बता रहे हैं । आज के युग में तो दो फावडे इधर से उधर मार दिये और कुछ मिट्टी की टोकरियों इधर से उधर कर दीं तो उसी को ठोस काम माना जाता है और अगर फिर उसकी फोटो अखबारों में, दिल्ली तक छप जावे तो मान लिया जाता है कि यह काम इतना जबर्दस्त हो गया कि दुनिया का कोई काम इससे बडा हुआ ही नहीं । पर मैं यह निवेदन कर दूं कि इस कानून के बारे में मेरी राय यह है कि अगर इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेजा जावे तो इसके अन्दर सुधार हो जावे । इसमें सुधार की बहुत जरूरत है । और वह सुधार मेरे विचार से यह है कि धार्मिक स्थानों के जो ट्रस्ट वगैरह बनें उनमें एक कैद यह लागू होनी चाहिये और यह मेरी निश्चित धारणा है कि इनमें ऐसे आदमियों को न रक्खा जावे जो राजनीति में भाग लेते हैं । राजनीति में भाग लेने वालों को इसके लिये एक डिस्क्वालिफिकेशन घोषित किया जाना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों में अगर राजनीति को घुसा दिया गया तो हमारे धार्मिक स्थानों में तो यह निश्चित बात मानता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति के अन्दर आपसी कटुता की वजह से हमारे राजस्थान प्रान्त को नुकसान पहुंचा है, उसी प्रकार से आपसी वैमनस्य जो उधर चल रहा है, वह इन हमारे धार्मिक स्थानों में भी पहुंच जावेगा और उनमें पहुंचने से जो धार्मिक मनोवृत्ति के लोग शान्ति-पूर्वक शान्ति से अपना काम करते हैं, वे अपना काम शान्ति से न कर सकेंगे और उन लोगों को बाध्य किया जावेगा कि वे भी पार्टी पोलिटिक्स में आवें और इसका नतीजा केवल यह होगा कि उन स्थानों की भी बरबादी हो जावेगी । बना रहे हैं ट्रस्ट हम इसलिये कि उनकी बरबादी न हो, उनमें सुधार हो, पर आप काम कर रहे हैं इससे उल्टा । आपको चाहिये तो यह कि आप इसके लिये दसों धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमियों को इकट्ठा करके उनसे विचार-विमर्ष करें । वेद इत्यादि जो ग्रन्थ हैं, उनमें से हमको बातें लेनी चाहिये । पुराने जमाने में हमारे धार्मिक स्थानों का किस प्रकार से इन्तजाम होता था वह देखिये । आज आप राम राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और रामराज्य के अन्दर इस प्रकार की बातें होने लगीं अगर तो हमको यही कहना पडेगा कि यह तो हम रामराज्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, बल्कि रावण राज्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यह मेरी निश्चित धारणा है । मैं यह मानता हूं हमारे पूज्यनीय बापू भी उसी रामराज्य की कल्पना करते थे, जिनका मैं हमेशा से चेला रहा हूं (हंसी) और जिनकी सलाह में आकर मैंने जिन्दगी में शराब भी नहीं पी है, हालांकि उनके चेले कहे जाने वाले रोज शाम को बिना सुरा और सुन्दरी के आज भी नहीं रह सकते है उपाध्यक्ष महोदय । (करतलध्वनि)

श्री चीसी सिंह—और हमारे धर्म मन्दिरों में रांडें नाचती रहें, शराब पीते रहें । हमारे धर्म की दुहाई देने वाले मन्दिरों में बैठें और रंडियां नचावें और शराब पीवें, यह कुछ नहीं ?

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था पर मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के लिये उभाड़ा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—जाने दीजिये ।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, क्या नागौर से आये हुए माननीय सदस्य आपको गाइड कर सकते हैं हाथ का इशारा करके ?

श्री नाथूराम मिर्धा—आपको कह रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार—बडे अफसोस की बात है कि आज सदस्य इस प्रकार बात कर सकते हैं । तो, उपाध्यक्षजी, हम आपसे यह आशा करेंगे कि आप इस प्रकार की इन बातों से ऊंचे हैं और हमारे प्राणप्रिय हैं (हंसी) उनकी बातों पर गौर नहीं करके जो मेरा समय है ५ मिनिट का, वह मुझे बख्शेंगे ।

मेरे एक माननीय मित्र ने यह फरमाया है कि धार्मिक स्थानों में इस प्रकार की बातें होती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो इस तरह की बातें कह कर मुझे बाध्य किया जा रहा है कि मैं कहूं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा तो यह जो आज हो रहा है वह सौ गुना होगा । आज एक मन्दिर में हो रहा है, तो फिर १०० में से ९० फी सदी मंदिरों या धार्मिक स्थानों में यह बातें होगीं । आप अपने घर को टटोलिये । अपने साथियों को टटोलिये । पहले आप अपने आपको देखिये । धार्मिक स्थानों में कहीं पर पूंजी ठीक से नहीं लग रही है । आज राजस्थान सरकार के प्रत्येक महकमे में से लोग पैसा लेकर भाग गये हैं चोरी करके । कोई इन्तजाम नहीं है । एक नहीं पकडा जाता है । आज राजस्थान सरकार का पैसा ऐसा हो रहा है कि जिसका कोई धनी धोरी नहीं है । वह पैसा तो सही मायने में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का जो सार्वजनिक सिद्धान्त है, उस तरह से जा रहा है कि जो पहुंचा, जिधर को ले गया, उधर को लेगया और खत्म हुआ । एकाध पर मुकद्दमा चलता है । एक लाख रुपये एक आदमी ले जाता है जो कि १००) रु० माहवार पाने वाला है और उस पर मुकद्दमा चलाकर बर्खास्त कर दिया जाता है (घंटी) तो उसका क्या बिगड गया ? उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसा हो गया कि २००) रु० माहवार की उसकी ब्याज की आमदनी हो जाती है । वह डबल तनख्वाह का मुलाजिम हो जाता है । वे यह कहते हैं कि धार्मिक स्थानों के पैसे की सुरक्षा चाहते हैं, वहां से सुन्दरी और सुरा को हटाना चाहते हैं, मैं उन माननीय मित्र के जो कि कटेली की तरफ से, भरतपुर से आये हैं उन्हीं के शब्दों में कहूं (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो हमारे राज्य के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करें ।

(घंटी)

वे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—कहां पहुंच गये आप ?

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री घीसीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, घंटी का क्या अर्थ है ?

श्री उपाध्यक्ष—कुछ निवेदन करने को बाकी नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में निवेदन करूंगा फिर बिना घंटी के ही बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—कोई भी ऊटपटांग कहेंगे।

श्री मानसिंह महार—कोई भी नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि धार्मिक स्थानों के बारे में जो एक दो खास बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं थोडे में यह कहना चाहता हूं कि आप इस कानून को जनता की राय के लिए प्रसारित कीजिये या उसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर कीजिये, तो यह कहा जाता है कि क्या तत्व है इस दलील में ? मैं निवेदन करूंगा कि आपके राज्य के अन्दर तो मंदिरों की संपत्ति की चोरियां हो गई वे ही बरामद नहीं हो रही हैं। अगर उन चोरियों का पैसा बरामद नहीं कर सके हैं तो अगर आज आप उनके रुपये पैसों का इन्तजाम करने लग जायेंगे, अगर उन पैसों का आपको आयना हो जायगा कि किस मंदिर के पास एक लाख की संपत्ति है और किस मंदिर के पास १० लाख की संपत्ति है तो वह भी चोरी हो जायगी, क्योंकि आज लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से मंदिर के पास कितना पैसा है ?

मुझे कहना तो, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत था लेकिन मैं आशा करूंगा कि हमारी सरकार का इस बात की ओर जो सुझाव है हमारा छोटा सा वह बहुत ही रीजनेबल सुझाव है, अवश्य ध्यान देगी और इस कानून को इतना जल्दी नहीं बनाकर, इसमें विचार-विनिमय और करने की गुंजायश है उसके लिये धार्मिक लोगों की राय ली जाय। सिलेक्ट कमेटी के लिये यही निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में अच्छे २ धार्मिक आदमियों को नहीं बुलाया गया और धार्मिक प्रवृत्ति के जो आदमी हैं उन लोगों को बुलाया जाय, उनसे विचार-विनिमय किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि और किसी को बुलाया जाय, लेकिन धर्म में आस्था रखने वाले आदमियों को बुलाइये ; उनकी राय लीजिये। थोडा बहुत हेर फेर हो तो उसको एकोमोडेट किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि इसमें हमें एकोमोडेशन की स्प्रिट रखनी चाहिये। आखिर बार में समस्त मित्रों से अपील करूंगा कि अगर यह कानून बनाना है तो हमें हमारे मुसलमान, ईसाई, और पारसी भाईयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिये। इस कानून के अन्दर उनको भी लाना चाहिये नहीं तो वे समझेंगे कि यह लोग हमें दूसरा समझते हैं। हमें सौतेले भाई समझते हैं। यह कुछ नहीं समझ कर हमको उनको साथ में लेना चाहिये। इसलिये यह जो 'हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास' है इसकी जगह 'राजस्थान रीलीजस ट्रस्ट' लिख दिया जाय या 'धार्मिक' लिख दिया जाय। यह जोडकर आगे की कार्यवाही की जाय। यह मेरी समस्त मित्रों से अपील है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, और मैं आशा करूंगा कि इसके ऊपर जब वोटिंग होगा तो मेरे मित्र गण हमारे लोगों का साथ देकर हमारे धार्मिक मामलों की रक्षा करेंगे। वे आज यह नहीं समझेंगे कि जैन भाई है जो जैन धर्म के लिये कर सके हैं जो कुछ कर रहे हैं। हिन्दू भाई यह समझेंगे कि वे हिन्दू धर्म के लिये नहीं कर रहे हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि मुसलमान भाई, उपाध्यक्ष महोदय, भी इसका विरोध करके यह परिचय देंगे कि वे लोग भी यह चाहते हैं कि वे हिन्दुओं के साथ हैं। वे हिन्दुओं के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ मरना चाहते हैं, हिन्दुओं के साथ जीना चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते हैं कि अलग कोई काम किया जाय। इसलिये मैं यही प्रार्थना करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को जो उत्तर में बोलते हैं, उनको संक्षेप में जो भी विषय हो उसी पर बोलना चाहिये, समय इतना लिया या उतना लिया इसकी कोई विशेषता नहीं है। उसकी रिलेवेन्सी में जो खास बातें कहनी हों वे बातें आनी चाहिये। वैसे उनकी इच्छा के मुआफिक समय दिया गया है।

बार बार घंटी बजाने का मतलब यह था कि वे असली विषय पर आयें, इधर उधर के प्रसंगों को छोड़कर, दूसरी बातें उस प्रसंग में नहीं कही जांय। इस तरह से बहुत बातें कहने में सदन का समय विशेष लगता है और आपने देखा होगा कि कई सदस्य जो सुनने वाले थे उनमें कमी हो गई। नतीजा यह है कि इस सदन का बहुमूल्य समय है और उस पर हम सब को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं जो तीन संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उनको आपके सामने उपस्थित करता हूं; पहला राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता का है वह इस बात का है कि तीन माह में इस पर जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

प्रश्न यह है कि यह संशोधन..

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन को विदड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरूंसिंह—"हां" पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार—जैसा कि आपने फरमाया है "हां" पक्ष जीता है।

श्री भैरूंसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—आप डिवीजन चाहते हैं?

श्री भैरूंसिंह—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—(विधान सभा के सचिव से) अच्छा घंटी।

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

Page No 94

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को जनमत जानने के हेतु प्रसारित करने के लिये प्रस्तुत किया है श्री भैरोंसिंह ने . .

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोन्ट ओफ ओर्डर सर, एक संशोधन जो पहले एक माननीय सदस्य का प्रस्तुत हो चुका है, तो बाकी के मोशन के मायने सदस्य केवल स्वीकार कर सकते हैं ऐसा स्पीकर साहब का रूलिंग था । जब वह मोशन ऑलरेडी विद्ड्रा हो चुका तो वैसी हालत में वह मूव हो चुका था और बाकी के मोशन उसके सपोर्ट में हो चुके। तो फिर ऐसा कौनसा मोशन बाकी रह गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--उसमें मयाद थी और इसमें मयाद नहीं है ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

तो जो संशोधन श्री भैरोंसिहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरूं सिंह—हां पक्ष जीता ।

कई माननीय सदस्य—Ayes have, it Sir.

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्ष वाले अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

श्री भैरूं सिंह—स्थान पर खडे होने से काम नहीं चलेगा । लोबी में जाना चाहिये ताकि रिकॉर्ड हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—स्थान पर ही गिनती कर ली जावेगी ।

श्री भैरूं सिंह—बडा इम्पोर्टेंट बिल है ।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह निर्णय दे दिया गया है ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि . .

श्री उपाध्यक्ष—वहीं गिनती हो जावेगी ।

श्री भैरूं सिंह—नाम लिखवायें जायं, केवल गिनती से काम नहीं चलेगा ।

श्री मानसिंह महार—यही नहीं होना चाहिये कि खड़े हो गये और गिन लिये ।

श्री उपाध्यक्ष—खड़े हो जाने से गिनती हो जावेगी ।

श्री भैरूं सिंह—नाम के आगे मार्क होना चाहिये कि इतने पक्ष में, इतने विपक्ष में और इतने न्यूटरल रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—वहीं खडे होने से पता लग जावेगा ।

(विराम)

जो हां पक्ष वाले हैं वे खडे हो जायं ।

श्री भैरूं सिंह—नाम लिखे जायं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष—टिक लगा देंगे ।

(सदस्यों के नाम के आगे टिक मार्क लगाना)

(विराम)

अब 'ना' पक्ष वाले खडे हो जांय ।

श्री जवानसिंह—Whether this is a practice or convention established either in this House or in any other House that recording of names is made in the House itself by way of either the division or whether it is in the House itself. So far as counting of heads goes it is always done in the House, but so far as recording of names goes it is always done by way of division and members go in the lobbies of Ayes or Noes. The Hon'ble Deputy Speaker will kindly elucidate this point.

श्री उपाध्यक्ष—यह गिनती तसल्ली के साथ की गई है ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष जीता ।

संशोधन गिर गया । (सरकारी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रस्ताव यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री मानसिंह महार—हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या डिवीजन चाहते हैं ?

श्री मानसिंह महार—जी हां, अब की बार डिविजन लोबीज में होना चाहिये। शायद हमारे एक–दो आदमी बढ़ जावें।

श्री उपाध्यक्ष—अब भी वही बात होगी।

श्री भैरूं सिंह—लोबीज में जायेंगे तो डरने वाले भी हमारे साथ हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, दुबारा गिनती की जावे। जो हां पक्ष के हैं वे खड़े हो जावें।

श्री मानसिंह महार—डिविजन बेल पहले बजनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। डिविजन बेल बजाई जाय।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह महार ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार—नहीं साहब, हां पक्ष जीता। Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्षवाले सदस्य खड़े हो जावें।

श्री भैरूं सिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल काउटिंग ही नहीं होना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि जो मत दे रहे हैं उनके नाम रेकॉर्ड हों।

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष वाले अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

श्री भैरूं सिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर,..

श्री उपाध्यक्ष—आपके पक्षवालों की गिनती हो चुकी।

ना पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

Page No 97

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो गया है, इसलिये सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९५६ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सायं ५ बज कर ६ मिनट पर सोमवार, दिनांक १२ अक्टूबर, १९५६ के प्रातः ११ बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ११ अक्टूबर, १९५६

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिये)

सूची उन भवनों की जो विगत ५ वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला भीलवाड़े में तहसील सहाडा, रामपुर तथा मांडल में बनाई गई।

क्रम सं. १	नाम भवन जिनका निर्माण किया गया २	व्यय जो ३१-३-५६ तक हुआ ३
	तहसील सहाडा	
१	तहसील गंगापुर में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण करने का काम	११,४४६-१४-०
२	मुन्सिफ कोर्ट भवन गंगापुर का निर्माण ..	२३,७९५-८-० कार्य संपूर्ण हो चुका
	तहसील रायपुर	
१	हसील भवन रायपुर का निर्माण	११,१३३-१३-०
२	पुलिस स्टेशन रायपुर का निर्माण	४६,९०८-४-० कार्य सम्पूर्ण
	तहसील मांडल	
१	तहसील भवन मांडल का निर्माण .. .	४१,९१९-८-०
२	सेकंड क्लास पुलिस स्टेशन मांडल का निर्माण ..	२३,२१०-१५-०
३	पुलिस स्टेशन जागीर का निर्माण	३३,६५१-१३-०
४	राजाजी के गरेडे के हाईस्कूल के भवन के पूरा करने का काम	३,०००-०-०

सूची सड़कों की

	तहसील सहाडा	
	भीलवाडा-कांकरोली सड़क का निर्माण ११ मील फलांग मेबन्ड	२,४१,०००-०-०

१	२	३	४
	तहसील मांडल		
१	शहापुरा मांडल सड़क का निर्माण २ मील ४ फर्लांग मेटल्ड	३७,०६६-०-०	
२	नसीराबाद–निम्बाहेडा से मांडल तक सडक का निर्माण ५ फर्लांग मेटल्ड .. .	१०,६००-०-०	
३	मांडल से देवगढ़ तक सड़क का निर्माण व २ मील ७ फर्लांग	९८,९००-०-०	
४	आसिन्द-मांडल सडक का निर्माण २ मील ग्रेवल तथा २ मील कच्ची	८१,०००-०-०	ग्रेवल
		१०,०००-०-०	कच्ची

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर देखिये)

नाम सड़क व माइलेज	नाम ठेकेदार	ठेके के अनुसार कार्य समाप्त होने की तारीख
रामगढ़ से सीकर जिले की हद में के हिस्से का १ मील से ४ मील तक का कार्य	श्री नरसी लाल अग्रवाल	१२-१२-५६
रामगढ़ से सीकर जिले की हद में के हिस्से का ५ मील से ८ मील तक।	श्री नरसीलाल अग्रवाल	८-१-५७

परिशिष्ट ३

(राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को जनमत प्राप्त करने हेतु प्रसारित करने के श्री भैरोंसिह के संशोधन पर सदस्यों के नामों की गणना सदन में हुई उसकी सूची) ।

हां पक्ष—१०

१. श्री भैरोंसिह दांतारामगढ़ ।
२. श्री भोपालसिंह ।
३. श्री छीतरलाल शर्मा ।
४. श्री हनवन्तसिंह ।
५. राज श्री हिम्मतसिंह अटरु ।
६. श्री जगतसिंह झाला ।
७. श्री जवानसिंह सोलंकी ।
८. रावत श्री मानसिंह ।
९. पं० रूपनारायण शास्त्री ।
१०. रावत श्री शंभूसिंह ।

ना पक्ष—३०

१. पं० चन्द्रकान्त राव ।
२. श्री छंगा ।
३. श्री दामोदर व्यास ।
४. श्री दीनबन्धु परमार ।
५. ठा० श्री धर्मचन्द ।
६. श्री घासीराम ।
७. श्री घीसीसिंह कटेला ।
८. श्री जयसिंह रानावत ।
९. श्री हंसराज जटिया बारी से ।
१०. श्री हरीराम निनामा ।
११. श्री जयचन्द्र मोहिल ।
१२. श्री कानसिंह ।
१३. श्री लादूराम चोधरी ।
१४. श्री लादूराम ।
१५. श्री लक्ष्मन हीरात ।
१६. श्री चांदमल मेहता ।
१७. श्री माधोलाल (मेहर) ।
१८. श्री मथुरादास ।

१९. श्री मोतीराम।
२०. श्री नाथूराम।
२१. श्री ब्रजसुन्दर शर्मा।
२२. श्री राधाकृष्ण मारू।
२३. श्री रामरतन टिक्कीवाल।
२४. श्री रोशनलाल शर्मा।
२५. श्री श्रीभानसिंह।
२६. श्री श्रीदास गोयल।
२७. श्री श्रीगोपाल भार्गव।
२८. श्री सोहनलाल भटनागर।
२९. श्री उदयलाल वरदिया।
३०. श्री हरिकृष्ण व्यास।

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक १६ अक्टूबर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७५८	शीर्ष	भूमि बधक बैंक	भूमि बंधक बैंक
७६३	,,	बंधक बंक विधेयक	बंधक बैंक विधेयक
७६४	,,	भमि बंधक बंक	भूमि बंधक बैंक
७६५	,,	बंधक बंक विधेयक	बंधक बैंक विधेयक
७७०	शीषक (२५)	खदना बस्ती विधेयक	खदान बस्ती विधेयक
७६८	शीर्ष	सावजनीन प्रन्यास विधेयक	सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक